CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 12, Tuesday, August 10, 2010/ Sravana 19, 1932 (Saka)

SUBJECTS	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 to 224	3-46
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.225 to 240	47-100
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	101-588

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE	589-601
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	602, 684
STANDING COMMITTEE ON ENERGY **7th to 9th Reports**	603
RESCHEDULING OF BUSINESS IN THE HOUSE	604, 634-635
SUBMISSIONS BY MEMBERS **Re : Alleged support to Maoists by a Union Minister in a rally**	
MATTERS UNDER RULE 377	636-649
(i) Need to regularize the services of "Trading Staff" working in Khadi Bhawans and extend rebate on Khadi products beings sold through retail outlets of KVIC.	
Shri Charles Dias	636-637
(ii) Need to take adequate security measures to check the presence of Somalian pirates near Minicoy islands in Arabian sea.	
Shri Hamdullah Sayeed	638
(iii) Need to ensure release of adequate water from Left Wing Channel of Neyyar Dam to Tamil Nadu as per the agreement signed between the Kerala and Tamil Nadu.	
Shri S.S. Ramasubbu	639
(iv) Need to take steps to check the spread of Dengue, Malaria & Swine Flu in Maharashtra and other parts of the country.	
Shri Jaywant Gangaram Awale	640

(v) Need to provide financial assistance for smooth functioning of Nehru Trophy Boat Race, a tourism event conducted annually at Alappuzha, Kerala.

Shri K.C. Venugopal 641

(vi) Need to protect the interest of rubber growers by maintaining the import duty of natural Rubber at 20 percent

Shri Anto Antony 642

(vii) Need to enhance the salary of Documentary Compilers and Stringers working in Doordarshan and other private TV channels and extend the benefits of pension and insurance cover to them.

Shri Sonawane Pratap Narayanrao 643

(viii) Need to set up Vigilance & Monitoring Committee at the district level to monitor the programmes of Centrally Sponsored Schemes and include local MPs as the Member of Committees for the welfares of STs.

Shri Mansukhbhai D. Vasava 644

(ix) Need to set up a premier medical institute at par with AIIMS in Ahmedabad, Gujarat.

Dr. Kirit Premjibhai Solanki 645

(x) Need for installation of free of cost power line to tubewells of the small and marginal farmers in Bundelkhand region and other parts of the country through Centrally Sponsored Schemes.

Shri R.K. Singh Patel 646

(xi) Need for gauge conversion of railway line between Sitapur and Lucknow in Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 647

(xii)	Need to construct roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar.	
	Shri Purnmasi Ram	647
(xiii)	Need to set up a National Atheletics Academy in Palakkad, Kerala.	
	Shri M.B. Rajesh	648
(xiv)	Need to accord approval to the proposal of Marathwada Agricultural University for setting up a Mega Food Park in Parbhani district, Maharashtra.	
	Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar	649

DISCUSSION UNDER RULE 193 650

Re: Situation arising out of delay in preparation for Commonwealth Games, 2010

Dr. M.S. Gill 650-673

STATEMENT BY MINISTER

Re: Environmental implications of the oil spill off Mumbai Coast on 7th August, 2010

Shri Jairam Ramesh 685-688

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2010 674-683

Motion to consider	689-733
Shri Mallikarjun Kharge	674, 727-733
Shri Paban Singh Ghatowar	675-679
Shri Virendra Kumar	680-683 689-691
Shri Shailendra Kumar	692-693

Shri R. Thamaraiselvan	694-696
Shri Dhananjay Singh	697-698
Shri P.R. Natarajan	699-700
Shri Anandrao Adsul	701-702
Shri Arjun Charan Sethi	703-704
Shri C. Sivasami	705-707
Shri Prabodh Panda	708-709
Shri Hansraj G. Ahir	710-711
Shri Jagdambika Pal	712-715
Shri Prasanta Kumar Majumdar	716-718
Shri Madhu Koda	719-720
Shri Ghanshyam Anuragi	721-722
Shri Arjun Ram Meghwal	723-724
Shri Adhir Chowdhury	725-726

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	734
Member-wise Index to Unstarred Questions	735-740

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	741
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	742

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 10, 2010/ Sravana 19, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, मैंने क्वैश्चन ऑवर सस्पैंड करने का नोटिस दिया हुआ है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस मामले को शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : महोदया, इस मुद्दे को मुझे रखने दीजिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। मैं केवल दो मिनट लूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा, अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, सुश्री ममता बैनर्जी केन्द्र में रेल मंत्री हैं। उन्होंने सरकार के ग्रीन हंट ऑपरेशन में, जिसमें नक्सलवाद और माओवाद से सख्ती से निपटने का फैसला केन्द्र सरकार ने किया है और कुछ कदम उठाए हैं।...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल चलने दीजिए। यह सबकी इच्छा है। शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री एस.आर. जेयदुरई।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Yesterday also, the same issue was raised. …(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. Let the Question Hour go on.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded

(Q. No. 221)

MADAM SPEAKER : Q. No. 221, Shri S.R.Jeyadurai.

SHRI S. R. JEYADURAI (THOOTHUKKUDI): Madam Speaker, India is ranked at 87th position in terms of quality of roads when compared with other countries in the world. It is a very saddening affair. I would like to ask this question to the hon. Minister. … (*Interruptions*)

In my constituency, Thoothukkudi to Tirunelveli road widening project on National Highway 7A for 47 kilometres was started in the year 2004. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): ये सिर्फ दिखावे की बातें करते हैं। This is nothing but trying to excel in competitive politics. … (*Interruptions*)

SHRI S. R. JEYADURAI : Even after almost six years, this project is not completed. Tuticorin Port is an important and the biggest port of our country and because of delay in widening of Thoothukudi-Tirunelveli National Highway, traffic congestion has increased manifold. So, I would like to know when this project will be completed.

KUNWAR R.P.N. SINGH: As far as project on NH 7A is concerned, all land acquisitions have already taken place. Only the water pipelines have to be shifted, as part of the contract. The earlier contractor was non-performing. That is thus, we have re-awarded the contract in April, 2010. The work will be completed in 24 months, in the year 2012.

SHRI S. R. JEYADURAI : In many places, contractors have left the work in-between, which has resulted in delay of work under the project. What action has been taken against these contractors?

KUNWAR R.P.N. SINGH: Madam Speaker, in this work, since the contractor was non-performing, we have black-listed the company and re-awarded the contract in 2010. That work will be completed in 24 months.… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : इस मैटर को कल उन्होंने रैज़ किया था, आज ये रैज़ कर रहे हैं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please raise it in the 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let the Question Hour go on.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have the Question Hour.

… (*Interruptions*)

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस मुद्दे को शून्य-प्रहर में उठाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, Shri Abdul Rahman.

… (*Interruptions*)

SHRI ABDUL RAHMAN : Thank you very much, Madam. The National Highways Authority of India (NHAI) has executed and is executing various projects of road widening in a substantial manner. Still, there are delays in several projects all over the country due to various reasons and some constraints. … (*Interruptions*)

The NHAI has cancelled the bidding process for Rs. 550 crore Ennore-Manali Road Improvement Project (EMRIP) stating that some of the stakeholders have failed to bring in their contribution. … (*Interruptions*) A communication to this effect was sent to some of the stakeholders even as the Chennai Port Trust officials termed it as an arbitrary move by the NHAI as only the Special Purpose Vehicle (SPV) had the authority to cancel the bidding process. … (*Interruptions*)

However, the letter did not pinpoint who failed to bring in their equity portion. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please be brief.

… (*Interruptions*)

SHRI ABDUL RAHMAN : Yes, Madam. … (*Interruptions*) The Project covers four important roads in North Chennai, namely, Tiruvottiyur-Ponneri-Panchetti (TPP) Road, Ennore Expressway, Manali Oil Refinery Road and the northern portion of the Inner Ring Road from Madhavaram to Manali. … (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदया, इन्होंने इस बारे में नोटिस नहीं दिया है। इस प्रकार से रोजाना हाउस को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री मुंडे जी से मेरा आग्रह है कि वे इस विषय को शून्य-प्रहर में उठा लें और अब प्रश्न-काल को चलने दें। ठीक है। बहुत धन्यवाद।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI ABDUL RAHMAN : Madam Speaker, meanwhile, the Tamil Nadu Minister for Highways, Mr. Vellakoil Saminathan, has written to the Union Minister of Road, Transport and Highways, Shri Kamal Nath, urging him to expedite the project as it was a major corridor used by hundreds of heavy vehicles daily. He has also asked the Centre to convene a meeting of all the stakeholders to sort out the issue amicably.

I would like to ask this, through you, from the hon. Minister. What is the current status of the project, and the detail of its progress? Thank you.

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Hon. Minister, please.

KUNWAR R.P.N. SINGH : The hon. Member has brought to our notice the Chennai-Ennore Port Connectivity Project. This is a project, which is being implemented in a SPV mode where there are four partners in this SPV. The scope of work has risen a lot in the SPV, and the estimated project cost that was put to

bidding was Rs. 269 crore. But it has gone up substantially after increase in the scope of work. Accordingly, the equity contribution of all the SPV partners also increased.

All the SPV partners, except the Chennai Port Trust, has given their equity contribution. The Chennai Port Trust has not come up with their share of the equity. Our Ministry has been in constant touch with the Shipping Ministry and we have brought it up twice for bidding, but the equity share of the Chennai Port Trust has not come into the SPV. We are talking to the Ministry till the Port Trust comes up with the share, and as soon as the Ministry comes up with their share of equity required in implementation of this project we shall be bringing it up for bidding again.

SHRI P.C. CHACKO : Thank you, Madam. The problem in implementation of the National Highway Projects, especially, widening of the National Highways is basically the problem of land acquisition. I know that the hon. Minister and the Ministry is trying their best to implement the 20 kms. a day target of the UPA Government.

The Minister may say that land acquisition is the responsibility of the State Governments, but the compensation paid today for land acquisition is so meagre.

If the Government is not prepared to pay the market rate as the compensation, then the land acquisition will become difficult. Also, when the small land holders of one or two cents are evicted, they cannot find an alternative site to continue their vocation. There has to be a plan for rehabilitating them also. Will the Government give an assurance that market rate compensation will be given for the acquisition and also the rehabilitation package will be implemented wherever land acquisition is done? The development of highways is for the people, it is not anti-people. Now, unfortunately, in our State, where the density of population is the highest, land acquisition has become such a big problem that adequate compensation is not given. Will the Government assure that adequate compensation will be given for land acquisition?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI KAMAL NATH): Madam, the issue of land acquisition particularly in Kerala, which is a high density State, has been the subject matter of concern. I have had a meeting with all MPs, Lok Sabha and Rajya Sabha, of all parties on this subject. The question whether the road should be of 30 metres or 45 metres, Kerala being a high density State, is a problem. Where the question of compensation is concerned, the first issue is whether the Right of Way will be 30 metres or 45 metres. In this, the State Government has one view and the people, through various associations and various NGOs have, on the other side, said that it should be 45 metres. But in the end, we think it is for the State to resolve on its own what kind of a highway would they like to have.

Where the question of compensation is concerned, for all roads, the compensation is given under the NHAI Act. The NHAI Act prescribes the appointment of a Settlement Officer. The Settlement Officer is generally and in the State of Kerala it is, the official of the State Government. Now whatever award the Settlement Officer gives, the NHAI normally accepts the award unless it appears to be improper. So, we will look at the special situation of Kerala but in the end it is for the Settlement Officer to give an award. The Settlement Officer who is an official of the State Government, recognizes the ground realities.

श्री अशोक अर्गल: माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92, जो कि ग्वालियर से इटावा को जोड़ता है, यह दो राज्यों का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, इसकी हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसको दो लेन की जगह 4 लेन में कन्वर्ट करें।

श्री कमल नाथ: माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है, इस पर मेंटीनेंस का काम चल रहा है। जहां तक 2 लेन और 4 लेन की बात है, यह तय होता है कि कितना ट्रैफिक उस पर है, कितने टी.सी.यूज़. उस सड़क पर से गुजरते हैं। हमारे पास सीमित संसाधन हैं और उन सीमित संसाधनों में हमारा यह लक्ष्य है कि हम 2 लेन, 4 लेन या 6 लेन कहां करें, यह ट्रैफिक पर आधारित है। मेरी तो इच्छा होती है, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि 2 लेन क्यों, 6 लेन हो, लेकिन 2 लेन या 4

लेन होना, यह ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। इस पर जो माननीय सदस्य ने कहा है, फिर से हम विचार करेंगे और जो कुछ हो सकेगा, वह करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री तूफ़ानी सरोज : महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, प्रदेश है, लेकिन रोड चौड़ीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश की बड़े पैमाने पर अनदेखी की जा रही है। लखनऊ से वाराणसी मार्ग के मामले में, लखनऊ भी राजधानी है और वाराणसी भी पवित्र स्थल है, वहां से सासाराम होकर आगे मार्ग निकल जाता है। वी.आई.पी. कांस्टीट्वेंसी से होकर लखनऊ और वाराणसी मार्ग जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त रोड को चोड़ीकरण करने की क्या आपकी कोई योजना है? दूसरे, चौड़ीकरण करने में लोगों की तमाम निजी जमीन पर जो दुकानें बनी हुई हैं, जिनकी रोजी-रोटी है, जो बर्बाद हुई है, हम लोगों के सामने तमाम ऐसे मामले आये हैं, जिनको न तो मुआवजा मिला है,

न कोई धनराशि मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौड़ीकरण करने में, जिनकी निजी संपत्ति का नुकसान हुआ, क्या इस बारे में आपके पास कोई शिकायतें आयी हैं कि इतने लोगों का निपटारा नहीं किया गया है? वाराणसी से लखनऊ तक ट्रैफिक बहुत रहता है, जो कि वीआईपी कांस्टीच्युएंसी है, इसका चौड़ीकरण आप कब तक करेंगे? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक प्रश्न पूछिए, इतने सारे प्रश्न मत पूछिए।

...(व्यवधान)

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने सासाराम की बात कही, जहां से आप आती हैं। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि अध्यक्षा जी का हम ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनके क्षेत्र में सिक्स लेन रोड बनाने का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। ...(व्यवधान) इन्होंने सासाराम से शुरू किया तो मैंने भी सासाराम से ही शुरू किया। हम अध्यक्षा जी से शुरू करेंगे तो बढ़िया होगा। आपके क्षेत्र में हम सिक्स लेन करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) लखनऊ से लेकर ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह पूरे बिहार की हैं, आपको पूरे बिहार का ख्याल रखना है। ...(व्यवधान)

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : मैंने बताया कि वाराणसी से मोहनिया तक हम ले जा रहे हैं, शाहनवाज साहब बिहार की ही बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लखनऊ से वाराणसी तक ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: ...(व्यवधान) वाजपेयी जी ने कर दिया था, आप क्या ख्याल रखेंगे?

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : सिक्स लेन वाजपेयी जी ने नहीं किया था और उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जितनी सड़कें यूपीए ने पहले साल में एवार्ड की हैं, उतनी सड़कें एनडीए पांच सालों में नहीं

बना पायी थी। ...(व्यवधान) जहां तक वाराणसी और लखनऊ की बात है, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर सड़कें होनी चाहिए। हमारे सीनियर मंत्री ने जैसे मध्य प्रदेश के बारे में कहा, वैसे ही हमें भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सड़कों की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक लखनऊ और वाराणसी की बात है, उस पर फीजिबिलिटी स्टडी हो रही है। उसको चार लेन करने का प्रस्ताव हमारे मंत्रालय में विचाराधीन है और उस ओर जल्द से देखने की कोशिश की जाएगी। फीजिबिलिटी रिपोर्ट आने पर इस ओर जरूर देखा जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : मुआवजे के बारे में बताइए।

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : मुआवजे के बारे में जैसा हमारे सीनियर मंत्री ने बताया कि लैंड एक्वीजीशन के अंतर्गत यह स्टेट सब्जेक्ट होता है। स्टेट हमको जितना मुआवजा देने की बात कहता है, मार्केट रेट पर, चाहे वह कामर्शियल प्रापर्टी हो, प्राइवेट प्रापर्टी हो या एग्रीकल्चर प्रापर्टी हो, जो कामर्शियल रेट है, उसके अंतर्गत हमारा मंत्रालय उनको उतना पैसा दे रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : तूफानी सरोज जी, आपकी बात हो गयी, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Madam Speaker, I would like to draw your attention to the answer given by the hon. Minister giving the state-wise number of National Highways widening projects which are under implementation and delays as on July 31, 2010. With regard to Jammu and Kashmir it says, “National Highway A1-7, BRO-1, Total-8”. Madam, I talk in particular about the Srinagar-Jammu National Highway. Kashmir Valley being landlocked because it is surrounded by mountains, the only road connectivity Kashmir has with the rest of the country and the rest of the world is through the Srinagar-Jammu Highway. Unfortunately, after 1947 our overall road connectivity got closed down because of various reasons. So, this is the only connectivity the Valley has with the rest of the country and the rest of the world. If you are physically isolated, you feel isolated in every sense. I would like to ask the hon. Minister as to why the Srinagar-Jammu Highway in particular, the only highway which connects Kashmir

Valley with the rest of the world, is getting delayed; and will the Government take it up on priority?

SHRI KAMAL NATH: Madam Speaker, Jammu and Kashmir is undoubtedly a priority. Because of the nature of its terrain, the DPR and the technical aspects of it do take time. There is a road of 18 kilometres of which 9.5 or 10 kilometres is tunnels. We are giving this priority. Recently projects have been awarded in Jammu and Kashmir in particular with regard to what the hon. Member has referred to. I am sure the hon. Member is aware of it because it received wide publicity. This road is undoubtedly an important strategic road. We have awarded these contracts in the last couple of months. In fact, one of these contracts was very recently awarded. We will do everything to expedite this. But as I said, there is a very difficult terrain.

There are issues of land; there are issues of landslides; there are issues of having access to make the road. Roads in Jammu and Kashmir is different from roads in other parts of the country. But we are taking priority steps in this direction.

(Q. No. 222)

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली रोड जो मुरादाबाद तक जाती है, गाजियाबाद से मुरादाबाद फोर लेन बन रही है जिसे चार साल से ज्यादा हो चुके हैं। वह अभी तक मुकम्मल नहीं है। जगह-जगह सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते नहीं हैं, सारी जनता को आने-जाने में बहुत परेशानी है। पुल खराब पड़े हैं, सारी पोजीशन खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। वहां हालत खराब है, सड़क अभी बनी नहीं है, लेकिन आपका क्या मैकेनिज़्म है कि उस पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है और उसी के हिसाब से वसूली कर रहे हैं। तीन जगह टोल टैक्स की दुकानें बनी हुई हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक ही सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : डासना-हापुड़ बायपास और रजतपुर, तीन जगह इन दुकानों पर टोल टैक्स वसूल किया जाता है। ऐसा क्यों है? आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने के बारे में गौर करेगी जिससे जनता को राहत मिल सके?

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2008 में यूज़र फी का जो कानून बना था, उसके अंतर्गत हम सारी जगह टोल लेते हैं। आप ज़ोया की बात कर रहे हैं जो आपके क्षेत्र में पड़ता है और जहां नया टोल प्लाज़ा लगा है। वह टैम्परेरी टोल प्लाज़ा है। हमने छ: महीने पहले गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद तक की जिस सड़क का उद्घाटन किया था, वह स्ट्रैच बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। आप दुनिया में जहां भी जाएंगे, उसी तरह की सड़क बनी हुई है। वह टाल प्लाजा टैम्परेरी बनी हुई है। इससे पहले जिस सड़क के बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, उसमें दस किलोमीटर सड़क अभी नहीं बन पाई है, क्योंकि हमें फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं मिल पाई है। वह दस किलोमीटर का स्ट्रैच हस्तिनापुर वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी की वजह से इन्वायर्नमैंट क्लीयरैंस के लिए रुका हुआ है। जिस दिन वह पूर्ण हो जाएगा, उस टोल टैक्स को हटाकर जायज जगह पर कर दिया जाएगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने बाकी टोल टैक्स के बारे में पूछा है, एक मुरादाबाद बायपास पर लगा हुआ है, एक गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद पर है और एक काली नदी पुल पर लगा हुआ है और गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बायपास पर लगा हुआ है। उन सड़कों पर टोल टैक्स कौन्ट्रैक्ट और कानून के अंतर्गत लगे हुए हैं।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह जवाब अभी पूरा नहीं है। इस वक्त मुल्क की हालात बहुत खराब है। दुनिया बेरोजगारी से गुजर रही है, भूखों मर रही है, लेकिन आप उन सड़कों पर जो नीचे धंस रही हैं, टोल टैक्स लगा रहे हैं। मेरी जानकारी है कि इलाहाबाद और बनारस के दरम्यान जो नई सड़कें बनी हैं, वे एक-एक फुट नीचे धंस गई हैं। लेकिन इसके बावजूद आप टोल टैक्स लगा रहे हैं। आप मुकम्मल सड़कें बनाकर नहीं दे रहे हैं, कहीं फोर लेन कहीं सिक्स लेन की बात कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इन हालात पर गौर करते हुए टोल टैक्स में जो इजाफा किया गया है, उसे खत्म करने की कोशिश करें। क्या आप इस पर विचार करेंगे?

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : अध्यक्ष महोदया, टोल टैक्स में कोई इज़ाफा नहीं किया गया है। हर वर्ष डब्ल्यूपीआई के अन्तर्गत टोल बढ़ाया जाता है। वह आलरेडी टोल के अन्तर्गत है। हमने कोई टोल टैक्स बढ़ाने का काम नहीं किया है। वर्ष 2008 में टोल टैक्स का यूजर फी का कानून बना था, उसके अन्तर्गत ही हम टोल टैक्स ले रहे हैं। इस सरकार ने कोई टोल टैक्स बढ़ाने का काम नहीं किया है। ...(व्यवधान)

जहां तक इन्होंने सड़कों की बात की है, हमारा मंत्रालय फोर लेन या जो भी सड़क बना रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें उसके कहीं भी धंसने की खबर नहीं आयी। अगर माननीय सदस्य को लगता है कि किसी भी स्ट्रैच पर ऐसी कोई कमी आयी है, तो हमें जरूर लिखें। हम तत्काल उसकी जांच करेंगे और इन्हें बतायेंगे। जहां तक इन्होंने इलाहाबाद बायपास की बात की है। ...(व्यवधान) इलाहाबाद बायपास जो बनाया गया है, मुझे लगता है कि वह दुनिया में ऐसा बायपास है, जिस पर आप चलेंगे, तो आपको सचमुच लगेगा कि इस देश में नहीं किसी और देश मे चल रहे हैं। वे उस बायपास में खुद चलेंगे ...(व्यवधान) मैं उस स्ट्रैच पर माननीय सदस्य के साथ खुद चलने को तैयार हूं। ...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : In the case of development of roads on BOT model, private sector people put money on construction of roads and they are collecting the toll. The Minister said that they are having some formula that they devised in 2008 and based on which, the toll tax is fixed. Actually the toll tax is very high. The consumers/customers using the roads have become more and more; even ordinary people are now having vehicles including cars. If one wants to travel from one place to another place, we come across many toll plazas. For example, you take the case of my district, Salem; if I want to go to Chennai from Salem, I have to cross seven toll plazas and I have to pay Rs. 50 at each toll plaza. Thus, I have to pay Rs.400-Rs.500 on toll, if I have to go to Chennai from Salem. It has become very costly.

Moreover, nowadays petrol cess is increased; we are paying road tax and we are paying vehicle tax. Everything has increased nowadays. Our people are also accustomed to use the roads free. But when you are putting so much toll tax, it is very difficult.

Secondly, Madam, the toll plazas are situated near the cities. For example if you take the case of Krishnagiri District, if we have to go to Collector's Office

from the town, we have to cross the toll plaza. Therefore, wherever we go, we are facing a lot of local problems like this. So, the toll plazas must not be near the city-areas and also not near major offices where people are usually supposed to go. There is a lot of friction; and problems are coming up because of the toll plazas; there are fights also. So, I would request the hon. Minister to see that the plazas are shifted from the towns to some other place, away from the cities.

I would also request that the toll tax is reduced, to reduce the burden of the road users. Can the hon. Minister consider all these things?

SHRI KAMAL NATH: Madam, the hon. Member has expressed concerns on toll. I would like to inform the hon. Member and I would really seek the indulgence of everyone here. We have a programme to build and to upgrade our roads in our country. 'Road is a very important part of our infrastructure and this infrastructure-deficit stares us on our face.

If we talk of port connectivity; just now, during the earlier question, a Member was talking about port connectivity, about Ennore and Chennai Ports. It is again road which provides port connectivity. Again for airport, it is the road connectivity. Just today in the papers we read that the automobile sector grew by 37 per cent. So, either we build roads or we build garages. Otherwise, where will these vehicles go? To upgrade this, we have to adopt a model which funds for itself – that is the user-fee concept. The user fee will be collected over 16-25 years as the case may be. This is because there are incremental benefits coming to the people. The toll rates were fixed first in 1997; then they were fixed in 2008, which defines the categories and how much will the toll rates be. There is, sometimes, a conception, which is not correct, the fee for a car, jeep, van or a light motor vehicle is paise 65 per k.m. This is what it should be. We have laid out the plan, because the roads are expanding; what were there 5-10 years ago, is much more now.

In this context, new problems and new ideas are certainly welcomed. We have decided that we will not have any toll plaza within 1 km. of a municipal area. What happens is that towns and municipal areas are expanding fast. Today, 10 kms. outside a municipal area there is no habitation but in three to four years time it will become a habitation area. If we look at a by-pass which is built today, it is a good by-pass but five years later it would become a township. Between the main city and the by-pass it would become a township. So, people say that this is not a by-pass. So, these are very important and serious challenges. We are looking at these issues. If the hon. Member has a specific problem, I will be very happy to look at it.

The hon. Member has mentioned about Krishnagiri. I will be happy to inquire into this. This must have been a very old toll plaza. We must recognise that these toll plazas had been set up a long time go. Some have been set up seven years ago. There are 87 toll plazas which are for public funded roads. There are six toll plazas on OMT that means Operate, Maintain and Transfer. There are only 64 toll plazas on OMT in the country. There are seven bridges where we are putting toll. Each city and each town has a different issue of toll plazas. If the hon. Members writes to me about Krishnagiri… (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : We have already written through the Collector and also through the Chairman. We have been persuading the authorities for the last so many years but they are not considering it as this is the highest collection point in South India where Bangalore route is connected. They are making heavy collections at this point and that is why they are not interested to shift that toll plaza from that place.

SHRI KAMAL NATH: Through you Madam, I would request the Member to bring this to me in writing and I will be happy to have a meeting with him on this matter.

श्री निनोंग ईरींग : महोदया, आपने हाल ही में सुना होगा, अखबारों में यह खबर छपी थी कि चीन के सिपाही के सिपाही वहां कामदेव के फूल यानी लव फ्लावर्स तोड़ रहे हैं। नॉर्थ लखीमपुर से पासीघाट, टूटिंग को कनेक्ट करने वाली रोड नेशनल हाइवे-52 के बारे में आप जानते होंगे कि यह रोड पिछले 10 सालों से बहुत बिगड़ी हुई हालत में है। खासतौर से समाझान नाम की एक जगह है, वहां पर रोड की मरम्मत के लिए हमने आपके पास भी अपील भेजी है, यहां पर भी हमने कई बार प्रश्न पूछे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इसके लिए क्या विचार करेंगे क्योंकि वहां हमारे लव फ्लावर्स को लोग तोड़ देंगे और फिर हमारे यहां मुसीबत हो जाएगी?

कुँवर आर.पी.एन.सिंह: महोदया, लव फ्लावर्स के बारे में हम जरूर ख्याल रखेंगे, परन्तु अभी यह विषय इस सवाल से ताल्लुक नहीं रखता है। अगर माननीय सदस्य हमें लिखकर देंगे या हमसे बात करेंगे, तो जरूर हम प्यार के फूलों के बारे में ख्याल रखेंगे।

श्री हरिभाऊ जावले : महोदया, मेरे जलगांव जिले में नसीराबाद में नेशनल हाइवे संख्या 6 पर वर्ष 1999 में एक ब्रिज बनाया था, उसकी समयावधि मार्च, 2009 में खत्म हो गयी थी। एक बार समयावधि खत्म होने के बाद आपने उसको एक साल के लिए एक्सटेंड किया है और उसी साल वहां से 20 किलोमीटर के अंतर पर दूसरा एक ब्रिज बनाया है और उसका भी टोल टैक्स शुरू हो गया है। दोनों जगह 20 किलोमीटर की दूरी में लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप कितनी बार उसका एक्सटेंशन करने वाले हैं? उसका और एक्सटेंशन बंद करना चाहिए। मैं मंत्री जी से स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूं कि नसीराबाद रेलवे ब्रिज टोल टैक्स का आप एक्सटेंशन बंद करने वाले हैं या नहीं?

श्री कमल नाथ: महोदया, इस पर्टीकुलर टोल प्लाजा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इसका जवाब दे दूंगा।

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : The hon. Minister is replying regarding the collection from toll plazas. May I know from the hon. Minister through you, Madam, as to whether the Ministry has ascertained the loss from some of the major toll plazas on National Highway -2 in the last financial year?

SHRI KAMAL NATH: Madam, toll plazas, as I have mentioned earlier in my reply, other than BOT toll which are being done outside the concessionaire, of course, we have received reports about leakage of toll. That is why, we have decided to bid out all these toll plazas on OMT basis. Some bids have been invited and some are going to be invited. The idea is that all these must be bid out to those who have the professional skill, expertise and the management abilities to manage these toll plazas so that these toll leakages do not take place. Undoubtedly, leakage of toll is taking place on those toll plazas which are not on BOT toll.

(Q. No. 223)

MADAM SPEAKER: Shri Adhalrao Patil Shivaji – Not present.

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : अध्यक्ष महोदया, शासन ने जो यह योजना चलाई है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना के अमल से कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और इसके द्वारा कृषि उत्पादन, कृषि सम्बन्धी टेक्नोलॉजी तथा क्रॉप में भी कुछ बदलाव हुए हैं? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कंजर्वेशन ऑफ सोइल में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, अगर हुआ है तो कृपया उसका ब्यौरा दें?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Regarding this particular Scheme, the latest report is that there is an improvement in per hectare yield, total production and there is reduction in the cost. So, all these three are beneficial to the farmers.

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने इसी सदन में, इसी साल एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह योजना 2005 में शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना से सम्बन्धित विभिन्न पदों के रिक्त होने से इसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इसलिए मार्च 2010 में इस योजना में परिवर्तन करके इसे और सुदृढ़ तरीके से लागू किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना से सम्बन्धित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी गई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष जी, यह स्कीम नई शुरू की गई थी। तीन साल तक इसका एक्सपीरियंस देखने के बाद इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए मार्च 2010 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें सुधार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप अप्रेल 2010 में इस योजना पर अमल शुरू किया गया। इससे पहले इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं थी। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो काम करने वाले लोग थे, उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां थीं, लेकिन स्पेसिफिक यह जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। इसलिए स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स राज्य स्तर पर नियुक्त करने का निर्णय इस योजना के तहत किया गया, जिसके कारण यह योजना और अच्छी तरह से अमल में लाई जा सके।

DR. K.S. RAO : Madam, agricultural extension activity is a must more particularly today as the need of increasing production of food grains is very essential. The reason being, the moment the hon. Minister announces that there is shortage of food grains in this country, the prices in the international market get

doubled. So, naturally we have to increase the production and this extension activity is a must. But dissemination of information and knowledge can come only when there is research and development.

The per acre yield in China is three times more than what India is producing today. Similar is the case in the USA and other developed countries. Now the need for research is more even for doing these extension activities. I am happy that in the process of his reply the hon. Minister has mentioned that 27 lakh women farmers have also benefited out of this. We are happy about it.

Madam, I wish to know from the hon. Minister whether he will increase the number of women farmers by selecting them from the women self-help groups who are taking the land on lease, they are not the owners of the land, and give them training and, if necessary, even select women for research in this regard to increase production.

SHRI SHARAD PAWAR: This particular scheme has been made applicable in 591 districts of the country. The stipulation under the scheme is that 30 per cent selection has to be made from amongst women. So, 27 lakhs have been trained, but that is not sufficient if you study the total number of women farmers in the country to the total number of farmers in the country. We have to do a lot and that is why this scheme has been started. A new revised scheme has been started from April this year. We will definitely give weightage to women and people belonging to weaker sections of society.

श्री यशवंत सिन्हा महोदया, माननीय मंत्री जी ने जितना वर्णन आज के प्रश्न के उत्तर में दिया है, मुझे लगता है कि वह सब कागजी है। इनके पास रिपोर्ट आती है कि यह हो गया, वह हो गया, लेकिन जमीन पर, कहीं भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज को हम देखते तक नहीं हैं। कोई जाकर किसान को सलाह नहीं दे रहा है कि किसान को क्या करना चाहिए। अभी इसी सदन में मैंने, झारखंड में, बिहार में जो भयंकर सूखा पड़ा, उसका जिक्र किया था। आज क्या कोई इन दोनों ही राज्यों में किसान को बताने जा रहा है कि सुखाड़ को देखते हुए, उसे कौन सी फसल लगानी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? उन्हें कोई कुछ नहीं बता रहा है। मैं खुद एक गांव में रहता हूं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दूर-दूर तक एग्रीकल्चरल

एक्सटेंशन सर्विसेज नजर नहीं आ रही हैं। इनके यहां एक हॉर्टिकल्चर मिशन है, मैं अपने जिले में हॉर्टिकल्चर मिशन का जो पदाधिकारी है, उसे दो साल से ढूंढ रहा हूं, वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। आदमी पर आदमी भेजते हैं कि बुलाकर लाओ, लेकिन आज तक वह हमें मिला नहीं है। लेकिन कागज में हो जाएगा कि हॉर्टिकल्चर का देश में इतना विकास हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं और यह बात मैंने सदन में पहले भी रखी है कि इनके मंत्रालय से जितनी एक्सटेंशन सर्विसेज कृषि क्षेत्र में चल रही हैं उनके साथ क्या वह लोक सभा के सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे, उन्हें जिम्मेदारी देंगे या हम लोगों को उससे दूर रखेंगे, यह बताएं?

श्री शरद पवार पहले एक चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसकी अमल करने की टोटल रिस्पोन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। ...(व्यवधान) देश के संविधान ने कृषि सब्जैक्ट स्टेट के पास दिया है। जहां तक झारखंड गवर्नमेंट की बात है, उसने हमें लिखित में सूचना दी है कि 24 जिलों में यह स्कीम हम अमल में ला रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा कागज पर ही सब अमल हो रहा है।

SHRI SHARAD PAWAR: The Government of Jharkhand has sent us a communication informing us that the Government of Jharkhand is implementing the scheme in 24 districts of the State. I cannot disbelieve the State Government. I have to respect the State Government.

… (*Interruptions*) But it is true that there is scope for corrective action and that was the reason why we have amended the scheme. During last March, we have amended the scheme and from April, we have started the new form of the scheme. We have provided certain staff members for the scheme and have also decided to provide some financial support to the scheme so that they will be able to implement it more efficiently. I have seen that in some of the States, the work is going on and they are implementing it. But it is true that in certain areas, enough work has not been done.… (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि इसी सदन में ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव की चर्चा के समय उत्तर देते हुए कहा था कि इसका बहुत बुरा असर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड आदि नार्थ राज्यों पर पड़ेगा। मंत्री जी की भविष्यवाणी सही निकली। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में सूखा पड़ा है। इन राज्यों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां नदियां और नाले सूख चुके हैं। महोदया, आप जिस इलाके से आती हैं, वहां पीने का पानी नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।

मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम अर्ली वैरायटी बीज का इंतजाम कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का असर कम पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आप सदन में आश्वासन देते हैं, तो क्या आपका ध्यान आश्वासन में होता है या नहीं? हम मानते हैं कि आपने कहा था कि आप बोझ से दबे हुए हैं और आपको बोझ से हल्का किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया प्रश्न के बारे में पूछिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मंत्री जी पूरे विश्व के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इसके लिए हम मंत्री जी को बधाई देते हैं। उन्होंने संसार भर में कब्जा किया, लेकिन भूखा बिहार, सूखा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्य भूख से बेहाल हैं। यहां के लोगों को माड़-भात भी मिलेगा या नहीं, यह पता नहीं है। इसके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? जब भी सूखा पड़ता था, तब मडुआ होता था, मकई होती थी, मोटा अन्न होता था, लेकिन आज हालत बद से बदतर हो गई है। बीजों का पेटेंट कर दिया है और हमारा समूचा मकई, मडुआ, टोउंगी सब समाप्त कर दिया। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मंत्री जी ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रबंध किया है? आप स्पष्ट शब्दों में बताएं और जिम्मेदारी से बताएं।

श्री शरद पवार : जहां तक बिहार में सूखे की परिस्थिति है, दो दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को अपने राज्य की हालत के बारे में एक निवेदन दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी दिए। झारखंड राज्य के राज्यपाल से मैंने खुद कोन्टेक्ट किया था। मेरी इन्फोर्मेशन के मुताबिक झारखंड में बारिश अच्छी नहीं हुई लेकिन मुझे राज्य सरकार की तरफ से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स के आफिसर्स की मीटिंग ले कर जायजा लेने के बाद रिपोर्ट हमें भेजिए। राज्यपाल महोदय ने हमें रिपोर्ट भेजी।

उन्होंने आठ-नौ डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन भारत सरकार को भेजी है। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार राज्य सरकार के साथ बैठकर वहां की परिस्थिति देखने के लिए एक टीम भेजे। ...(व्यवधान) जहां तक बिहार की बात है, बिहार सरकार ने हमें कहा कि टीम वीरवार को भेजिए इसलिए अभी तक गई नहीं है।

We have constituted a team and that team will go tomorrow to Bihar. They will take the assistance of authorities of Bihar. Similarly, we have requested the Jharkhand Government. We would like to depute a team and we have asked them to communicate us when we should send the team. I am expecting their reply today or tomorrow.

जहां तक अन्य राज्यों की स्थिति है, हमारे पास इन्फार्मेशन है कि वेस्ट बंगाल में पांच डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक लिखित रूप में अपना सुझाव नहीं दिया है।...(व्यवधान) लेकिन हम वहां से भी इन्फार्मेशन कलैक्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : पिछले वर्ष भी हाउस में चर्चा हुई थी और पूरे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

(Interruptions) ...[*]

[*] Not recorded

(Q. No. 224)

SHRI K.R.G. REDDY : Hon. Speaker, I am thankful to you for giving me this opportunity.

For scheduled minerals, companies as well as individuals are just putting in applications and leaving it for years without pursuing and submitting the required documents. This is resulting in large areas being blocked and precious resources left unexplored. This further results in direct loss to the Government exchequer and industries suffer from lack of new materials, which in turn hampers country's development.

Now, my question to the hon. Minister, through you, is: (1) will the Government reject applications which are not complete in all respects; and (2) will the Government process only those applications which are complete in all respects, by by-passing the earlier applications which are incomplete.

SHRI B.K. HANDIQUE: I fully agree with the hon. Member. Whatever we do, we do according to the rules. Unless the documents are complete and unless the rules are followed, we never clear these cases. … (*Interruptions*)

SHRI K.R.G. REDDY : In Andhra Pradesh, most of the districts of Telangana have rich minerals and they are reserved in the name of Scheduled Tribes. It has resulted in vast areas left unexplored. Apart from the Government, no private person or a company can get prospecting or mining licence.

So, in this regard my second supplementary question, through you, is: Will the Government allow private investments in this area by relaxing the existing rules so that we can create employment to the tribals? Is there any action plan from the Government?

SHRI B.K. HANDIQUE: Actually, I could not follow the question. We cannot do anything which is against the law. If there is any judgement – by High Courts or the Supreme Court – against any particular case, we cannot take up that particular case. For example, in Visakhapatnam case, there is a judgement by the Supreme

Court, known as "Samata Judgement", where only the tribals can be the owners of the land.

They can own land there and nobody can purchase land in that area. So, naturally, we have to follow certain rules. If he can tell me specifically whether it is the law or it is the judgement which is in force, then I can address his questions.

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तर प्रदेश के बारे में आप मुझे बोलने का समय दें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, उनका नाम है, वह प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बैठ जाइये। वह प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें उनका नाम हैं। आप क्या चाह रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनका नाम है, आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

डॉ. चरण दास महन्त : अध्यक्ष महोदया, प्रकृति हम सबकी साझा धरोहर है और खनिज के रूप में प्रकृति ने हम सबको जो उपहार दिया है, हम सबका उसमें बराबर का अधिकार है। नये खनिज नियम बनने जा रहे हैं। मैंने जो मूल प्रश्न किया था, उसमें यही पूछा था कि क्या इसमें अलग-अलग विभागों के मंत्रियों की अलग-अलग राय हैं और अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग राय हैं? मैं कहना चाहता हूं कि स्टील और लॉ मिनिस्ट्री चाहती है कि खनिज के निर्यात पर बैन लग जाए। कॉमर्स और माइन्स मिनिस्ट्री चाहती है कि निर्यात चलता रहे, फाइनैन्स मिनिस्ट्री इसमें न्यूट्रल है, रेलवे विभाग के मंत्री जी उस बैठक में आते नहीं हैं। इस तरह से अलग-अलग विभागों के बीच में विसंगतियां हैं। अलग-अलग राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में खनिज ज्यादा पाये जाते हैं। लेकिन इन सभी राज्यों के विचार अलग-अलग हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से बहुत सीधा, सरल और सामान्य प्रश्न है कि इन सभी विसंगतियों को दूर करते हुए जो खनिज का नया नियम आने वाला है, वह कितने वर्षों में आ जायेगा?

SHRI B.K. HANDIQUE: Madam, I have already given the reply in the statement laid on the Table of the House. Actually, the Government of India has constituted a Group of Ministers (GoM) to consider the draft Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill, 2010. It will give its recommendations to the Government. The notification is very clear. It has been also asked in the main question whether there are certain conflicting views of the different Ministers. These are not conflicting views. The concerned Ministries may have their view-

points on certain issues based on Ministry's perception. These have to be considered holistically and a view formulated based on an overall national interest. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI B.K. HANDIQUE: Madam, at the most we can say that these are suggestions and not conflicting view points.

Secondly, forgetting about all the conflicting views that the Ministries have, the question arises is about the iron ore. You must have seen that and the media also has given the coverage of that. So, naturally, I would like to place it before the hon. Member. The issue has to be considered from two aspects -.the total production of iron ore and domestic demand. Madam, in the year 2009-10, only 90 million tonnes of iron ore were consumed out of 218 million tonnes produced whereas 128 million tonnes of iron ore were exported. Thus, there is a surplus production of iron ore.

Secondly, most of the exported iron ore is in the form of fines for which we do not have any technology in the country. … (*Interruptions*) So, in that case what we can do about it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए, उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए। Mr. Minister you may please give the answer.

… (*Interruptions*)

12.00 hrs.

SHRI B.K. HANDIQUE : If we do not export the produced fines, which are generated as part of the mining process, for which there is no technology in the country, it would result in pollution and impede the mining process in the mines. Therefore, the immediate need is to develop a technology that processes the iron ore in this country rather than banning export. Sudden stoppage of production of iron ore, as a result of ban on export, would also give rise to loss of employment directly and indirectly.… (*Interruptions*) It has already given employment to a lot of people, thousands of people in the export as well as export-related trade.… (*Interruptions*) My Ministry, however, has kept an open mind. Whatever decision is taken, we shall abide by it.… (*Interruptions*) But our only concern is that there must be a technology to process the iron ore fines in this country so that it cannot create an environment hazard. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the Minister is saying.

*(Interruptions) …**

SHRI B.K. HANDIQUE: Ultimately, what I can say is that export and import matter is within the domain of the Commerce Ministry. It is not our Ministry which can do this.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Question Hour is over.

____

.

* Not recorded

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid. Shri P. Chidambaram.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Arms (Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 453(E) in Gazette of India dated 28th May, 2010, under sub-section (3) of Section 44 of Arms Act, 1959.

(Placed in Library, See No. LT 2810/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Immigration (Carriers' Liability) Amendment Rules, 2007 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 427(E) in Gazette of India dated 19th May, 2010, under Section 9 of Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000.

(2) A copy of the Immigration (Carriers' Liability) Amendment Order, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 1187(E) in Gazette of India dated 19th May, 2010, under sub-section (2) of Section 10 of Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000.

(Placed in Library, See No. LT 2811/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Central Reserve Police Force, Pioneer Cadre (Group B and C Posts) Recruitment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 490(E) in Gazette of India dated 9th June, 2010, under sub-section (3) of Section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949.

(Placed in Library, See No. LT 2812/15/10)

(2) A copy of the National Security Guard (Group 'B' non Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 67 in weekly Gazette of India dated 17th April, 2010, under sub-section (3) of Section 139 of National Security Guard Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 2813/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. 13(1)/2009-BC (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th November, 2009, containing corrigendum to the Notification No. 98 dated 9th September, 2009, issued under the Food Corporations Act, 1964.

(Placed in Library, See No. LT 2814/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (KUNWAR R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1031(E) and S.O. 1032(E) published in Gazette of India dated the 7th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) in the State of Uttar Pradesh.

(ii) S.O. 1099(E) and S.O. 1100(E) published in Gazette of India dated the 14th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(iii) S.O. 1169(E) and S.O. 1170(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(iv) S.O. 1222(E) published in Gazette of India dated the 25th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(v) S.O. 1226(E) published in Gazette of India dated the 25th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(vi) S.O. 1443(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 91 (Gaziabad-Aligarh Section) in the State of Uttar Pradesh.

(vii) S.O. 578(E) published in Gazette of India dated the 11th March, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(viii) S.O. 762(E) published in Gazette of India dated the 6th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Haridwar-Dehradun Section) in the State of Uttarakhand.

(ix) S.O. 768(E) published in Gazette of India dated the 6th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttarakhand.

(x) S.O. 838(E) published in Gazette of India dated the 12th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttarakhand.

(xi) S.O. 1007(E) published in Gazette of India dated the 4th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Haryana.

(xii) S.O. 1019(E) published in Gazette of India dated the 5th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71A (Rohtak-Panipat Section) in the State of Haryana.

(xiii) S.O. 1455(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (Zirakpur-Panchkula-Kalka Section) in the State of Haryana.

(xiv) S.O. 1201(E) to S.O. 1203(E) published in Gazette of India dated the 20th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 71A (Rohtak-Panipat Section) in the State of Haryana.

(xv) S.O. 1375(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71A (Rohtak-Panipat Section) in the State of Haryana.

(xvi) S.O. 814(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Jabalpur-Rajmarg Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xvii) S.O. 954(E) and S.O. 955(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 26(B) (Narsinghpur/Chhindwara Disrict Border-Amarwara Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xviii) S.O. 1015(E) published in Gazette of India dated the 5th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69(A) (Multai-Betul/Chhindwara District Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xix) S.O. 949(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69(A) in the State of Madhya Pradesh.

(xx) S.O. 1071(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh.

(xxi) S.O. 1078(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 (Indore-MP/Gujarat Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xxii) S.O. 632(E) published in Gazette of India dated the 22nd March, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Moradabad-Bareilly Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxiii) S.O. 798(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 25 (Jhansi-Bhognipur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxiv) S.O. 815(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 84 (Patna-Buxar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxv) S.O. 894(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Moradabad-Bareilly Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxvi) S.O. 1020(E) published in Gazette of India dated the 5th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxvii) S.O. 1022(E) published in Gazette of India dated the 5th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Meerut-Muzaffarnagar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxviii) S.O. 1077(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 11 (Agra-Bharatpur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxix) S.O. 1167(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxx) S.O. 1044(E) published in Gazette of India dated the 10th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 17 (Kannur Section) in the State of Kerala.

(xxxi) S.O. 837(E) published in Gazette of India dated the 12th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 17 (Kannur-Kuttipuram Section) in the State of Kerala.

(xxxii) S.O. 1165(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 210 (Karaikudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu.

(xxxiii) S.O. 1270(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Madras-Vijayawada Section) in the State of Tamil Nadu.

(xxxiv) S.O. 1162(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 785(E) dated the 19th March, 2009.

(xxxv) S.O. 1163(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Bahadurgarh-Rohtak Section) in the State of Haryana.

(xxxvi) S.O. 1164(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1713(E) dated the 13th July, 2009.

(xxxvii) S.O. 1091(E) published in Gazette of India dated the 14th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. NE-II (Eastern Peripheral Expressway) (Sonepat Section) in the State of Haryana.

(xxxviii) S.O. 1289(E) published in Gazette of India dated the 1st June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 in the State of Haryana.

(xxxix) S.O. 1290(E) published in Gazette of India dated the 1st June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (including new bypasses) in the State of Haryana.

(xl) S.O. 897(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 1 (Panipat-Jallandhar Section) in the State of Haryana.

(xli) S.O. 898(E) to S.O. 900(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 1 (Panipat-Jallandhar Section) in the State of Haryana.

(xlii) S.O. 1452(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 514(E) dated the 7th April, 2006.

(xliii) S.O. 813(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Jabalpur-Rajmarg Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xliv) S.O. 836(E) published in Gazette of India dated the 12th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69A (Chhindwara-Chhindwara/Seoni District border) in the State of Madhya Pradesh.

(xlv) S.O. 948(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69(A) (Betul/Chhindwara District-Border-Chhindwara Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xlvi) S.O. 950(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) (Umaranala-Madhya Pradesh/Maharashtra State Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xlvii) S.O. 951(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) (Imlikhera Junction-Linga Village Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xlviii) S.O. 952(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 69A (Chhindwara-Chhindwara/Seoni District border) in the State of Madhya Pradesh.

(xlix) S.O. 953(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) (Amarwara-Chhindwara Section) in the State of Madhya Pradesh.

(l) S.O. 965(E) published in Gazette of India dated the 27th April, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 3197(E) dated the 14th December, 2009.

(li) S.O. 971(E) published in Gazette of India dated the 27th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B)

(Narsinghpur/Chhindwara District Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(lii) S.O. 1018(E) published in Gazette of India dated the 5th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) (Chhindwara Bypass Section) in the State of Madhya Pradesh.

(liii) S.O. 1069(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Khalghat-M.P./Maharashtra Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(liv) S.O. 1079(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Jhansi-Khajuraho Section) in the State of Madhya Pradesh.

(lv) S.O. 1168(E) published in Gazette of India dated the 18th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Khalghat-M.P./Maharashtra Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(lvi) S.O. 1198(E) published in Gazette of India dated the 20th May, 2010, authorising the Land Acquisition Officer and Sub-Divisional (Revenue), Chhindwara, as the Competent Authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 26(B) (Chhindwara bypass Section) in the State of Madhya Pradesh.

(lvii) S.O. 1227(E) published in Gazette of India dated the 25th May, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 525(E) dated the 9th April, 2007.

(lviii) S.O. 1291(E) published in Gazette of India dated the 1st June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 167(E) dated the 22nd January, 2010.

(lix) S.O. 1364(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 887(E) dated the 13th June, 2006.

(lx) S.O. 1365(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 464(E) dated the 26th May, 1998.

(lxi) S.O. 1366(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2457(E) dated the 24th September, 2009.

(lxii) S.O. 1457(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 in the State of Karnataka.

(lxiii) S.O. 1066(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Mulbagal-AP/Karnataka Border Section) in the State of Karnataka.

(lxiv) S.O. 1180(E) to S.O. 1182(E) published in Gazette of India dated the 19th May, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 13 (Bijapur-Hungund Section) in the State of Karnataka.

(lxv) S.O. 910(E) published in Gazette of India dated the 21st April, 2010, regarding entrustment of National Highway stretches to National Highway Authority of India from State Government of Madhya Pradesh.

(lxvi) S.O. 911(E) published in Gazette of India dated the 21st April, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005.

(lxvii) S.O. 1035(E) published in Gazette of India dated the 7th May, 2010, regarding entrustment of National Highway stretches/routes under NHDP Phases to National Highway Authority of India for its development and maintenance in various States/UTs.

(lxviii) S.O. 1036(E) published in Gazette of India dated the 7th May, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005.

(lxix) S.O. 1037(E) published in Gazette of India dated the 7th May, 2010, regarding entrustment of newly declared National Highways No. 69A and 26B in the State of Madhya Pradesh to National Highway Authority of India for its maintenance and development.

(lxx) S.O. 1520(E) published in Gazette of India dated the 24th June, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005.

(lxxi) S.O. 1521(E) published in Gazette of India dated the 24th June, 2010, regarding entrustment of National Highways stretches routes of National Highways Nos., mentioned therein, in Uttar Pradesh under NHDP Phases-IVA to National Highway Authority of India for its development and maintenance.

(lxxii) S.O. 882(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Bharol-Dahisar Section) in the State of Maharashtra.

(lxxiii) S.O. 808(E) published in Gazette of India dated the 9th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Talegaon-Amravati Section) in the State of Maharashtra.

(lxxiv) S.O. 833(E) published in Gazette of India dated the 12th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

and operation of National Highway No. 6 (Talegaon-Amravati Section) in the State of Maharashtra.

(lxxv) S.O. 896(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (Pune-Solapur Section) in the State of Maharashtra.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): On behalf of my colleague Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

(1) Notification No. 80/2010-Customs published in Gazette of India dated the 10th August, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to amend Notification No.21/2002-Customs dated 1st March, 2002.

(2) Notification No.81/2010-Customs published in Gazette of India dated the 10th August, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to amend Notification No.20/2006-Customs dated 1st March, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 2815/15/10)

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August, 2010 agreed without any amendment to the Securities and Insurance Laws (Amendment and Validation) Bill, 2010 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2010."

12.02½ hrs.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
7th to 9th Reports

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(1) वर्ष 2009-10 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) 'विद्युत परियोजना का वित्तपोषण' के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

12.03 hrs.

RESCHEDULING OF BUSINESS IN THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं कि कल आपस में फैसले से यह तय हुआ था कि कॉमनवैल्थ गेम्स पर बहस पूरी हो चुकी थी, आज उसका जवाब होगा। पहले लैजिस्लेटिव बिजनैस लिया जायेगा, उसके बाद आगे की जो चर्चा, भोपाल गैस पर है, वह ली जायेगी। आज की लिस्ट ऑफ बिजनैस में थोड़ा अंतर है। इसलिये, मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जैसे कल फैसला हुआ था, उसके मुताबिक आज का काम कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कल आप लोगों ने ही तय किया था कि जो कॉमनवैल्थ गेम्स पर वाद-विवाद पूरा हो चुका है, उस पर मंत्री जी ने कल जवाब नहीं दिया, वह आज जवाब देंगे।

12.04 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Alleged support to Maoists by a Union Minister in a rally

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदया ने मुझसे कहा था कि शून्य प्रहर में मैं अपना विषय उपस्थित करूं । अगर आप मुझे परमीशन देंगे तो मैं अपनी बात रखूं। मैं आपका आभारी हूं कि...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, कभी भी कोई संकट पैदा होगा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको बाद में मौका मिलेगा।

श्री गोपीनाथ मुंडे : महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दा उपस्थित कर रहा हूं। लालगढ़ में एक रैली में केंद्र की रेलवे मंत्री...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर की लिस्ट में आपका नाम है।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : जीरो ऑवर में मुझे स्पीकर महोदया ने परमीशन दी थी। सुश्री ममता जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वह बहुत गंभीर है।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो आपरेशन ग्रीन हैंड चला रही है, उसे रोकना चाहिए। नक्सली मूवमेंट को लेकर केंद्र और राज्य मिलकर जो संयुक्त अभियान चला रहे हैं, उसे भी रोकना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद जिले में जो आजाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वह असली मुठभेड़ नहीं है, उसका मर्डर किया गया है।...(व्यवधान) उन्होंने उसकी जांच की मांग की है। इतना ही नहीं केंद्र की पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के द्वारा जो नक्सली मारे जा रहे हैं, उन्हें बेगुनाह कहा है।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि बंदूक के आधार पर शांति स्थापित नहीं की जा सकती है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : जी, मैं संक्षेप में ही रख रहा हूं। मेरा सवाल है कि क्या केंद्र सरकार आजाद की हत्या की सीबीआई से जांच करवायेगी?...(व्यवधान) जो आपरेशन ग्रीन हैंड हैं, उसके बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री या सदन के नेता बयान देंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : 216 जिलों में नक्सली मूवमेंट को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, उन्हें वह उठायेगी या नहीं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में कहिये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : दिग्विजय सिंह पार्टी में और सरकार में, नक्सलाइट के प्रति...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिये और लोगों को भी अपनी बात कहनी है।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : सरकार की पॉलिसी का विरोध होता है।...(व्यवधान) रेलवे मंत्री कह रही हैं कि आपरेशन ग्रीन हैंड बंद होगा, ये कह रहे हैं कि चल रहा है तो सही नीति क्या है?...(व्यवधान) हम सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या आजाद के उस मुठभेड़ में मारे जाने की सीबीआई जांच करायी जायेगी? क्या आपरेशन ग्रीन हैंड रेलवे मंत्री की मांग पर बंद होगा?...(व्यवधान) चार राज्यों और 216 जिलों में, जैसे दंतेवाड़ा में हुआ, उसके बारे में केंद्र सरकार के एक मंत्री एक बात कह रहे हैं और दूसरे मंत्री दूसरी बात कह रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : केंद्र सरकार की असली भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, प्रधानमंत्री जी किसी भी चीज पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) केन्द्र के दोनों मंत्री अलग-अलग भूमिका रख रहे हैं और प्रधानमंत्री और सदन के नेता भी खामोश हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : मुझे लगता है कि इसके बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री, ...(व्यवधान) सदन के नेता या प्रधानमंत्री जी...(व्यवधान) नक्सलियों के बारे में केंद्र सरकार की नीति क्या है, उनके खिलाफ एक्शन का

जो प्रोग्राम बनाया है, उसे आगे चलायेंगे या नहीं, इसके बारे में सदन के नेता या प्रधानमंत्री जी बयान दें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

12.08 hrs.

At this stage, Shri Sudip Bandopadhyay and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. लिंगम।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी सीठ पर जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

12.09 hrs.

At this stage, Shri Sudip Bandopadhyay and some other hon. Members went back to their seats

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, उसे दुर्भाग्यजनक कहा है, तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर...(व्यवधान) माओइस्ट की जिस रैली के बारे में हमने कल यहां बताया, कुछ दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री बंस गोपाल चौधरी : जब लालगढ़ में वहां पहुंचे थे, वे पूरे पश्चिम मिदनापुर इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहुंचे थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker Sir, the hon. Members have raised the issue. We will ascertain the position from the hon. Railway Minister. At this stage, I cannot say anything beyond that unless we ascertain the position from the hon. Railway Minister… (*Interruptions*)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Sir, I have not finished… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बंदोपाध्याय जी इधर देखकर बात कीजिए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री सुदीप बंदोपाध्याय का रिकार्ड में जाएगा।

…(व्यवधान) *

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, Lalgarh was visited by hon. Home Minister, Shri P. Chidambaram last month… (*Interruptions*) Kumari Mamata Banerjee, hon. Railway Minister of India went as the Chairperson of the Trinamool Congress Party… (*Interruptions*) She addressed a public meeting over there… (*Interruptions*) She gave a call… (*Interruptions*) We are against the politics of killing. We are against the politics of violence and we want to see that peace and harmony prevails there… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, Kumari Mamata Banerjee can bring peace in the area… (*Interruptions*) The whole House should extend its support behind her… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep silence.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, Kumari Mamata is a person who has the courage… (*Interruptions*) The Central forces have to be withdrawn immediately because CPI(M) is taking their support… (*Interruptions*) and trying to capture its lost area… (*Interruptions*) Sir, Trinamool Congress Party is a Party which believes in the philosophy of peace and harmony… (*Interruptions*) It believes in the development of the area… (*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने दोनों को एक साथ बोलने को कहा है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने उनको नहीं बुलाया है, हमने इनको बुलाया है।

…(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों को एक-एक करके बोलने के लिए समय दीजिए और जिसको पहले बुलाना चाहते हैं, उसका नाम एनाउंस कर दीजिए, ताकि सदन ठीक से चल सके। न इनकी बात सुनायी पड़ रही है, न उनकी बात सुनायी पड़ रही है। जब गोपीनाथ मुंडे बोल रहे थे, तब भी कोई बात सुनायी नहीं पड़ रही थी। इस तरह से कैसे सदन चलेगा?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले श्री सुदीप बंदोपाध्याय को बोलने के लिए बुलाया है।

…(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Sir, allow me to speak first… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay may speak briefly.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, I will take two-three minutes and will be brief.

Sir, Shri P. Chidambaram visited Lalgarh only a few days back as the Home Minister of the country. Kumari Mamata Banerjee as the Chairperson of the Trinamool Congress Party has gone to Lalgarh because this area is a totally backward area. People are fighting with starvation. Hungry people are fighting with hunger. There is no question of development persisting.

Kumari Mamata Banerjee went with a message that she is totally opposed to the politics of killings and that she is totally opposed to the politics of violence and whichever political party may be there, killings to be stopped there. The

appeal made by the Central Government is that every person, every political party has to respond leaving their arms behind. What more political message can be given by a political leader who has the courage? We hope that not only the Government of India but all the political parties extend their support to Kumari Mamata Banerjee. This is a new line she has introduced by which the Maoists and the Naxals problem can be solved and sorted out.

When Kumari Mamata Banerjee was coming back after attending the meeting, a lorry struck into a vehicle of her convoy in spite of her getting the 'Z' Plus category security. How could this have happened? She is sick. She is ill. She could have died yesterday on the Kolaghat bridge. She has been admitted to a hospital.

She got hurt on her head. Nobody is caring. She went there; more than one hundred thousand people gathered. They are common people. These people are fighting with hunger every day, every moment. There is no development. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : There is no school, no college, no hospital, nothing since the last 35 years of Left Front regime. The Central forces are there since last one year. Not a single step has taken place. CPI(M) is taking the support of the Central forces. They are entering into the villages and trying to capture their lost political base. Nobody is caring. What will the Central forces do? My appeal to the whole House is that it is no question of politics. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Whether any Maoist leader or any CPI(M) leader or any Trinamool leader or any Congress leader, whoever, is killed, we are shocked by the killings. We are totally opposed to the philosophy of killings. We are firm believers of the principles of secularism, communal harmony and unity of the country. So, we believe that there is no politics into it. Trinamool Congress

has taken a lead by which this Maoist problem can be solved, can be sorted out not only in Bengal; but there can be a nice and positive solution throughout the country. Let the House bless and endorse her visit including the Government of India.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, actually, yesterday we tried to raise this issue in the House. With a humble request to every one, I would like to submit that if anybody is really interested to establish peace and harmony, she or he has to bear in mind that she or he should not play with the interest of the common, poor, tribal, villagers, those who have been killed in West Medinipur in the last two-three months.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने अपनी बात बोल दी। कृपया आप बैठिए।

...(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Sir, I did not disturb them.… (*Interruptions*) There is a proverb in Bengal "*Chorer Mayer Boro Gola*"… (*Interruptions*)

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): इन्होंने पेड़ काटकर बेच दिए। जंगलों के पेड़ काट दिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Sir, when they spoke, we did not try to resist. I did not try to resist Shri Sudip Bandyopadhyay, who is an old friend of mine from West Bengal Legislative Assembly. Actually I am describing the fact

which is going on in West Medinipur district where Mr. P. Chidambaram, hon. Union Home Minister visited. In his capacity of Union Home Minister, he met the hon. Chief Minister of West Bengal, Shri Buddhadeb Bhattacharya. Lot of assistance form the Government of India, he tried to assist there, and there was very close discussion with the Union Home Minister to combat the Maoist forces.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : What happened there yesterday is shameful on the part of any Union Minister. It is shameful because when hon. Prime Minister is telling that this is unfortunate. The accused person, the person who was involved in the Gyaneshwari Express accident, was leading the rally. Naturally this person has a close liaison with the Maoist activity. …

(*Interruptions*)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Sir, he is misleading the House.…

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chowdhury, please wind up.

… (*Interruptions*)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Actually not only these persons are in the rally, these persons are involved in the so-called Jansadharan Committee. There they are in the open organization of the Maoists.

The Government has already imposed Section 144 but even then the Central Minister, after taking Oath, has gone there for giving some impetus to the Maoist people. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। Please wind up.

…(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : The convoy of the Chief Minister of West Bengal and the convoy of the then Minister of Steel, Shri Ram Vilas Paswan were attacked by the Maoists there to kill them. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको बाद में मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : We demand a Statement either from the Home Minister or from the Prime Minister on the floor of the House. … (*Interruptions*) It is not the problem of CPI (M) alone. It is the problem of the entire country. We are facing this problem in Dantewada and also in other places. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'. Shri P. Lingam.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri P. Lingam, please speak now. उनका रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(Interruptions) … *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको बाद में मौका मिलेगा.

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे, कृपया धीरज रखिये।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): SHRI P. LINGAM (TENKASI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this august House to the pathetic state of affairs pertaining to the internally displaced Tamils in Sri Lanka who are still languishing in make-shift camps away from their residential areas as refugees within their own country.

Our Indian nation is really concerned and keen to ensure that rehabilitation and relief measures reach the Tamils in Sri Lanka. Through this august House we have sent about Rs. 500 crore for the rehabilitation and relief required for the hapless Tamils there. A lurking fear and a lingering doubt is there in our minds about the way in which the funds sent from here is being spent. We learn that most of the displaced Tamils are still there in those camps in subhuman conditions. Atrocities against them are said to be continuing still.

There are reports that the funds sent by India is being misused or diverted to settle Sinhalese in the Tamil populated areas. The areas in which traditionally Tamils used to live are being taken over and offered to Sinhalese settlers by the Government of Sri Lanka. Even after the Government's operations against militants have come to an end, there is no solution in sight as yet. The internally displaced Tamils have not got the benefits intended to be extended by India. We are skeptical about the way in which our funds are spent on rehabilitation measures for Sri Lankan Tamils. In order to ascertain the facts and the ground reality, a Parliamentary Delegation must be sent to Sri Lanka. Since our Parliament authorized the Government apportioning funds for the rehabilitation measures, we have a moral duty to oversee the resettlement programme. Our Parliamentary Delegation must also see that there is no human rights violation.

I urge upon the Government, through this august House, to send a Parliamentary Delegation to Sri Lanka at the earliest. Either the Standing Committee on External Affairs or a Parliamentary Committee comprising of

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

people's representatives from various parties nominated by the hon. Speaker be sent to Sri Lanka. They must study the situation prevailing over there and to monitor the rehabilitation and relief measures carried out with the funds authorized by the Indian Parliament. There is also a UN effort to study the ground reality and to find out whether there was gross injustice, genocide and human rights violations during the last days of operation against militants. Hence there is an urgent need to send a fact finding team of parliamentarians from India. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुक्मदेव नारायण यादव. अब उनका रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(Interruptions) … *

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): वे बोल रहे हैं, दोनों कैसे बोलें?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात ही रिकार्ड पर जा रही है।

…(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और देश का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से आदरणीय वित्त मित्र जी भी सदन में मौजूद हैं। जितनी देश में समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या अमीरी और गरीबी की, उद्योग और कृषि की, शहर और गांव की आमदनी में जो विषमता बढ़ती जा रही है और उसमें जो इतनी लम्बी-चौड़ी खाई हो गई है, इन सारे विषयों पर सदन में बहस होती है, लेकिन अमीरी-गरीबी की विषमता कैसे मिटे,

उद्योग, व्यवसाय और कृषि में जो विषमता है, उनकी आय में जो फर्क है, वह कैसे कम हो? गांव और शहर में जो विषमता है और उनकी आय में जो फर्क है, उसे कैसे कम किया जाए? अगर इन तीनों विषमताओं को कम नही किया जाएगा, खाई को पाटने का प्रबंध नहीं किया जाएगा, तो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। आने वाले दस वर्षों में इन्हीं समस्याओं पर इस देश में गृहयुद्ध होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। सारा देश जल जाएगा …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

---

* Not recorded

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्योंकि किसान मर रहा है, गांव वाला मर रहा है, गरीब मर रहा है और कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। इस पर सदन में विशेष रूप से बहस होनी चाहिए। नियम 193 की नोटिस हम लोगों ने दी है, उसको चर्चा में लेकर सरकार इस पर बहस कराये। यही शून्य काल का मेरा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. राजन सुशान्त अपने आपको श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आजकल सरकार की ओर से जल संसाधन के कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके, ढलान, जंगल एवं गांव-परिसर में बहने वाले पानी को रोकने का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत निर्माण की योजना इस देश में लागू की। गांव-गांव में पीने का पानी नहीं था, उनको पानी दिया। आज जितनी बारिश हो रही है, उसका पूरा पानी बहकर जा रहा है, उसके साथ मिट्टी का स्तर भी बहता जा रहा है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी रोजगार योजना ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए जिससे दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका मिल सके।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : उस योजना से हर राज्य को बहुत पैसा बजट में सरकार दे रही है, मगर आउटपुट कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहती हूं कि महात्मा गांधी रोजगार योजना में जल संसाधन के काम को बड़े जोरशोर से लिए जाएं। वन विभाग, कृषि विभाग और इरीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से यह काम होना चाहिए। गांव-गांव में जो छोटे-बड़े नाले हैं, उनको अड़ाकर, बांध डालकर उनका पानी रोकना चाहिए। इसका प्रबंध शासन करे। मुझे सरकार से यही कहना है।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए अविभाजित राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एरियर की राशि व बढ़े हुए डी.ए. का लाभ न मिलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों में भारी रोष है।

वर्ष 2000 में पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारी / अधिकारी, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सरकार की उपेक्षा के चलते परेशान हैं। इन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत एरियर व केंद्र द्वारा स्वीकृत आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि देने में उत्तराखंड सरकार आनाकानी कर रही है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि राज्य गठन से पूर्व

सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को एरियर व डी.ए. देने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इन कर्मचारियों की मांग को नजरअंदाज कर रही है।

पृथक उत्तराखंड के गठन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए करीब चालीस हजार कर्मचारी एवं अधिकारी उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से आहत हैं। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन में इन कर्मचारियों के त्याग की एक अहम भूमिका रही। उत्तराखंड राज्य गठन के लिए 90 के दशक में चले प्रचंड आंदोलन के दौरान इन राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी रोजी -रोटी की चिंता किए बगैर तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला गया था। इसके बावजूद इन पेंशनरों के प्रति उत्तराखंड सरकार की बेरूखी से उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं इन पेंशनरों को भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य गठन के दौरान राज्य पुनर्गठन विधेयक में कर्मचारियों के बंटवारे व पेंशन आदि पर स्पष्ट नीति न बनने का खामियाजा इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों को उठाना पड़ रहा है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह दो राज्यों के मध्य विवाद होने के कारण इस मामले में हस्तक्षेप कर करीब चालीस हजार प्रभावित पेंशनरों को राहत दिलवाये।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to raise the following matter of urgent public importance which requires the immediate attention of this House.

Sir, a large number of Indians are living in the Gulf countries where they have gone to make a living. But, of late, the crimes by Indians against Indians are on the increase. This is mainly due to the fact that a growing number of Indian managers recruit the Indian workers charging extortionist rates and then deny them their assured salary and other basic human rights. They further indulge in usury by diverting their pay roll, implicate those who protest in false cases and have them imprisoned or banned from leaving the Gulf countries.

Then, there is a confusion regarding Citizenship by Descent. A number of persons born to Indian parents are languishing in the Gulf countries without Indian passports.

Parents are supposed to register a child at the embassy within one year of birth and obtain a passport. Due to ignorance and a variety of other reasons, some parents take several years to approach the embassy.

I understand that the embassies are empowered to issue passports only if the birth is registered within one year. For all others, the Home Ministry, back in India, is the competent Passport Issuing Authority. Without passport, these persons are not able to study or work or get treated in a hospital, open a bank account or even get married.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be brief.

SHRI M.K. RAGHAVA : I am coming to the point.

A number of Indian blue collar workers lack the resources to get treatment. Due to extremely harsh weather conditions, very difficult conditions of work and unhygienic conditions in the camps, many Indian workers get serious ill. Many companies neglect to provide even the basic medical care.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I am coming to the point.

The number of workers leaving the Gulf countries due to non-availability of medical care as well as the number of deaths due to heart attacks among the 30-year olds is increasing.

Therefore, I would like to suggest to set up a Task Force with judicial powers under the Central Government and empower it to implement deterrent measures like impounding the passports of proven offenders and even attaching their property in India, etc., for such fraudulent activities. Apart from this, the Indian Ambassadors should also be given magisterial powers to act upon at times of necessity. I believe that a couple of exemplary actions would suffice to deter the growth of this malaise.

Secondly, since they are Indian by descent, they need to be issued Indian passports regardless of how old they are now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI M.K. RAGHAVAN : I am coming to the point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not concluding. You are going on. Please wind up.

SHRI M.K. RAGHAVAN : The Indians by descent should be issued Indian passports regardless of how old they are now.

Medical treatment for the deserving cases should also be included in the Indian Community Welfare Fund that has been approved by our Government. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Adhir Chowdhury. Please be brief and do not elaborate.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, I would like to draw the attention of the House, especially to the Department in-charge of making payments under the Ministry of Rural Development in regard to the scheme, MNREGA which is recognized as a flagship programme of the UPA Government.

In the State of West Bengal for the last few months, the labourers who have done their jobs under this scheme have been denied the payment on the pretext that the State Government of West Bengal has failed to comply with the Management Information System (MIS) as has been introduced by the concerned Ministry in order to bring about transparency and integrity in this programme. But the fact is that the same legislation has prescribed that the labourers, who have done their jobs under this flagship programme, MNREGA, have to be paid their wages within the stipulated time of 14 days. But, Sir, no payment has been made to those poor labourers who have done their jobs under this scheme for the last few months.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Most of the Panchayati institutions in West Bengal are not equipped enough to comply with the prescribed norms of Management Information System (MIS).

What I am saying is that those labourers who have committed no fault by doing their jobs are being denied their wage that needs to be paid to those poor and vulnerable people of the State of West Bengal. Already monsoon has set in and Ramzan is going to be observed throughout the country. Murshidabad district in the State of West Bengal is recognised as a Muslim populated district in the country. So, I request the Ministry concerned to take immediate steps to address this problem. It is a serious matter.

Those poor people are being denied their payment under MGNREGA scheme. Only one server has been deployed by the Central Government to scrutinise MGNREGA works for all the States. The problem is that Panchayat Raj institutions load their data off line. But it will take 20-30 days to two months to come online. But, on this pretext the Central Government should not delay the payment of those poor and vulnerable people in the State of West Bengal. I do not know whether other States are also facing the same problem.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Civil Aviation through you in this august House. The hon. Minister for Hindu Religious Endowment of Tamil Nadu, Thiru K.R. Peria Karappan, went to the Chennai Airport with a valid wait-listed ticket to travel from Chennai to Madurai. But, to his surprise, even with a valid wait-listed ticket, he could only see the wife of an Indian Airlines officer traveling free of cost from Chennai to Madurai.

At the same time, I have also read in one of the newspapers *Mint* today about the sad financial status of Air India. Today it is reported that in the past six months of the fiscal year alone Air India has accumulated a loss of about Rs.2000 crore. Over and above, the Executive Director of Air India has stated that this is not a surprise to us.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The name should be deleted.

SHRI T.R. BAALU : He said, Rs.2000 crore loss is not a surprise to us. Our estimate as far as this fiscal year is concerned is going to be Rs.5000 crore. In this

state of affairs, Air India is not taking care of the Minister who has to travel with a valid wait-listed ticket. But, they have entertained the wife of an Indian Airlines officer free of cost. This state of affairs should be enquired into and proper action should be taken against whoever is found guilty for this.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सनातम धर्म को मानने वाले करोड़ों देशवासियों और विदेशों में रहने वाले हिन्दुओं के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केन्द्र बिहार के गया जिले में है। मुझे पिछले दिनों वहां जाने का मौका मिला। वहां दो तरह की तस्वीर है। एक तरफ बोधगया है, जिसे देखकर मन प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है। इसके साथ-साथ देश-विदेश से करोड़ों हिन्दु पिंड दान, श्राद्ध करने के लिए वहां आते हैं। सबकी मान्यता है कि उनके जो पितृ चले जाते हैं, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए यह सबसे बढ़िया और पवित्र धाम है।

लेकिन वहां मैं बड़ी भयंकर स्थिति देखकर आया हूं। मैं भारत सरकार से और विशेष तौर पर सदन के नेता वित्त मंत्री माननीय प्रणब मुखर्जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसकी ओर वह विशेष ध्यान दें और जो करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केन्द्र गया है, उसका पवित्र नगरी अमृतसर की तरह एक पवित्र नगरी घोषित करें। वहां की सड़कें, नालियों आदि को बेहतर बनाएं, वहां पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था ठीक बनाएं। वहां पर स्नान के लिए जो सरोवर हैं, उनको भी ठीक बनाएं और सब तरह से अच्छी व्यवस्था हो, ताकि देश-विदेश से करोड़ों लोग वहां अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आते हैं, उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और यह शहर एक बड़े आस्था और धर्म के केन्द्र के रूप में विश्वविख्यात दर्जा प्राप्त करे।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 10 अप्रैल, 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में ब्रांड इंडिया कंज्यूमर शो में हुए भीषण अग्निकांड में 64 लोगों की मृत्यु तथा 80 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मैं आज भी कभी उस दृश्य को याद करता हूं तो बहुत पीड़ा से भर जाता हूं। बिल्कुल काले जले हुए शरीर मेडिकल कॉलेज में पड़े हुए थे, तब विभिन्न राजनीति दलों के नेता मेरठ गए थे। यूपीए की चेयरपर्सन यहां विराजमान हैं, वह भी वहां गयी थीं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : जी, मैं बता रहा हूं।

मृतकों के परिवारों के लिए उस समय आर्थिक सहायता की घोषणा की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ओ.पी. गर्ग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था,

जिसने अपनी रिपोर्ट 5 जून, 2007 को दी थी जिसमें कंज्यूमर शो के आयोजकों के साथ-साथ जिला प्रशासन के तत्कालीन अधिकारियों को उक्त दुर्घटना के लिए दोषी पाया गया था तथा उनके लिए दण्ड की संस्तुति की गयी थी। उक्त अग्निकांड के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। एक बड़ी पीड़ा की बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि एक मृतक श्रीमती मालती तायल, जिनका शव गलती से बदल दिया गया था, जो काला पड़ा हुआ शव था, उसके स्थान पर वह शव चला गया था। जिला अधिकारी तथा जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन आज तक भी मालती तायल को मृत घोषित नहीं किया गया है। यह जो हादसा हुआ, इसमें आम आदमी का कोई कसूर नहीं था। प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन आज तक कोई मुआवजा किसी परिवार को नहीं दिया गया है। वहां पर दो ऐसे उदाहरण थे - एक, मृतक जावेद और दूसरा, पूजा जिन्होंने अपनी जान देकर अन्य लोगों की जान बचाई थी। उनको कबीर पुरस्कार देने की घोषणा की गयी थी, उसे पूरा नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और विक्टोरिया पार्क अग्निकांड पीड़ितों के सहायतार्थ किए गए वायदों पर अमल किया जाए, दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, मेरा यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you hon. Deputy-Speaker, Sir. It is humbly submitted that Vizianagaram district, Andhra Pradesh – despite its rich historical, cultural, archaeological and geographical background – experiences a setback in various fields and is listed as one of the most backward districts in the country. Various flagship schemes initiated by the Central Government and the State Government are in an accelerated pace and there is a need to make the people in the area aware of the benefits of these schemes. Majority of the tribal populace live in hilly regions and many more in surrounding villages and hamlets. The coastal areas with fishermen community need timely information. The people in Vizianagaram district headquarters too need to be informed and enlightened on different dimensions of the district development. Many cultural troupes and artists deserve exposure and encouragement.

To fulfil the above noble tasks, establishment of an AIR-FM station is quite necessary. The people of Vizianagaram have been dreaming of such a facility for

the past many years. The district administration is ready to allot necessary site for construction of FM station.

Sir, I request the Government, through you, to kindly initiate necessary steps to sanction one AIR-FM station at Vizianagaram immediately to fulfil the aspirations of the people of our district. Thank you very much.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I request the Government to urgently inquire into the mysterious deaths of young scientists in nuclear installations in our country. Within a year, four scientists died and 100 workers in nuclear installations were seriously affected by radiations. Both the dead and the ill-affected were working in our leading nuclear installations such as Bhabha Atomic Research Centre in Mumbai and Kaiga Atomic Power Station in Karnataka.

The matter of concern is that the authorities could not unearth the causes or are not ready to disclose the findings of these unnatural deaths and other casualties. Decomposed body of Shri L. Mahalingam, a Senior Scientific Officer at Kaiga Atomic Power Station was fished out from the Kali River. Shri Umang and Partha Pratim Bag were burnt to death in a mysterious fire in the modular lab of the Radiation and Photochemistry Department at the BARC. Both of them were young scientists at BARC. The RPD Lab is situated in the high security BARC Complex, which is one kilometer away from the nuclear reactors. What made suspicious the deaths of these two young researchers is that none of them were dealing with inflammable material.

In the similar vein, Shri Mahadevan Padmnabhan Iyer, a mechanical engineer at BARC, was found dead in his staff quarters in Mumbai. At first, it seemed that he had suffered a heart attack. The police presumed suicide, but the autopsy confirmed murder.

At the same time, 100 workers at the Kaiga Atomic Power Station fell ill after drinking tritium-laced water.

Even after several months since these mishaps occurred, there were no initiatives to find the causes behind them. Family members of the deceased were harassed during the time of police questioning.

It is learnt that the Trombay's Assistant Commissioner of Police has submitted a report regarding the deaths due to fire at BARC Lab. The BARC's internal inquiry report has also been submitted to the Government. Therefore, I request the Government to kindly disclose the findings of the report and take urgent steps in this regard. It is also imperative to ensure our nuclear safety.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर में सभी छोटे-बड़े उद्योग प्राय बंद हो चुके हैं, जिससे वहां पर अत्यधिक बेरोजगारी फैली हुई है। जिला भरतपुर, राजस्थान में सिमको बिड़ला रेलवे वैगंस बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्टरी थी, जो अब भी विद्यमान है। उस फैक्टरी की 500 वैगंस बनाने की क्षमता प्रतिमाह थी। उस फैक्टरी से वहां पर प्रत्यक्ष रूप से 5,000 मजदूर कार्यरत थे और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। फैक्टरी में आरडीएस और रेलवे के मानदंडों के अनुसार वैगंस का निर्माण किया जाता था। वे वैगंस रेलवे को सप्लाई किए जाते थे।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि और सदस्यों को भी मौका मिल सके।

श्री रतन सिंह : पिछले आठ वर्षों से वह फैक्टरी बंद है, जिससे उस एरिया में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए उसका अपग्रेडेशन कर दिया गया है और रेलवे बोर्ड के पास वैगंस के निर्माण के आदेश विचाराधीन हैं। वैगंस के आदेशों के बाद फैक्टरी पुनः चालू हो सकेगी। सिमको बिड़ला लिमिटेड, जिसने रेलवे बोर्ड के समक्ष निविदाएं प्रस्तुत की हैं, बताया गया है कि रेलवे बोर्ड की निविदाओं के मानदंडों के अनुसार वह न्यूनतम निविदाकर्ता है।

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि सिमको बिड़ला फैक्टरी को वैगंस निर्माण का आदेश जारी करने की कृपा करें, जिससे भरतपुर जिले के निवासियों को, युवाओं को, व्यवसाइयों को और मजदूरों को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी की समस्या का निदान हो। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस फैक्टरी को शीघ्र चालू कराने के लिए माननीय रेल मंत्री महोदया को निर्देशित करेंगे।

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर) उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दे रखा है कि एटीएम धारक ग्राहके अपने बैंक से बिना शुल्क के और दूसरे बैंक से एक महीने में चार बार बिना शुल्क के रुपयों की मुफ्त निकासी कर सकते हैं। चार बार से अधिक की निकासी पर उसे शुल्क देना होगा। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक रिजर्व बैंक के निर्देश का खुला उल्लंघन कर रहे हैं और हर बार की निकासी पर ग्राहक से शुल्क काट रहे हैं। इस प्रकार निजी बैंक हर बार शुल्क काट कर एटीएम धारकों के साथ नाइंसाफी तो कर ही रहे हैं वरन् भारत सरकार की घोषित जनपक्षीय नीतियों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। अतः माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी मांग है कि वे निजी बैंकों की इस मनमानी पर रोक लगाने और रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार एटीएम से चार बार रुपये निकालने पर कोई शुल्क न लेने का निजी बैंकों को निर्देश दें।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक आदिवासी क्षेत्र की दर्दभरी कहानी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेलघाट एक आदिवासी क्षेत्र है, जो मेरे अमरावती चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। मेलघाट में एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है। इस टाइगर प्रोजेक्ट के बगल में एक जोरुदा गांव है। बुधवार चार तारीख को आठ बजे का समय था, इलाके में बिजली नहीं थी। एक भालू ने गांव में प्रवेश किया, जहां 1200 विद्यार्थियों का एक होस्टल है और उसके बगल में एक फॉरेस्ट ऑफिस है। जब भालू को वहां के चौकीदार ने देखा तो उसने अपनी कम्बल उसके ऊपर फैंक दी, वह बच गया, लेकिन भालू सीधा फिर फॉरेस्ट ऑफिस में गया जहां एक नौजवान फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसी दिन ड्यूटी ज्वाइन की थी। भालू ने उसे बाहर खींचकर मार दिया। उसकी मदद के लिए जब एक आदिवासी वहां आया तो भालू ने उसे भी मार दिया। वह आदिवासी एक हैडमास्टर था, जब उसकी मदद के लिए एक विद्यार्थी वहां आया तो भालू ने उसे भी मार दिया और फिर एक चौथा आदमी मदद के लिए आया तो उसे भी मार दिया। तीन घंटे तक यह खेल उस जोरुदा गांव में चला। चार लोग एक साथ मारे गये हैं। यहां सदन के माननीय नेता बैठे हैं, मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि टाइगर प्रोजैक्ट सन् 2007 में वहां आया और वहां के जो 28 गांवों का पुनर्वास करना है, वह अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन टाइगर प्रोजैक्ट पर अमल कानून के हिसाब से किया जाता है, अधिकारी लोग आदिवासियों को वहां तकलीफ देते हैं, उनकी गाय-भैंस चरने नहीं देते हैं, उनका रहना वहां मुश्किल हो रहा है। अगर उनका पुनर्वास हो जाता तो यह नौबत नहीं आती। सेंसस के हिसाब से वहां पर 59 टाइगर्स हैं, बहुत से भालू वहां हैं और कोई भी हादसा वहां हो सकता है। आज वहां दो लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है लेकिन ट्रेन या प्लेन में मरने पर पांच-पांच लाख का मुआवजा दिया जाता है। मेरी मांग है कि उन्हें भी कम से कम पांच लाख का मुआवजा दिया जाए और जो 19 गांवों के लिए 261 करोड़ रुपये की राशि जो घोषित है लेकिन गवर्नमेंट हर फैमली के लिए कम से कम 10 लाख रुपये देने

का वायदा कर चुकी है और वे 19 गांवों के लोग, गाइडलाइन्स के हिसाब से अपना पुनर्वास करने के लिए तैयार है। मेरी मांग है कि वह राशि जल्दी से जल्दी दी जाए, जिससे उनका पुनर्वास शीघ्र हो और जो लोग मारे गये हैं, उनकी फैमली के लिए पांच लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ संजय जायसवाल। उपस्थित नहीं।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जालोर सीरोही में पानी की बहुत समस्या है और सरकार ने वहां डार्क जोन घोषित किया है, जिसकी वजह से वहां पानी की और समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि बोरिंग, हैंडपम्प और कुएं आदि लगाने की वहां परमिशन नहीं मिल रही है। वहां राजस्थान के छोटे-बड़े किसान हैं। वहां पानी की बहुत समस्या है और इसके समाधान के लिए सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक पहल नहीं की गई है। आज पानी की समस्या वहां बहुत विकट होती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे वहां नर्मदा नदी है और फंड कम होने के कारण, मैंने पिछली बार भी सभा में कहा था कि राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, इस वजह से यह परियोजना पूरे जालोर में लागू नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक विशेष पैकेज दे कर जालौर और सिराही जिले को जो नर्मदा नदी से पानी मिलने वाला है, वह पानी मिले। इसका एक कारण यह भी है कि हम नर्मदा नदी का पानी व्यर्थ में लूनी नदी में डाल रहे हैं। वह पानी व्यर्थ जा रहा है और उसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे वहां पाइप लाइन भी डल चुकी हैं, लेकिन डैम बनाने के लिए भूमि ओप्ट करनी है, वह तेतरोल गांव की भूमि ओप्ट नहीं की जा रही है। तेतरोल गांव की उस भूमि को ओप्ट करने के लिए सरकार विलम्ब कर रही है।

मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और सरकार से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक विशेष पैकेज दे कर नर्मदा नदी का पानी जालौर और सिरोही जिले को मिल सके।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण निर्णय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सदन का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 2009 को रायबरेली जनपद उत्तर प्रदेश ऊंचाहार रेलवे फाटक पर एक ट्रैक्टर ट्राली से रेल दुर्घटना की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुई, जो सभी लोग मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी के निवासी थे। इसी दौरान 27 जनवरी, 2009 को लालगंज रेलवे कोच फैक्टरी के शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने प्रत्येक मृतक परिवार को एक-एक लाख रुपए का चैक दिया था और यह भी घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार में से एक-एक व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी भी दी जाएगी। स्पष्ट

घोषणा के बावजूद आज तक किसी भी परिवार को नौकरी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस अवसर पर तत्कालीन रेल मंत्री जी के साथ आरणीया सोनिया जी और राहुल गांधी जी इस आयोजन में उपस्थित थे। मेरे द्वारा इस संबंध में सदन में प्रश्न पूछा गया था, जिसके उत्तर में यह तो स्वीकार किया गया कि नौकरी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन तकनीकी बहाना बता कर नौकरी देने से मना कर दिया गया। पिछले दिनों रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक परिवार को पांच-पांच लाख रुपया और एक नौकरी देने की घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने की है। अगर पश्चिमी बंगाल में रेल दुर्घटना होती है और उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना होती है, तो उसका मानक बराबर रहना चाहिए।...(व्यवधान) मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को जरूर नौकरी दी जाए।

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है और माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है। मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपया और नौकरी देने की घोषणा एक जनसभा में की थी। यह बात बिलकुल सत्य है और हमारे अधिकारी तथा पदाधिकारी सभी जनसभा में मौजूद थे। लेकिन अब हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि मैं अपने पद पर नहीं हूं।

13.00 hrs.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Respected Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the House to the fact that on the 19th of July 2010 in Lakshadweep Islands, in the northern group of Kiltan island some students were protesting in the premises of Government High School Kiltan for appointment of regular teachers. The students were opposing the apathetic attitude towards the students. They were concerned about their future. The Lakshadweep Administration was very apathetic and was not giving much attention to the students. There was firing on the students who were unarmed. The firing was ordered by the Sub-Divisional Officer. I would urge the Government to intervene in the matter and ensure that regular teachers are appointed in the Government High School. I would also request the Government to fix the responsibility against the officer who ordered firing without application of mind on the unarmed students.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सचमुच बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मुंबई शहर में लोगों के बीच आतंक छाया हुआ है और मैं इसकी तरफ सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई में करीब 1,30,00,000 लाख लोग रहते हैं और इसके तीनों तरफ समुद्र है। ऐसे शहर में मुंबई पोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर 7 अगस्त को दो बड़े शिप टकरा गए। ये शिप ऐसे थे कि एक शिप में लगभग 1300-1400 कंटेनर समा सकते हैं। एमएससी - चित्रा और खालीजिया, दो शिप टकराने के बाद एक शिप में से 300-400 कंटेनर समुद्र में गिर गए हैं। अब सचमुच कितने कंटेनर गिरे हैं, यह कहना मुश्किल है। ऐसा अखबारों में आ रहा है कि इन कंटेनरों के गिरने के बाद लगभग 400 टन से ज्यादा जहरीले केमिकल्स समुद्र में फैल रहे हैं। अब कहां फैले हैं और ये किस प्रकार के केमिकल्स हैं, ये कितने खतरनाक हैं और इनका जन जीवन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, हमें इसके बारे में सूचना सरकार के माध्यम से मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। पिछले दो दिनों से लोगों में अफरातफरी का माहौल है कि यह शिप कौन सा है और किसका शिप है? मैंने सुना था कि एक हफ्ते पहले यही शिप एक अन्य शिप के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि यह सिर्फ दुर्घटना है या जानबूझकर हो रहा है? पर्यावरण की दृष्टि से इसका क्या असर हो सकता है? मुझे बहुत खुशी है कि इस समय मैं बोल रहा हूं और यहां अति जागरुक पर्यावरण मंत्री, श्री जयराम रमेश जी आ गए हैं, मैं जयराम जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर एक वक्तव्य दें कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में इस जहर को कैसे न्यूट्रिलाइज कर सकती है? मुंबई के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, इस दिशा में क्या हो सकता है? इसके बारे में हमें, सदन और पूरे देश को बताएं।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑयल पूरे तटवर्ती इलाकों में फैल रहा है। मछुआरे वही मछली खा रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि कौन सी मछली में कौन सा जहर गया है। उन लोगों को कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जांच करे। यहां पॉल्यूशन तो हुआ ही है और इसके साथ मछुआरों के खाने पर भी संकट आ गया है। इस समय पैदाइश का पीरियड है। हम चाहते हैं कि सरकार जांच के आदेश दे।

श्री संजय निरुपम : माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, हमारा अनुरोध है कि वे इस बारे में एक जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम नहीं कह सकते हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Sir, I have already given notice to make a

suo motu statement on the environmental implications of the Bombay oil spill. Depending on the time that you allot, I am prepared to make the statement.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, हमने सम्मानित सदन में पिछले सत्र में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में जापानी एनसेफलाइटिस यानी दिमागी बुखार से हजारों की संख्या में जो बच्चे मर रहे हैं, इस संबंध में प्रस्ताव दिया था। और हमारे साथ योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था और उसके संबंध में स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी ने कहा था कि जितनी मैंने इसके उत्तर के संबंध में तैयारी की तो इस बीमारी की गंभीरता का मुझे अहसास हुआ और मैं निश्चित तौर पर खुद जाऊंगा, कतिपय कारणों से वह नहीं जा पाये। लेकिन उस पर माननीय आडवाणी जी ने भी कहा था कि बड़ी गम्भीर चर्चा हुई है। भारत सरकार ने एक टीम डा. वी.एम. कटोच की अध्यक्षता में भेजी है। मैं इस सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि यह बीमारी जलजनित होती है, क्योंकि जो भी संक्रामक रोग हैं, चाहे वे मच्छरजनति या जलजनित हों। अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है कि आज भी गोरखपुर के मैडिकल कालेज में करीब 575 मरीज भर्ती हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिये। आपका भाषण बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। वहां 137 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो बच्चे बच भी जाते हैं, वे मैन्टली रिटार्डेड हो जाते हैं, डिसएबिल्ड हो जाते हैं। इस जापानी इनसिफलाइटिस की बीमारी के कारण वे पूरे जीवन के लिए परिवार के ऊपर बोझ बन जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि अभी तक तो जापानी इनसिफलाइटिस से मौतें हो रही थीं, परंतु अब उस जापानी इनसिफलाइटिस के साथ एक एक्यूट इनसिफलाइटिस सिंड्रोम बीमारी शुरू हो गई है और इस एईएस की बीमारी का कारण भी अभी तक पता नहीं लगा है। मैं समझता हूं कि आज भी इस बीमारी के उपचार के लिए कोई दवा नहीं बन पाई है। अभी जो भी दवा है, वह केवल प्रिवेन्टिव है। केन्द्र सरकार ने 16 लाख वैक्सीन वहां के बच्चों के टीकाकरण के लिए अप्रैल के महीने में भेजे है। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि पहली मई से उत्तर प्रदेश सरकार को गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, देवीपाटन, आजमगढ़ मंडल में टीकाकरण करना था, जो पहली मई से प्रारम्भ होना था, लेकिन वह टीकाकरण शुरू नहीं हुआ। उसके बाद 13 मई से प्रारम्भ करने की बात कही गई...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : लेकिन टीकाकरण नहीं हुआ। 16 लाख वैक्सीन वापस बुला ली गईं। एक वैक्सीन की कीमत 18 रुपये ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, 74 लाख डोज कि डिमांग की गई थी, जिसे केन्द्र सरकार ने अभी तक नहीं भेजा है। यह गलत बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अपनी बात कह दूं, दारासिंह जी उसका उत्तर दे देंगे। ...(व्यवधान)
मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद आप उसका उत्तर दे दीजिए। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप उत्तर दे दें कुशल तिवारी जी, मैं कह रहा हूं कि 18 रुपये की वैक्सीन मिलती है और 16 लाख वैक्सीन केन्द्र सरकार ने वहां मुफ्त भेजी और वे मुफ्त वैक्सीन जो 76 लाख बच्चों को लगनी थीं...(व्यवधान) आज वहां की राज्य सरकार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके से डाक्टर...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप बैठ जाइये। धर्मेन्द्र यादव जी, आप बोलिये।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी...(व्यवधान) इस एक टीके की कीमत 18 रुपये थी और केन्द्र सरकार ने सारे टीके मुफ्त में दिये। लेकिन वहां टीकाकरण नहीं हुआ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जगदम्बिका जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रिकार्ड में नहीं जा रहा है। बैठ जाइये।

(Interruptions) ... *

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नई परम्परा नहीं है। संक्षेप में बोलने के लिए अवसर दिया जाता है, एक घंटा भाषण देने के लिए नहीं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश के करोड़ों नौजवानों की ओर से आज जो देश के अंदर भारत के लोग अपने ऊपर गौरव करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र की विडम्बना हम आपसे व्यक्त करना चाहते हैं। हम सदन का ध्यान देश के उन करोड़ों नौजवानों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिन नौजवानों ने आजादी के आंदोलन में न जाने कितनी कुर्बानियां दी। शहीद लाल पदमदर जैसे कितने लोगों ने ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिये।

---

* Not recorded

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जरूरी है तो संक्षेप में बोलिये। सभी का भाषण जरूरी है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने बहुत गोलियां खाईं। उपाध्यक्ष महोदय यह सुनना पड़ेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं आजादी के बाद जब स्वतंत्रता मिली, जब देश की व्यवस्था बनी...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिये, पुरानी कहानी मत दोहराइये।

श्री धर्मेन्द्र यादव : जब देश की व्यवस्था बनी तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र समूह का गठन किया गया और जब छात्र समूह का गठन हुआ तो छात्र संघ के लोगों ने देश के निर्माण में न जाने कितनी कुर्बानियां दी, न जाने कितना योगदान दिया। आज जिस गौरवशाली लोकतंत्र पर हम लोग गर्व कर रहे हैं,

इस लोकतंत्र के मंदिर में आने के लिए न जाने कितने नौजवानों ने अपना जीवन छात्र संघों के माध्यम से शुरु किया। मैं दावा करता हूं कि आज भी देश के दोनों सदनों के अंदर और आज से पहले भी जब-जब सदन गठित हुये हैं, छात्र संघों से निकलने वाले लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में यह सच है कि देश के अंदर ऐसे बहुत से नौजवान हैं लेकिन यह सच्चाई है कि ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में कहिये, इतनी देर तक नहीं चलेगा।

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष जी, आपको सुनना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि राजनैतिक पृष्ठभूमि से निकलने वाले नौजवान इस देश के सदन तक नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग नौजवानों की बड़ी चिन्ता करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो किसानों, गरीबों, मजलूमों , तमाम तरह के गरीब परिवारों के नौजवान हैं, उनमें कौन सा मंच बना हुआ है जिस मंच के माध्यम से वे सेवा कर सकें? इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ए.एम.यू ... , जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, इलाहाबाद आदि विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है।

(Interruptions) ...[*]

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। चौ. लाल सिंह, आप बोलिये।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मैं उसके लिये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि अर्जैंट मैटर का मकसद कहानी पढ़ने का नहीं होता है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये, आप कहानी क्यों बोल रहे हैं?

चौधरी लाल सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख का मसला है। आप जानते हैं कि लद्दाख में जो त्रासदी हुई है, जिस तरीके से उस इलाके के हालात खराब हो गये हैं, हजारों लोगों का पता नहीं चल रहा है कि वे कहां हैं? हां या नहीं या मर गये हैं? हमने कभी सोचा नहीं था कि लद्दाख जोकि एक डैड डैजर्ट है और डैजर्ट में कभी बारिश होती नहीं। अगर होगी तो थोड़ी सी होगी। अचानक इतना बड़ा बादल गिरा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह कहिये।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप सुनेंगे तो मैं कह पाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने मृत व्यक्ति के लिये एक एक लाख रुपया कंम्पनसेशन अनाऊंस किया है और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। यहां एक लाख रुपये की बात नहीं है लेकिन उन्हें आगे बचाने की बात है, उन्हें कैसे रिहैब्लिटेट करना है, वहां इनफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलेप करना है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लद्दाख में ये सारी चीजें कर पायेंगे तो लद्दाख दुबारा बन पायेगा क्योंकि वह पूरा का पूरा उजड़ गया है। सारे देश को इसके लिये अफसोस है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर जितनी मदद कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा मदद करके मसला सार्ट-आऊट करे।

[*] Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय : चौ. लाल सिंह ने जो मामला उठाया है, श्री मदन लाल शर्मा, डा. राजन सुशान्त और श्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम एसोसिएट किये जायें।

13.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.16 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

RESCHEDULING OF BUSINESS IN THE HOUSE – Contd.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Before we begin with any item on the List of Business I have to make one request. As per the List of Business, Discussion under Rule 193 on Bhopal Gas Tragedy was to begin at 2 p.m. In the morning there were discussions amongst various Leaders of different Parties and accordingly I wish to make this submission to you that at this time, leaving the List as such, you may kindly first take this item on the List of Business, that is the reply by the hon. Minister of Youth Affairs and Sports to the debate that took place yesterday. After that we may take up the discussion on the Industrial Disputes (Amendment) Bill. Thereafter, we may take this up for discussion. The Short Duration Discussion on Bhopal Gas Tragedy may be taken up tomorrow morning.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदय, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें इसलिए आपत्ति नहीं है कि अगर सीडब्ल्यूजी का जवाब और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बाद भोपाल गैस त्रासदी ली जाती है तो चर्चा की सारी गंभीरता समाप्त हो जाती है। वह बहुत दुखःदायी प्रकरण है। हम कल यह चाहेंगे कि जैसा आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, वैसा मान लिया जाये, लेकिन कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा शुरू हो जाये। ताकि शाम तक चर्चा समाप्त होकर उसका जवाब आ जाये।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, जो बात मैंने कही है, वह सभी माननीय सदस्यों की तरफ से कही है। सिर्फ एक बात है जो आपको कर लेना चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर उसे भी आप यहीं कह दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी बताइये।

श्री पवन कुमार बंसल : कल मुझे मालूम हुआ है कि शायद बारह बजे एक कालिंग अटैंशन लगा है, उसे परसों के लिए रख लीजिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कल वाला ध्यानाकर्षण परसों के लिए चला जाये। भोपाल गैस त्रासदी कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद ले लिया जाये ताकि शाम तक उस पर चर्चा होकर जवाब आ जाये।

श्री पवन कुमार बंसल : उसके बाद लैजिस्लेटिव बिजनेस ले लें। उसके लिए चार घंटे का समय तय कर लें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उसका जवाब आ जाये और फिर उसके बाद लैजिस्लेटिव बिजनेस ले लें।

श्री पवन कुमार बंसल : चार बजे तक वह रहे और उसके बाद फिर एक लैजिस्लेटिव बिजनेस ले लें। बारह बजे से चार बजे तक यह हो जायेगा तो इसके चार घंटे पूरे हो जायेंगे। उसके बाद अगर हम चार बजे से कोई एक लैजिस्लेटिव बिजनेस, कोई एक आइटम कल ले पायें तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह नया अरेंजमेंट हमें इसलिए मंजूर है क्योंकि कल चर्चा 12 बजे प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदय, मैं सहमत हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : यह आम सहमति से है, यह हमारी तरफ से नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं चेयर से कह रही हूं।

MR. CHAIRMAN: That is all right. As the House has agreed, the Bhopal Gas Tragedy will be taken up tomorrow after the Question Hour.

<u>14.18 hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. CHAIRMAN: Matters under Rule 377 may be laid on the Table of the House. Those hon. Members who want to lay their matters may be permitted to lay but they should send the slips at the Table within 20 minutes, as per the past practice.

(i)Need to regularize the services of "Trading Staff" working in Khadi Bhawans and extend rebate on Khadi products being sold through retail outlets of KVIC

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): The Khadi Bhawans at Delhi (2 nos) Calcutta, Bangalore, Goa, Cochin and other places sell Khadi products and its has earned a name for quality swadeshi products as a mark of simple life and also to encourage village industries. Besides, using Khadi products is a national symbol. The Central Government through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) encouraged to buy Khadi products through their retail outlets and rebate on Khadi products had been offered for 110 days in a year during the past years. But now, it has been reported that the rebate has been stopped and the retail outlets have been neglected.

The Khadi Bhawans which are the retail sale outlets have not been renovated for years. The sale of junk Khadi products was taking place during festive seasons and rebate was an attraction for this. Now that sale through this retail outlets will come down drastically and the income will also fall down.

There are 300 employees working as "Trading staff' in the Khadi Bhawans and 3000 'Regular Staff' who enjoy more benefits. Altogether, it seems that the Government is discouraging the sale of Khadi products through Khadi Bhawans by not regularizing the trading staff and by not renovating the Khadi Bhawans.

---

* Treated as laid on the Table

The KVIC which comes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, has to be revitalized by adopting suitable methods for the procurement and sale of quality Khadi products and the Khadi Bhawans have to be renovated to promote the sale of products. Government has to consider giving rebate for Khadi products for encouraging more people to buy Khadi. The Trading Staff have also to be encouraged by regularizing their job.

(ii) Need to take adequate security measures to check the presence of Somalian pirates near Minicoy islands in Arabian sea

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I would like to draw the kind attention of Government towards the presence of Somalian pirates in the Arabian Sea. Minicoy island of Lakshadweep is hardly 53 nautical miles from Maldives. It is an international boundary and strategically very crucial for our country.

On 3 May 2010, 3 Somalian nationals in a boat were caught in Minicoy Island by Lakshadweep Local Police on alarm raised by the locals and after information was passed to the Lakshadweep Police, 8 more Somalian Nationals in a mother vessel were caught by the Indian Coast Guard about 100 Nautical miles away from the coast of Kavaratti. The people in this far flung island are terrified. I Request the Government to take stern action to check any untoward incident in the form of terrorism or sea piracy

(iii) Need to ensure release of adequate water from Left Wing Channel of Neyyar Dam to Tamil Nadu as per the agreement signed between the Kerala and Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): The construction of Neyyar Dam and its Right and Left Wing Channels were started during the First Five Year Plan period. Under the Plan, Kerala and Tamil Nadu is to receive two-third and one-third of the water respectively from Neyyar Dam. This project is aimed at to provide adequate water to the farmers of 13 revenue villages in Vilavancode Taluk of Kanyakumari District in Tamil Nadu for their agricultural activities to the tune of 4,048-50 hectares of land. Besides, the project facilitates the farmers to the tail end of its catchment area in Tirunelveli district. This project is fully funded by the Union Government.

However, since 2004, Kerala Government has refused to release water from the Left Wing Channel. With the result, the farmers in the above region are facing lot of difficulties and their livelihood is in jeopardy. Besides, large areas of agricultural land have become uncultivable and infertile. The State Government of Tamil Nadu had taken up the matter several times with their counterpart in Kerala but so far Kerala Government has failed to release water to the farmers in Tamil Nadu who are solely dependent on Left Wing Channel.

Keeping in view the above, I urge upon the Union Government to direct the Kerala Government to release adequate water from Neyyar Dam's Left Wing Channel to Tamil Nadu as per the agreement entered into between the two States.

(iv) Need to take steps to check the spread of Dengue, Malaria & Swine Flu in Maharashtra and other parts of the country

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभी कोशिशों के बावजूद देश में कई जगहों पर एडिस मच्छरों के प्रजनन के सबूत मिल रहे हैं, इन मच्छरों से होने वाली बीमारी डेंगू के महामारी का रूप लेने की भी आशंका जतायी जा रही है, इसी के समानान्तर मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है । अभी-अभी महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर भारी मात्रा में मलेरिया के मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं । सरकार इनके बचाव हेतु कार्य कर रही है, मगर इसे और तेज गति से एवं इन बीमारियों के बचाव में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, अखबार, पत्रिकाओं और न्यूज से पता चल रहा हे कि दिल्ली के कई स्पोर्टस सेन्टरों में भी डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छरों के प्रजनन के सबूत मिले हैं, तथा कई राज्यों में भी डेंगू फैलने का असर देखा जा रहा है, मेरा अनुरोध है कि सरकार को चिकित्सा पद्धति चुस्त-दुरूस्त करना चाहिए, तथा आवश्यक जगहों पर अस्पतालों में पृथक मेंडिकल सेन्टर खोलकर मरीजों को सेवाएं देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाँवों, कस्बों, में भी इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या काफी बढ़ी है उन लोगों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इन्हीं बीमारियों के समकक्ष स्वाइन फ्लू का असर बढ़ा है । हमें इसको रोकने हेतु आवश्यक उपाय तीव्र गति से करना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है ।

(v)Need to provide financial assistance for smooth functioning of Nehru Trophy Boat Race, a tourism event conducted annually at Alappuzha, Kerala

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Nehru Trophy Boat Race (NTBR), is a globally known unique tourism event, conducted annually at Alappuzha, Kerala. This boat race is known as the greatest water sport in the world and branded in the name of our beloved first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. It is known as 'Kuttanad's Olympics on Water'. This year Kerala is celebrating the 58^{th} year of Nehru Trophy Boat Race. It is the 58^{th} year of this marvellous event and India's most eminent dignitaries have participated in different years. This prestigious function is watched all over the world and hundreds of foreign tourists and lots of VVIP's are participating in this function every year. It will be very difficult to set up pavilions and other arrangement temporarily every year including security arrangements. Also, it is very difficult to conduct this mega event without the financial support of the Government. Kerala Government has sanctioned an amount which is insufficient to meet the requirements. In this context the Government should take it as a national event and originate an annual grant of Rs. 25 lakhs from the Tourism Ministry for the functioning of this globally known tourism event in the name of our former Prime Minister Panditji and also promptly make a decision to built up a permanent pavilion with world class facilities for Nehru Trophy Boat Race.

(vi)Need to protect the interest of rubber growers by maintaining the import duty of natural Rubber at 20 percent

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): The interest of rubber growers in the country needs to be protected by maintaining the import duty of natural rubber at 20 per cent. Tyre Manufacturers Associations has filed a petition in the Court, seeking Government's intervention to reduce import duty of natural rubber from 20% and to envisage import of 2.00 lakh tonnes natural rubber with zero percent import duty. This will lead to collapse in the prices of natural rubber and will affect the economy of Kerala besides leading to farmers' suicides.

Prices of natural rubber will be always high in monsoon, as this season is difficult to extract latex. But this condition will be over in few days with the increased supply of latex.

Therefore, I request the Government to sustain the present rate of import duty at 20 per cent.

(vii) Need to enhance the salary of Documentary Compilers and Stringers working in Doordarshan and other private TV channels and extend the benefits of pension and insurance cover to them

श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव (धुले): महोदया, दूरदर्शन तथा अन्य निजी टेलीविजन चैनल एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है । इसके जरिए राष्ट्र भर में हर पल की घटनाएं जनता तक पहुंचने का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है । इस प्रक्रिया में स्ट्रिन्जर्स तथा वृत्त-संकलक का महत्वपूर्ण रोल है । स्ट्रिन्जर्स का काम बहुत चुनौतीभरा होता है।

महोदया, वृत्तसंकलकों स्ट्रिन्जर्स की नौकरी दूरदर्शन में तथा अन्य निजी चैनलों में अस्थाई रूप से है, ऐसी जानकारी मिली है कि उनके काम का मानधन, स्थानीय और बाहर की कवरेज के लिए 500/- रू. से 1500/- रू0 तक दिया जाता है । सालभर में दो लाख की मर्यादा भी रखी गयी है ।

माननीय महोदया, इस क्षेत्र में आज अपनी युवा पीढ़ी स्पर्धात्मक तरीके से और लगन से जुटी हुई है । मुझे कई पत्रकार तथा वृत्तसंकलक मित्र मिले, जिनका कहना है कि उन्हें यह काम करने के लिए इतिहास का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य की पहचान रखनी पड़ती है ।

महोदया, इस विषय में मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग करता हूं कि

1. इन स्ट्रिन्जर्स तथा वृत्तसंकलकों को स्थायी स्वरूपी आर्डर मिलना चाहिए जिससे उन्हें स्थिरता मिलेगी और उनके काम का दर्जा और बढ़ेगा, उनको मिलने वाले मानधान में कम से कम दुगुनी वृद्धि होनी चाहिए और उनकी 2 लाख की मर्यादा बढ़कर 5.0 लाख करनी चाहिए ।

2 स्ट्रिन्जर्स समाज के प्रश्न पर हल निकालने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं । प्रत्येक वृत्त के मुख्य स्त्रोत स्ट्रिन्जर्स हैं । ये हर प्रिय/अप्रिय घटना के बाद तुरंत उस जगह पहुंचकर हर तरह का खतरा मोल लेकर यह लोग काम करते हैं। इसलिए इन स्ट्रिन्जर्स को स्थायी नौकरी दी जाये और उनको पूरा वेतन, पेंशन और बीमा का संरक्षण भी दिया जाये । यह वक्त की मांग मैं सबके सामने रखता हूं ।

(viii) Need to set up Vigilance & Monitoring Committee at the district level to monitor the programmes of Centrally Sponsored Schemes and include local MPs as the Member of Committees for the welfare of STs

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ाने और उसे तीव्रता से लागू करने व पारदर्शी बनाने हेतु सरकार ने समिति बनाने का निर्णय लिया है । यह बड़ी ही खुशी की बात है किन्तु मेरे विचार से यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तर्ज पर विजिलेन्स एण्ड मानेटरिंग कमेटी जिला स्तर पर बनाया जाए तो काफी प्रभावी होगी क्योंकि वर्तमान समय में जो कमेटी बनी है उसमें विभागीय सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया गया है । इसमें जनप्रतिनिधियों के शामिल न होने के कारण इन अनुसूचित जनजाति के विकास एवं कल्याण कार्यो से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती है । परिणामस्वरूप कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ जनजाति के लोग नहीं उठा पा रहे हैं ।

अतः मेरा माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरह विजिलेन्स एण्ड मानेटरिंग कमेटी प्रतयेक जिले में बनाइ जाये या राज्य स्तर की समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये ।

(ix)Need to set up a premier medical institute at par with AIIMS in Ahmedabad, Gujarat

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Gujarat and in particular Ahmedabad had phenomenal growth in all the sectors. Since Ahmedabad is given the status of megacity, the area and population of the city has gone up.

Ahmedabad has become the medical hub in the country, a premier medical institute like AIIMS is urgently needed there.

At present this sort of institutes are existing in Delhi and Chandigarh in northern India, while the entire western Indian has not been given such premier medical institute funded by Central Government.

Hence, I make the demand to establish an AIIMS like Medical Institute with teaching affiliation in Ahmedabad.

(x) Need for installation of free of cost power line to tubewells of the small and marginal farmers in Bundelkhand region and other parts of the country through Centrally Sponsored Schemes

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): भारत एक कृषि प्रधान देश है, किंतु देश में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। कई प्रदेशों में लगातार सूखा पड़ने, कम वर्षा एवं सिंचाई के अभाव में फसल नष्ट होने से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे है। साथ ही खाद्यान्नों, दलहन, तिलहन, सब्जियों आदि का मांग के अनुसार पूर्ति न हो पाने की वजह से देश के सामने मंहगाई का संकट उत्पन्न हो गया है।

चूंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई से वंचित है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड क्षेत्र मानसूनी वर्षा के सहारे खेती करता है। बुन्देलखंड का अधिकांश हिस्सा असिंचित है। यहां पर बड़े राजकीय नलकूपों की कमी है। इस क्षेत्र में छोटे-छोटे निजी सिंचाई नलकूप सफल हैं, किंतु इन निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का खर्च लघु सीमांत किसान देने में असमर्थ है।

यदि बुंदेलखंड के छोटे लघु सीमांत किसानों के खेतों में लगे निजी नलकूपों तक सिंचाई हेतु विद्युत लाइन निःशुल्क बना दी जाये तो बुन्देलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोवा, हमीरपुर, झांसी आदि जिलों का किसान भुखमरी से आत्मनिर्भर हो सकता है तथा आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्रीय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड सहित देश के समस्त असिंचित क्षेत्रों के लघु सीमांत किसानों के निजी नलकूपों तक निःशुल्क विद्युत लाइन बनाकर निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की मांग करता हूं।

(xi) Need for gauge conversion of railway line between Sitapur and Lucknow in Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): सीतापुर से लखनऊ के बीच मीटरगेज रेलवे लाईन है, जिसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। वहां के लोगों की पिछले काफी समय से यह मांग चली आ रही है कि मीटरगेज लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में परिवर्तित किया जाये। लेकिन अभी तक इस रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में परिवर्तित नहीं किया गया है, जिस कारण वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। यदि सीतापुर से लखनऊ के बीच ब्रॉडगेज लाईन बिछा दी जाती है तो सीतापुर में एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों का आवागमन प्रारंभ हो जायेगा तथा लखनऊ से राजधानी दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जो वाया शाहजहांपुर होकर गुजरती है, उनका आवागमन सीतापुर से होने पर यात्रियों को समय व धन की बचत होगी।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सीतापुर से लखनऊ के बीच मीटरगेज लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में शीघ्र परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करके वहां के लोगों की समस्या को दूर करे।

(xii) Need to construct roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की कई प्रमुख सड़के हैं, जिन्हें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर बनाने की आवश्यकता है। इन प्रमुख सड़कों में गोपालगंज जिला के प्रखंड विजयीपुर अंतर्गत मुशहरी बाजार से आहियापुर, बरईठा गांव होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली आर0ई0ओ0 पथ एवं प्रखंड विजयीपुर अंतर्गत ग्राम बरईठा के पकड़ी स्थान से देऊरवा पाखोपाल ग्राम होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा तक जाने वाली सड़क प्रमुख है। इन सड़कों के निर्माण से पूरे गोपालगंज का सर्वांगीण एवं त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करना चाहूंगा कि उपरोक्त दोनों सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनवाया जाये।

(xiii) Need to set up a National Athletics Academy in Palakkad, Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): alakkad has become a nursery for Indian athletics in recent years. This area is home to plenty of talented teenagers who have made remarkable achievements in national school meet and other important national level competitions. Some schools from this area are producing best athletes. However, the problem is that Palakkad is a comparatively backward district. Most of these budding talents belong to poor families. These families are not in a position to support their talented children and to provide them expensive coaching. Due to the economic backwardness of the area there is no sports infrastructure and facilities for proper training. Even the city is lacking a 400 metre track of good quality. If the Government of India and Sports Ministry take steps to set up an Athletics Academy of national Standards it will be helpful in nurturing good athletes. Unless scientific training is provided, these talents will be wasted. So I urge upon the Government of India to set up a National Athletics Academy in Palakkad which is having great potential in athletics.

(xiv) Need to accord approval to the proposal of Marathwada Agricultural University for setting up a Mega Food Park in Parbhani district, Maharashtra

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): I would like to draw the attention of Government to provide early sanction/grant for the establishment or Mega Food Park in Marathwada region, particularly in my Constituency i.e. Parbhani district. This proposal has been submitted by Marathwada Agricultural University, Parbhani and pending with Ministry of Food Processing Industries since long time. There is an urgent need for the establishment of Mega Food Park in Marathwada region for the benefit of small and Marginal Farmers. Many agricultural produce i.e. fruits and vegetables are wasted due to lack of preservation, processing and infrastructure facilities. There is scope for many fruits and vegetables to be exported. The perspective potential to prevent losses and wastage of food material coupled with provision of large scale employment to the people of Marathwada region will lead to the economic development of the Marathwada region. I request the Central Government to accord early sanction to the proposal of Mega Food project submitted by the Marathwada Agricultural University by providing all necessary assistance for tackling the problem of wastage of agricultural produce in the Marathwada region.

14.19 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193 –Contd.

Situation arising out of delay in preparation for Commonwealth Games, 2010 – Contd.

MR. CHAIRMAN: The House may now take up the next business that is reply by the hon. Minister of Youth Affairs and Sports.

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस.गिल): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, कल तकरीबन चार घण्टे कॉमनवैल्थ गेम्स पर चर्चा हुई।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): आपको धन्यवाद कि आप हिन्दुस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जबकि आप विदेशी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं।

डॉ. एम.एस.गिल : मैं हिन्दी ही बोलता हूं, अंग्रेजी तो आती नहीं है। छोड़ो अंग्रेजी को, बिलकुल हिन्दी बोलेंगे, थोड़ी पंजाबी भी बीच में होगी।...(व्यवधान) क्योंकि हिन्दुस्तान खिचड़ी है और हम भी उस खिचड़ी में हैं।...(व्यवधान) वह भी थोड़ी-थोड़ी आती है, जैसे हो सकेगा, बोलूंगा।

महोदय, कल चार घण्टे की चर्चा को मैंने बड़े आनंद से सुना। संसद और देश का राजनीतिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम को कुछ हद तक जानता हूं। इधर, उधर और इधर का विचारों में टकराव होता है और होता भी है। यह हिन्दुस्तान की अच्छी निशानी है, ऐसा मैं मानता हूं। यदि कभी ज्यादा हो जाता है तो मैं इस पवित्र महापंचायत को, It is a place for India to talk in. शक्ति हो बोलने की और हिम्मत हो सुनने की, इसलिए मैं इसे बहुत मानता हूं। कल की चर्चा पर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सभी ने अपने विचार रखे और सुने। मैंने हर चीज का अपने दिमाग में नोट लिया क्योंकि मैं केवल खेल मंत्री नहीं हूं, मेरा पूरी जिंदगी खेलों में रूझान रहा है। मैंने मसूरी के स्कूल में 6 साल तक सभी खेल खेले। बॉक्सिंग भी की, मार ही खाई, कभी जीता नहीं है। वह भी जरूरी था, क्योंकि जो आदमी मार खा कर खड़ा रहे, वही आगे चल सकता है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत मार खाई है। कॉमनवैल्थ गेम्स की चर्चा है और इस पर आपको, इनको और सभी को चिंता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा स्वयंवर रचाया गया है। वर्ष 1982 के एशियन गेम्स के 30 साल बाद बहुत बड़े लेवल पर खेल हो रहे हैं। इसलिए इसकी चिंता अवश्य होगी। वर्ष 2003 में जब इन खेलों को लिया गया था, उस समय आप सत्ता में थे। यह उम्मीद भी थी कि आपने ही इन्हें करवाना भी है,

शायद आप ही इन्हें करवाते। भगवान ने और जनता ने कुछ और कर दिया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। इन खेलों पर हर एक चिंतित है, क्योंकि हिन्दुस्तान की इज्जत का सवाल है। खेल आपके हैं, हमारे हैं, लेकिन एक्चुअली देश के हैं।

महोदय, अजनाला जी तरनतारन से एमपी हैं और मेरे दोस्त हैं। इन्होंने जो कहा था, मैं भी वह कहता रहता हूं। इन्होंने पंजाबी में जो कहा था, मैं उसका मतलब आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा था कि बारात दरवाजे पर खड़ी है और अब कहते हैं कि लड़की के कान बींद दो, क्योंकि इसको सोने के कांटे डालेंगे। हमारा यह हाल है। 35 दिन में दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों की गिनती में लोग उतरने शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 12-14 हजार लोग आने हैं, जिनमें एथलिट्स, हाई आफिशियल्स और मैनेजर्स होंगे। इसलिए हमें चिंता अवश्य होगी।

महोदय, सवाल यह है कि क्यों खेल लिए गए? खेल होने चाहिए था या नहीं? कल भी कुछ लोगों ने इस पर चर्चा की। किसी ने नहीं पूछा मनोहर सिंह तुम्हारे क्या विचार हैं? मैंने अंदर बंद किए हुए हैं, कभी समय आएगा तो बोलूंगा। आज मैं वह नहीं कहना चाहता हूं। सारे देश के लिए वे सवाल समाप्त हो गए हैं।

महोदय, वे फैसले करने थे वर्ष 2003 में, जो भी करते, लेकिन उसके बाद अब तो तैयारी हो, हिन्दुस्तान की इज्जत हो और हिन्दुस्तान की शान हो। 6 अप्रेल, 2008 को मुझे यह ड्यूटी सौंपी गई और मैंने अपनी ड्यूटी को समझा और कहा, उसका रिकॉर्ड टी.वी. और न्यूजपेपर्स, हरेक के पास है। मैंने कहा कि यह पदवी मैंने मान ली, यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल थे, विचार थे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी मान ली है, तो कांस्टीट्यूशनली अब मेरी ड्यूटी एक ही है कि जल्दी से जल्दी तैयारी पूरी कराऊं और दुनिया भर से जो इतने लोग आएंगे, उनकी आमद का, वैलकम का, जो भी मैं कुछ कर सकता हूं, उसे करूंगा और अच्छे खेल हों और वे लोग खुश होकर जाएं और हम अच्छे-खासे मैडल जीतें। मैं सच्ची बात बोलूं, यदि मैंने पिछले दो साल में कोई कोशिश की है, तो यही की है। उस दिन से यह मामला मेरे सामने है।

महोदय, इन खेलों को कराने में जो चिन्ता प्रकट की गई है और आज हम किस जगह हैं, जिसमें कहा गया कि इतने साल क्यों वेस्ट हो गए और उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते थे, वे सवाल अपनी जगह हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है। मैं भी सोचता हूं और मैं भी हिसाब लगाता हूं। हिन्दुस्तान के बिल्डर आज ऐसे हैं, जो बहुत कम समय में ज्यादा अच्छा स्टेडियम बना सकते हैं। जो दुबई बेस्ड कंपनी हमारे यहां खेलों के स्टेडियमों का निर्माण कर रही है, वह जीएमआर कंपनी है। आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान के बिल्डर ऐसे हैं कि यदि कैश पेमेंट दें, तो वे चार गुना बड़ा स्टेडियम एक साल में बना देते हैं और वे

हिन्दुस्तान में बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये सवाल हो सकता था, लेकिन ये अब पीछे की बातें हैं। अब इन पर सोचने और आपस में बहस करने का कोई फायदा नहीं है।

महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं, पीछे जब में उधर बैठा करता था, तो मैंने अपने भाइयों से इस बारे में एक दफा कहा था कि जहां से मैं आया हूं, यानी अमृतसर से, वहां भगवान ने हमारा सिर तो ऐसा लगाया है कि हम इधर को देख सकते हैं, उधर को देख भी नहीं सकते, पीछे की बात तो छोड़े। जो बीत गई, सो बीत गई। जो हो गई सो हो गई। गलत किया, ठीक किया। ऐसे न करते, वैसे करते, इंसान को तो इधर को ही जाना है।

महोदय, अब बात नंबर दो। इन खेलों के ऊपर जो कुछ भी चर्चा यहां हुई है और जो कुछ भी सवाल उठ रहे हैं। उन्हें समझने के लिए इन्हें एक चीज पूरी तरह समझनी होगी। 1982 के गेम्स की चर्चा होती है। मैंने उस समय उन्हें यहां आकर नहीं देखा। मैंने पंजाब से ही, दूर से ही उन्हें फौलो किया था। उस वक्त बड़ी क्लीयर पोजीशन थी। ऊपर आदरणीय राजीव जी की कमांड थी और उस वक्त सीनियर, वैल रिगार्डेड मिनिस्टर सरदार बूटा सिहं थे। 25-30 उनके चुने हुए ऑफीसर थे। With a single unit of command, control and authority those Games were put through. That is my reading of the situation. People still talk about that. It was a very effective construct but in case of these Games we have to go from what the Commonwealth Games Federation has put on us on 13th of November, 2003 at Montego Bay, Jamaica, signed by the Government of India, signed by the Government of Delhi, signed by then Lieutenant Governor of Delhi and signed by the Indian Olympic Association. वह एग्रीमेंट क्या है। उसके बारे में, मैं आपको मुक्तसर बताना चाहता हूं-

> "The Government of India has to create the infrastructure, pay for all the major things, pay for all the major things, get them build and to provide all the funds as required, minimize tax on materials brought in inside on import of equipment and meet all the deficit whatever be them, whatever level at the end of the Games. This is solemnly signed. There is a sovereign guarantee there. Profits, if any…."

अगर हो जाए, वैसे कभी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है, एथेन्स से लेकर बीजिंग तक या आगे लंदन भी आएगा, देखेंगे कि खेलों में प्रॉफिट नहीं होता।

मैं कुछ खेलों को जानता हूं और इनके बीच में मैं 1968 ओलम्पिक में मैक्सिको भी गया था। I took the Indian team in some appointment after that. मैं पीछे हट गया कि यहां तो खेलों में घुसकर टेढ़े काम करो या फिर सिविल सर्विस, जो मैं कर रहा था, उसको सीधे तरीके से चलाओ। मेरा इंटरैस्ट सारी उम्र कायम रहा। मैं हर एक खेल के रिकार्ड टाइम देखता रहता हूं। तो यह लिखा हुआ है: Profit, if any, is to be shared. Indian Olympic Association or Commonwealth Games Federation बांट लेंगे, हमको एक रुपया भी नहीं मिलेगा। यह बड़ी इंटरैस्टिंग चीज़ है, लेकिन यह प्रोवीजन है। इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन को क्या कहा गया, यहां क्लाजेज़ में लिखा हुआ है: "To establish an Organising Committee. IOA will make an Organising Committee to work with it and be responsible for organising and staging the Games." What is going to happen for 15 days, जो खेल होने हैं, उसका सारा बन्दोबस्त, सारी जिम्मेदारी, सारी एथॉरिटी आर्गेनाइजिंग कमेटी के हाथ में है। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, यह लिखा हुआ है।

आर्गेनाइजिंग कमेटी 10 फरवरी, 2005 को रजिस्टर हुई, वह 484 मैम्बर्स की कमेटी थी, As proposed by the Indian Olympic Association. अभी कुछ देर हुई, कुछ उसको जरूरी वजह करके 454 पर किया। Still, it is 454. There are 25 Committees with about 1600 staff. This is the fundamental structure. मैं आगे आकर उसका जिक्र करूंगा, ब्रॉडली पिक्चर यह बनी है।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो स्टेडियम बनाएगी, I will explain all the major ones and as to what has been done. The Organising Committee will conduct the actual Games. पैसे उनको 1620 करोड़ रुपये देने हैं। उसके साथ कुछ और भी ऑफ साइट के लिए दिये, जिनको टैम्पोरेरीली फिटिंग्स मैं सिम्पल इंग्लिश में कहता हूं, ऑफ साइट्स ये लोग कहते हैं, ताकि कोई समझ ही न सके। वे देने हैं और दिल्ली शहर ने भी जो अपने आपको शादी के लिए तैयारी करनी है, वह दिल्ली शहर, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पर उनके जो भी हैं, लैफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ऊपर जो भी एथॉरिटी है, वह उन्होंने करना है, जैसा उन्होंने समझा, सोचा या कर रहे हैं। This is the division. In other words, there is a three way division. कई दफा पूछा गया, unlike 1982, a single point of powerful total authority, इन गेम्स में डिजाइन नहीं किया गया, मजबूरी होगी। But that is where we are on 10th August, 2010. That is where I found myself when I accepted this job. Therefore, the Government of India is basically a backup to these Games.

जो अब से मैं स्टेडियम बताऊंगा कि हमने बना दिये हैं, आगे जाएंगे, पर जो अब से आगे आने वाले दिनों में खेल होने हैं, सारे लोग आने हैं, उसके अन्दर 12-14 हजार आदमियों का रहने का, बैठने का, ट्रैवल का इन्तजाम करना है। उनका ट्रैवल भी एग्रीमेंट में है कि इतना खर्चा हम यहां कर रहे हैं, बार-बार उसकी चर्चा हुई, उसकी फीगर की जरूरत नहीं है, लेकिन वे फीगर सच हैं, जो जयपाल जी ने कहे थे। अब उससे बढ़ावा किसी को नहीं लेना चाहिए। These are the Government of India figures absolutely authenticated. So, I hope, we can accept them. लेकिन उसमें यह भी है कि जितने 12 हजार खिलाड़ी वगैरह हैं, वे अगर फॉकलैंड से भी आये, वह भी कॉमनवैल्फ में एक हस्ती है, सेंट हेलीना में, जिधर नेपोलियन को रखा गया था, मारा गया था, वह भी चार माइल का आईलैंड है, न्यूजीलैंड भी है, इधर है, उधर है, उनको लाएंगे, उनको ले जाना, उनका खर्चा भी अपना है और बन्दोबस्त यहां से है कि उनका ट्रैवल बन्दोबस्त भी होगा, यह न हो कि फ्लाइट मिस कर जाये, नहीं तो गुस्सा होंगे। यहां पर सब कुछ करना है। यह सारा कुछ ही होना है, from the Organising Committee. This is totally different from the past. अब मैं आता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी स्टेडियम्स की है। हमारे 13 मेजर स्टेडियम्स हैं, essentially, most of what is important.

वह सारा काम सेंट्रल पीडब्ल्यूडी थ्रू दी स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया और इन सब को फंडिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को करना है। वह हमारी जिम्मेदारी है। उनमें नौ जो सबसे बड़े हैं, वे सीपीडब्ल्यूडी को करने हैं। वे कौन से हैं? Jawaharlal Nehru Stadium is the biggest of all. In that Stadium, there are three stadiums. वेट लिफ्टिंग उसमें है और भी बहुत कुछ उसमें है। कमीशन शूटिंग रेंज, लाल मॉल्स वह भी नेहरू स्टेडियम में है, जिमनास्टिक कांप्लैक्स, इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में रेसलिंग और साइकलिंग वेलड्रोम हैं। स्वीमिंग पूल तालकटोरा स्टेडियम का, एथेलेटिक्स जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में और वेट लिफ्टिंग भी जवाहर लाल नेहरू में हैं। ये नौ बड़े खेलों के स्थान इस प्रकार से हैं। शेष चार जो कुल 13 में से हैं, बिगबोर शूटिंग रेन्ज, सीआरपीएफ के साथ कागरपुर में बनी है, जो गुड़गांव की तरफ है, आर.के.खन्ना स्टेडियम लॉन टेनिस का है। लॉन टेनिस के प्रधान बैठे हैं, उनको हमने पैसे दिए हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। रग्बी की ग्राउंड के लिए हमने पैसे दिए, मेरे ख्याल से तीन सौ करोड़ के आसपास की राशि है, उसको देलही यूनिवर्सिटी ने किया है। जामिया मिलिया ने भी लास्ट आफ देम टेबल टेनिस और रग्बी की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है। ये हमारे तेरह स्टेडियम हैं।

मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो देरी थी, वह थी, लेकिन मेरे पास टेबिल हैं, मैं आपको दे भी दूंगा। मेरा यह विचार रहता है कि जितनी इन्फार्मेशन शेयर कर सकूं, वह मैं हाउस के साथ करूं। पिछले दो हफ्ते में अगर क्वेश्चन आवर राज्य सभा या लोकसभा में नहीं चला ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): इस सदन में हर आदमी ने, कोई एक मेंबर नहीं, सब पार्टियों के सभी मेंबर्स ने एक बात उठायी है कि जो नेहरू स्टेडियम है और दूसरे स्टेडियम्स की मरम्मत पर इतना पैसा क्यों खर्च हुआ है? यह सवाल सभी माननीय सदस्यों ने पूछा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Sharad Yadav, let the hon. Minister speak.

… (*Interruptions*)

डॉ. एम.एस.गिल : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मित्र और नेता को इतना ही अर्ज करता हूं कि मैं इन सबके जवाब दूंगा। मुझे बीच में न टोकें, नहीं तो मेरा तारतम्य टूट जाएगा। जब मैं बैठ जाऊंगा, तब आप और पूछ लीजिएगा, मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे यह अर्ज है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ...(व्यवधान) हमारे पास लंबा समय है। आप गुरूद्वारे की तरह खुला समय रखिए तो मैं बैठा हुआ हूं।

महोदय, मेरे पास डेट्स भी हैं कि कब-कब इनको शुरू किया गया? तीन स्टेडियम जो मशहूर हैं, 6 अप्रैल, 2008 में मैं आया। शूटिंग, स्वीमिंग और साइकिलिंग वेलोड्रोम, इनके ऊपर तब तक तो खिलाड़ी-मैनेजर्स की बहस हो रही थी कि ऐसे करना वैसे करना हे, इंटरनेशनल कुछ और कहता है, नीचे वाला कुछ और कहता है। यह बहुत कुछ चलता है। तकरीबन सारे स्टेडियम हमने वर्ष 2008 और 2009 में बनाये। यह सच बात है। मेरे पास उनके टाइम्स भी हैं। 17 महीने में कोई साइकिलिंग वेलोड्रोम बना है तो कोई 18 महीने में, एक-दो हैं जिनकी शुरूआत वर्ष 2007 में हुयी थी, लेकिन ये एक्चुअली दो, सवा दो साल में बने हैं। I invite everybody to go to the Ministry's website. I keep on loading on it every letter we write or whatever we do. आप उसे पढ़ कर उस पर विचार करिए। ये स्टेडियम बन चुके हैं। पीछे काफी जोर की बारिश आयी थी, जिसके ऊपर चर्चा भी हुयी। प्रेस के दोस्त यहां बैठे हैं, टेलीवीजन के सौ चैनल्स हैं, इतना कंपटीशन है कि उनकी मजबूरी मैं मानता हूं। वह शायद मेरी थोड़ी सी मजबूरी भी समझेंगे। वह टीआरपी के चक्कर में ऐसा करते हैं। यह ठीक है कि नुक्स भी होते हैं, आप अपना घर बना लीजिए, तो 6 महीने तक घर की बीबी नुक्स निकालती रहती है और सरदार जी को झाड़ती रहती है। यह आपने भी देखा है कि यह क्या बनाया है, क्या आपने सुपरवीजन की? यह स्विच नहीं चलती,

वह नहीं चलता। मैं तो ओपनली कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आप सुनने की शक्ति रखिए। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बोलते हैं, तो मैं किसी को नहीं टोकता।

I also know this tactic - put off a man. Why do it? But if you wish to, you are sovereign. वे सारे स्टेडियम जोरदार बने हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे, खेलों में जाएंगे। मैंने हफ्ते, दस दिन में पार्लियामैंट मैम्बर्स को भी ले जाना है कि चलिए, देखिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं छिपाना है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आर्किटैक्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी छोटी-मोटी समझ कह रही है कि जिसने भी छ: साल पहले डिज़ाइन करवाए, उसमें दुनिया के आधुनिक डिज़ाइन करवाए। आर्किटैक्ट्स इंटरनेशनल हैं, कंस्ट्रक्शन, रूफ बनाने वाले इंटरनेशनल, नेशनल हैं। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भी नेहरू स्टेडियम और स्विमिंग स्टेडियम की रूफ देख लेंगे तो जो मैं कह रहा हूं, आप खुद ही मान जाएंगे। उन्होंने उसके ऊपर टैक्नीकल काम सीखा है, पहले नहीं हुआ था। कामनवैल्थ गेम्स इतनी बड़ी नहीं हैं। मेलबर्न वगैरह में गेम्स किए जाते हैं, मैंने देखा है, मैं पता करता हूं। वे पैसे बचाकर टेम्परेरी चीजें कर लेते हैं। हमारे यहां बड़ी लैविशली कंस्ट्रक्ट, साइज़, डिज़ाइन और सब कुछ हुआ है। आप देख लेंगे। वे तैयार हैं। हरेक में आज और अगले दो महीने एक ऐग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, सैंट्रल पीडब्ल्यूडी का बैठा रहेगा जिससे जरा भी पानी वगैरह गिरेगा तो वे उसे ठीक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सीरियस कुछ नहीं है। जो चीज दिखाई जाती है, उसे दिखाना भी चाहिए कि बाहर इतना मलबा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है। इधर-उधर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन लोग रात-दिन लगे हुए हैं। मैं परसों घूमकर आया था कि क्या हाल है, मुझे ज्यादा मार तो नहीं पड़ेगी। मलबा वगैरह जोरदार तरीके से उठ रहा है और एक हफ्ते में उठ जाएगा। लॉन्स फटाफट लग रही हैं, पेड़ लग रहे हैं। इसकी चिन्ता नहीं होगी।

मेरे दोस्त कीर्ति जी खिलाड़ी हैं। ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मै भी क्रिकेटर हूं, लेकिन अब मैंने उसका नाम लेना छोड़ दिया है क्योंकि मेरा रूझान दूसरे खेलों की मदद के लिए है। श्री सिद्धू नहीं बैठे हुए हैं। मैं उन्हें भी अपने साथ ले लेता कि 17 टैस्ट बैंड्स, टैस्ट कम्पीटिशन्स ऑफ इंटरनेशनल 5-7 कंट्रीज़ हो चुके हैं। नेहरू स्टेडियम के अंदर यह देखना है कि ट्रैक है, वह ठीक है, ट्रैक के ऊपर दौड़ सकते हैं या नहीं, क्या कोई टेक्नीकल नुक्स तो नहीं है। इसे एथलीट जानते हैं। वह सब कार्य हो गया है। Every national newspaper carried the results of those. स्विमिंग पूल में टाइल नहीं है, मैं जाकर चैक कर आया हूं। मैं बताता हूं कि वह क्या है। मैं चैम्पियन नहीं हूं लेकिन थोड़ा सा तैरता हूं। पूल के साथ-साथ साइड में पानी को निकालने के लिए नाली होती है। उसके ऊपर प्लास्टिक के नौ इंच या एक फुट स्कवायर फिट किए हुए हैं। वह थोड़ा सा उलट गया। अगर उलट भी गया तो कोई जहान नहीं उलट गया। लिखने में

बैलैंस भी रखना चाहिए। ...(व्यवधान) Please just let me do my own. Please do not do that. … (*Interruptions*) I am getting the courtesy of greater listeners. … (*Interruptions*) वहां भी स्विमिंग की कम्पीटिशन हो चुकी है। अपने ही लड़के जो चैम्पियन हैं, उनके भी समय उसमें आए हैं। बाकी भी टैस्ट इवैंट हुए हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि एक महीने के अंदर बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाएंगे।

एक सवाल उठाया गया कि अगर हमारे एथलीट आज से ही वहां प्रैक्टिस करते तो क्या कर लेते। माफ कीजिए, जो एथलैटिक्स के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि हमें शलारू, हिमाचल प्रदेश में जल्दी जाना है। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। वहां हमने हाई आल्टीट्यूड सैंटर पूरा कामयाब किया है, उसे बढ़ाएंगे। वह नौ हजार फुट पर है। मैं उसे देखने जाता हूं। वे वहां चले गए क्योंकि दिल्ली की आबो-हवा ठीक नहीं है। एथलीट कहता है कि मुझे वहां रखो। लेकिन अगस्त के आखिर तक वे यहां पर आ जायेंगे और एक महीने बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भी कोई बहुत सीरियस मामला नहीं था। मैंने स्टेडियम्स के बारे में आपको बताया। 15 ट्रेनिंग एवेन्यूज हैं। उसे स्पोट्र्स मिनिस्ट्री ने पूरे कर दिये हैं। 13 ट्रेनिंग एवेन्यूज डीडीए ने करने हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगस्त में करेंगे। मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं। इसमें और दस या पन्द्रह दिन लगेंगे, लेकिन उन्होंने अगस्त तक कम्पलीट करने के लिए कहा है। दिल्ली गवर्नमैंट ने तीन ट्रेनिंग एवेन्यूज कर दिये, लेकिन शिवाजी हॉकी ट्रेनिंग स्टेडियम अभी तैयार नहीं है। उसके बारे में भी वे कहते हैं कि हम पूरा कर देंगे। उसे पूरा करने में वह जोर लगा रहे हैं। यह स्टेडियम्स की पूरी कहानी है।

मैं असली मुद्दा आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि स्टेडियम्स बन गये हैं। जो गेम्स विलेज हैं, उसे डीडीए और दिल्ली गवर्नमैंट ने करना है। उसके भी सारे 34 टावर्स खड़े हो गये हैं। वे फर्नीशिंग कर रहे हैं। आपको भी पता है कि वे अल्टीमेटली बिजनेसमैन को जाने हैं। वहां सब शौक से उसे पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन बढ़िया फ्लैट्स में उनको रहने, ठहरने को मिलेगा। इसके बाद वे फ्लैट्स बिजनसमैन को मिलेंगे, इसलिए वे बड़ी आस से इंतजार कर रहे हैं।

एक आइटम बारापुला है, जिसके बारे में मैं जिक्र करता हूं और करना चाहिए। मैंने यह कहा था और आज भी कहता हूं कि मैंने पंजाब की रोमांटिक कहानियों में सुना है कि हीर-रांझा तो थे ही, ससी-पुन्नू भी थे, जो चिनाब के किनारे रहते थे। लड़की इधर थी और लड़का उधर रहता था। वह लड़की घड़े पर बैठकर मिलने जाती थी, क्योंकि लड़की बहादुर थी। लड़के तो हमारे जैसे ही होते हैं। ...(व्यवधान) वह कहता था कि तू ही आ जाना। ऐसे ही हो रहा था। यह पंजाब की सच्ची कहानी है। एक दिन किसी ने कच्चा घड़ा दे दिया। चिनाब में आज भी तूफान आया, पाकिस्तान डूब रहा है। हमें इसका दुख है। वहां बहुत

नुकसान हो गया। वह डूब गयी। इस तरह दोनों मर गये। मैंने यह कभी नहीं देखा, मैं भी खिलाड़ी हूं कि एथलीट वहां हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि यमुना की छाती पर गेम्स हों, लेकिन हैं। ये बहुत पुराने फैसले हुए हैं। मुझे इस बारे में नहीं मालूम। 15 किलोमीटर दूर नेहरू स्टेडियम है। उन्हें यहां लाना है। 6 अप्रैल को जब मैं मिनिस्ट्री में आया, तो कोई विचार नहीं था कि कैसे लाना है। आपस में आईडियोलॉजिकल जोरदार हो रहे थे कि यह करो, वह करो, निजामुद्दीन के नीचे से जाओ या साइड से जाओ। आपने भी इसे पढ़ा और मैं भी पढ़ता था। मैं उस समय एमपी था। मैंने कुछ चिट्ठियां लिखकर चर्चा भी की और मुझे जो मालूम था, उसका इजहार किया। सात तारीख को मैंने दिल्ली गवर्नमैंट की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया। मैंने सभी आफिसर्स, सभी इंजीनियर्स को बुलाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरी ब्रीफिंग दो कि क्या ऑप्शन्स हैं। उन्होंने कहा कि तीन ऑप्शन्स हैं। मैंने कहा कि इसमें से कौन सा लीस्ट इम्पोसिबल और लीस्ट डेमेजिंग है। I put in that way. अब कुछ करना ही है, नहीं तो 12 हजार उधर स्टेडियम में बैठे होंगे और हम यहां बैठे होंगे। उन्होंने कहा कि यह बात है। 9 तारीख को ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में हुई। मैंने वहां जो कुछ भी किया, वह मेरे को पता है और जो वहां थे, उनको पता है। उस समय जयपाल जी भी थे। वे भी उस वक्त मैम्बर थे। उस दिन मैंने फैसला करवाया और मैंने तेजिन्दर खन्ना को जानबूझकर पंजाबी में कहा कि तेजिन्दर खन्ना कल तो ईंटा लगानी शुरू कर, start putting the bricks; there is no time left. All that has happened, you are aware of and the Delhi Government has also said that it would take us into September to complete it. I am clear that the Delhi Government, and every engineer, every contractor, even international, will do everything because we have got to have that ready.

कंस्ट्रक्शन में तो इतना ही है, और कुछ नहीं है। आर्गनाइजिंग कमेटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी ड्यूटी है। करप्शन के बारे में बहुत चर्चा हुई है।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): हीर-रांझा मेन नहीं है, करप्शन मेन है।...(व्यवधान)

डॉ. एम.एस.गिल: मैं उसी पर आ रहा हूं। आपके लिए हीर-रांझा कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है। ...(व्यवधान) वर्ष 2008 में मेरे आने के महीने भर बाद ही हमारे सामने सवाल आया, दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस था। आरटीआई इस देश में एक बहुत जोरदार चीज हुई है, इसे हम सभी मानते हैं। इसका बहुत असर हिन्दुस्तान की पॉलिटी, पब्लिक लाइफ और हरेक चीज पर पड़ रहा है। यह आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पूरे देश में, I am not talking of party or anyone. दिल्ली हाईकोर्ट में केस आया। कुछ लोग गए उन्होंने आरटीआई आर्गनाइजिंग कमेटी पर की, इंडियन ओलम्पिक एसोशिएशन और आर्गनाइजिंग कमेटी ने हाईकोर्ट में एतराज किया कि हम तो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, इसलिए हमारे ऊपर यह लागू नहीं होता है। हमारे पास मामला आया कि एफिडेविट डालो, हमने सारे अफसरों को बुलाया, उनको कहा कि बात करो और डटकर इसमें लिखो कि आरटीआई लगनी चाहिए, होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के लोगों को, पार्लियामेंट से अगर यह ताकत मिली है, तो वह कुछ भी पूछना चाहता है तो उसे पूछने का हक है। यह हुआ। हाईकोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट आई। उसको हमने एकदम इंडियन ओलम्पिक एसोशिएशन, आर्गनाइजिंग कमेटी पर लागू किया और लॉजिकली मैंने कहा कि इसे सारे इंडियन फेडरेशन्स पर लागू करो। मैं कहता हूं कि जिसने भी इसको इस्तेमाल करना है, कोई भी नागरिक हो, आरटीआई डालो, जो भी आपको शंका हो, पूछो। जवाब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद निर्णय मुझे नहीं करना है, आपने भी नहीं करना है, उसके लिए जो ठीक लोग हैं जैसे कचहरी है, वे करेंगे। मेरा बड़ा क्लियर व्यु है : Full public scrutiny ensures public confidence, मेरा ऐसा विचार है। मैं 35 साल पहले पंजाब में था, किसी दूसरे लेवल पर था और चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था। वहां एक मामला उठा और सारे सचिवालय के कर्मचारी खड़े हो गए तथा सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। मैंने इश्तेहार लगाया था और फार्मूला दिया था कि let the people know; let the people judge. यह मेरा आफिसर होने का चालीस साल का फार्मूला है। Let the people know, let the people judge. सारी सच्चाई सामने आ गई। अगले दिन वे आ कर कहने लगे कि आप हमें तंग करते हैं। मैंने कहा नहीं, आप भी अपनी बात कहिए। उसके बाद स्ट्राइक बंद हो गई।

So I am for it. RTI is there and we have supported it. मैंने तो लिस्ट बनवा कर रखी है कि पिछले डेढ़-दो साल में जो भी शिकायत आई, मेरे आफिसर्स को क्लियर हिदायत थी कि उन्हें भेजें और परस्यु करो तथा जो भी आथोरिटी है, वह इसका फैसला करे। ऐसा ही हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम पूछेंगे। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कल-परसों से आप पढ़ रहे होंगे कि कुछ लोगों को हटा दिया गया, कुछ लोगों को पहले सस्पेंड किया गया, वह किसने कराया है? हमने आठ महीने में जोर देकर करवाया है,

क्योंकि हम इसे मानते हैं। ऐसा ही हमारा विचार है और आगे भी विचार रहेगा। इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं आता है। सीएजी का कन्करेंट आडिट बहुत पहले वर्ष 2008 में हमने लगा दिया था कि साथ-साथ आडिट भी होता रहे। कोई भी शिकायत होगी, कोई भी सवाल उठेगा, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी जहां भी जिम्मेदारी है, पूरे जोर से उसे परस्यु करेंगे। There is no question of trying to hide it. मेरी मिनिस्टरी या मैं, किसी के लिए पर्दा नहीं हूं कि हमारे पीछे कोई छुप कर खड़ा हो जाए। जो भी होगा, हम आगे तक ले जाएंगे, यह भी मैं जानता हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि इसे और उठाएं।

श्री शरद यादव : आपने जो बातें कहीं कि आर.टी.आई. लेकर सब हथियार हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार है, वह संसद है। मैं आपसे एक ही सवाल भारत सरकार के मंत्री के नाते करना चाहता हूं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि देश के मीडिया से लेकर सब तरफ इसकी चर्चा है कि जो ब्रितानिया में हमारे हाई कमिश्नर हैं, वहां जो फंक्शन हुआ, उस कंटैक्स्ट को और यहां की आर्गेनाइजेशन कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने एक पत्र दिखाया। इस पर वहां के हमारे हाई कमिश्नर ने और हमारे विदेश मंत्री दोनों ने कहा कि यह सही नहीं है। यह साफ और सामान्य केस है, इस पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं।?

डॉ. एम.एस.गिल : आप हौंसला रखिए और धैर्य से मेरी बात सुनिए...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister finish his speech! You can ask you queries later.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let him reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have raised the point. Certainly, he will reply to that. Have patience.

डॉ. एम.एस. गिल: यह जो सवाल पूछा गया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जिस दिन चिट्ठी आई, डिप्टी हाई कमिश्नर से कि ऐसा मामला हमने देखा है, तब मेरे मंत्रालय ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लिखा। उसके बाद ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी आर्गेनाइजेशन कमेटी के एक कर्मचारी को फाइनली बर्खास्त किया गया। जो त्रिवेंद्रम का मामला है, उसे भी मैंने लिया। मैं रोज सवेरे छः बजे अखबारों का स्पोर्ट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं। मैंने अंडर सेक्रेटरी से लेकर ऊपर तक सबको इस बारे में फोन किया और हम सब उसी वक्त जुट गए इस मामले को देखने के लिए। उसके बाद ही ऐसे लोगों को दूर किया, जो

इसमें थे। मैं इस बारे में पूरी डिटेल देने को तैयार हूं। शरद यादव जी, आप इस मामले में जितने उतावले हैं, हम भी उतने ही चिंतित हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी बात खत्म नहीं हुई है।

श्री शरद यादव : आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यह तो आपके हाथ में है, आपकी सरकार के भीतर का मामला है...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं।

डॉ. एम.एस. गिल: आप बैठ जाएंगे, तो मैं सभी बातों का जवाब दूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Allow him to reply.

… (*Interruptions*)

SHRI HARIN PATHAK : Sir, the hon. Member has raised some queries, the hon. Minister should reply to them… (*Interruptions*)

DR. M.S. GILL: I will reply to them if they have the courage to sit and listen. जो शरद यादव जी ने कहा है, सैयद शहनवाज जी ने भी कहा है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैडम, पहले मंत्री जी को जवाब पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

DR. M.S. GILL: Sir, I am not yielding. He may not be allowed to speak like this… (*Interruptions*) आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him complete his speech. You can have the questions later.

… (*Interruptions*)

15.00 hrs.

सभापति महोदय : आप लोग क्यों खड़े हो गये?

डॉ. एम.एस.गिल: शरद जी, सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपकी तरफ बहुत ध्यान देता हूं। शाहनवाज जी, आप दोनों ही वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, ये दोनों ही मानेंगे कि इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जिस दिन हमें पता लगा उसी दिन से जोर देकर इस काम पर लगे हुए हैं। लेकिन जजमेंट मैंने नहीं देने हैं। मैं यहां कहता हूं कि वे जल्दी करें और दूध का दूध पानी का पानी करें, मैं कहता हूं जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर दो पुराने कैबिनेट मंत्री मेरे को कहें कि यहां फैसला दीजिए, तो यह बात तो नहीं बनती है। आप भी इस काम में रहे हैं तो मैं भी कुछ कच्चा नहीं हूं। You cannot start a dialogue. I am on my feet.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is not yielding. Sharad *ji*, please sit down.

… (*Interruptions*)

DR. M.S. GILL: I think, you have to also listen to me also now. It cannot become a dialogue, though, mind you, I can carry it on, but I would not. That is not right. इसलिए जो बात मैं कह रहा हूं, जिसपर सरकार वचनबद्ध है, जिस पर प्रधान मंत्री जी वचनबद्ध हैं कि देखिये ये खेल तो आप सबने कहा। आप सब का भाषण मैंने सुना और आपने बहुत ठीक कहा क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी देश का दर्द है, हैं ना थोड़ा सा।...(व्यवधान) सुनिये, मैं इसको और करैक्ट करता हूं। ...(व्यवधान) आप सुनिये।

MR. CHAIRMAN: I will allow you. Let him complete.

… (*Interruptions*)

डॉ. एम.एस.गिल: मैंने जो अभी कहा मैं उसकी तरमीम करता हूं। मैं कहता हूं कि ये बहुत देशभक्त हैं, मैं छोटा देशभक्त हूं। ठीक है ना, सब खुश हैं। मैं फिर खेलों को ऊपर ले जाता हूं। आप सबने कह दिया कि 35 दिनों में तो यहां पर हजारों लोग आ रहे हैं। आप सबने भी कहा कि खेल तो करवाने हैं। जो इसकी तारीख थी, किसने कमी की, किसने गड़बड़ी की, उस पर जोर से कार्रवाई करनी है, आप भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा कि मैं खिलाड़ियों को सुनता हूं, हर चैनल पर रोज रात को एक घंटे की बहस होती है, बहुत लोग इधर के भी और उधर के भी उसमें जाते हैं और आपस में बहुत बहस होती है। मैंने अमृतराज को सुना, टेनिस खिलाड़ी है, उसे मत्था टेकता हूं। उसके लेवल का कोई नहीं हुआ। उससे पहले कृष्णन बाप-बेटा इस क्षेत्र में थे। उसने कहा कि हमें बहुत दुःख हो रहा है कि चार साल से

खिलाड़ी परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इनका दिल क्यों तोड़ रहे हो, बाद में जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन खेल को कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे। आपने भी यही कहा और यह नुक्ता किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। नेहवाल लड़की भी यही कहती है, पता नहीं क्या कारनामे करेगी। अभी तेजस्वनी सावंत मुझे कल मिलने आई थी, गगन नारंग आया।

वे आस लगाए बैठे हैं। मैं एक और अफसोस की बात कहना चाहता हूं कि अगर यहां खेल हो रहे हैं और आठ साल का समय बीत गया है, तब आप रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं। अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है या नहीं करना है? मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि सर्च लाइट उनके ऊपर क्यों नहीं करते हैं कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन अच्छा करेगा और कितने मैडल होंगे?...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले ढाई साल में सरकार ने एक काम किया है कि 678 करोड़ रुपए केवल कोचिंग के लिए रखे हैं। इससे पहले साल में केवल 38 करोड़ रुपए ही मिलते थे। ढाई साल से 42 विदेशी कोच के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जितने एथलीट्स हैं, बेशुमार इन्हें इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी और कम्पीटिशन में भेजा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। आप इनकी तरफ भी देखिए। हमारे आपस में लड़ने के तो बहुत मौके हैं, फिर कर लेंगे, दोबारा भी करेंगे।

मैंने प्रश्नों की पूरी लिस्ट बनाई हुई है। Cost of escalation of stadia. एक तो समय पर काम पूरा होता है। आप सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन मैं दोबारा कहता हूं कि जब आप देखेंगे the level and grandeur of the stadiums तो आपको पता होगा कि इनका क्या होगा और कितनी कास्ट आएगी।...(व्यवधान) You can say anything, my friend. आप अभी नहीं, मेरी बात समाप्त होने के बाद कहना।...(व्यवधान) आप अभी मत बोलिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, the hon. Minister is not yielding. What can I do? Please sit down.

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, हमने मांग उठाई थी कि इस मामले पर जेपीसी गठित की जाए।...(व्यवधान) वह भ्रष्टाचार के मामले को देखे। इस बारे में कुछ नहीं कहा है।...(व्यवधान)

DR. M.S. GILL: Sir, I am answering them. ... (*Interruptions*) I am answering them. ... (*Interruptions*) I have a figure. दिल्ली सरकार के सभी स्टेडियम्स की बात नहीं कह रहा हूं, उनकी 1300 करोड़ रुपए की राउंड फिगर कॉस्ट थी और वह कॉस्ट अब 2903 करोड़ रुपए है।

यह फिगर बड़ी है।...(व्यवधान) Please understand the reasons also. मैं मुंडे जी को बताता हूं कि बर्डनेस्ट 2000 करोड़ रुपयों में बना था। वाटर क्यूब स्वीमिंग पूल बीजिंग में है।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए, मैं उसकी बात भी करूंगा।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि सुनने की शक्ति कम है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please look at the Chair and speak.

डॉ. एम.एस.गिल : आप मेरी बात सुनिए, you are not the only expert. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय : ऑनरेबल मिनिस्टर बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Anurag Thakur, let the hon. Minister reply. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

डॉ. एम.एस.गिल : लंदन का स्टेडियम, जो ओलंपिक्स का है, उसकी कॉस्ट 4,296 करोड़ रुपए है।...(व्यवधान) जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम एक स्टेडियम नहीं है, इसमें वेट लिफ्टिंग भी है, उसमें लॉन बॉल्स भी है, नाडा की भी फैसिलिटी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, इसमें दस चीजें हैं। आप इनसे कम्पेयर कीजिए। महोदय, मैं इन्हें फाइनली एक और तरीका बताता हूं। अगर आप तरीका पूछते हैं तो वह यह है कि संसद ने जो आरटीआई कानून बनाया है, उसके जरिए आप एकदम जिस स्टेडियम के बारे में पूछेंगे हम उसका पूरा हिसाब देंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मिनिस्टर बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, मैं कुछ कहना चाहती हूं।

डॉ. एम.एस. गिल: आप मुझे भी मौका देंगी? Sushmaji, I would hear you but you must also give me a chance… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं बहुत शांति से गिल साहब का जवाब सुन रही थी। लेकिन उन्होंने आखिर वाक्य बोला है, उससे संसद की उपयोगिता पर प्रश्न चिह्न लगाया है। उन्होंने कहा है अगर आपको जवाब चाहिए तो आप आरटीआई करिए, हम जवाब देंगे। इसका मतलब आरटीआई इस सदन से ज्यादा ऊपर हो गई? ...(व्यवधान)

DR. M.S. GILL: No… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, उन्होंने सीधा कहा कि अगर जवाब चाहिए तो आरटीआई करेंगे तो जवाब देंगे।...(व्यवधान)

DR. M.S. GILL: What I said… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यह सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। ...(व्यवधान)

DR. M.S. GILL: What I said was … (*Interruptions*)

15.13 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें हर राजनीतिक दल के व्यक्ति ने बोलते हुए कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसका जवाब खेल मंत्री यहां न देकर यह कहते हैं कि आरटीआई करो तो मैं जवाब दूंगा। इससे बड़ी अवमानना इस संसद की नहीं हो सकती।...(व्यवधान) हम वॉक आउट करते हैं। ...(व्यवधान)

15.13 ½ hrs.

At this stage, Shrimati Sushma Swaraj, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members left the House

DR. M.S. GILL: Sir, I am winding up… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please carry on.

… (*Interruptions*)

डॉ. एम.एस. गिल: आदरणीय सुषमा जी ने जो कहा, वह पूरा नहीं था, ठीक नहीं था। मैंने कहा और मैं उसे अब भी दोहराता हूं और दस दफा दोहराऊंगा कि हमें लिखिए, मुझे लिखिए कि इस स्टेडियम का पूरा रिकॉर्ड सैंट्रल पब्लिक वर्क से लेकर दें, हम इस पर विचार करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी निकलता है तो हमें बताओ। लेकिन सबको पता है कि कन्सट्रक्शन की कॉस्ट टाइम से बढ़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट से बढ़ती है। मैं नेहरु स्टेडियम का उदाहरण देता हूं कि नेहरु स्टेडियम में पिछले साल लेट और एकदम रिक्वायरमेंट आई कि टनल बनाओ। उस टनल में दो घोड़े भी ले जा सकते हैं, वह इतना बड़ा टनल है। उन्होंने कहा कि ओपनिंग सेरेमनी के लिए चाहिए और वह बनाया गया। यह खर्च एड हुए। आपने जिस भी खर्च के बारे में पूछना है आप लिख कर भेज दो, हम बिल्कुल आपको लेकर देंगे और उसके बाद आप किसी भी विद्वान को दिखाओ। ये बातें कच्ची हैं, अगर रूठ कर जाना है तो मैं एक अर्ज करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): जब वे चले गये हैं। उनको चिठ्टी लिख दो, जवाब मांग लो। अगर सवाल करें तो हिसाब दे दो। लेकिन हम यहां बैठे हैं तो आप हमें तो सुना दो, ताकि जल्दी से हम एकाध सवाल पूछ सकें।

डॉ. एम.एस.गिल : मैं आपके लिए अवेलेबल हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं तो चाहूंगा कि जब आप बोल चुके, तब हम पूछें। लेकिन आपको बोलते हुए एक घंटे से ज्यादा हो गया है।

डॉ. एम.एस.गिल : मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मैं इसे अब खत्म करता हूं, ताकि मुलायम सिंह जी मेरे से सवाल पूछ सकें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, मैं यहां रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि उनके पास हमारा जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने वाक आउट किया। वह जवाब नहीं सुनने के लिए वॉक आउट कर गये। भारतीय जनता पार्टी में जवाब सुनने, सच सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने वॉक आउट किया है।

डा.एम.एस.गिल : सर, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने आपके सामने रख दिया कि वर्ष 2003 में 5 मई को...(व्यवधान) मुझे उनके प्रश्न को सुनना था, मैने इनके सवाल लेने हैं। मैं आखिरी एक फिकरे में खत्म करता हूं कि वर्ष 2003 में मई में उस समय के आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा खेल लिये गये थे और 13 नवम्बर को इस पर साइन किये गये थे। इसकी रुपरेखा मैंने आपको बता दी है। जो केन्द्र सरकार की पूरे पैसे मुहैया कराने की ड्यूटी थी, वह मैंने पिछली मई, जून, 2009 में पूरी कर दी थी। सारी रिक्वायरमैन्ट्स को फंड किया गया था। जो स्टेडियम बनाने थे, वे डेढ़-दो सालों में बना दिये हैं, जैसे भी हुआ, लेकिन वे पूरे हो गये हैं। जब आप उन्हें देखेंगे, तब मानेंगे। यदि कोई भी करप्शन, कोई भी किन्तु-परन्तु है तो आप हमें लिखे, हम जवाब देंगे या जवाब लेकर देंगे और उसकी कोई भी इंक्वायरी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी चाहिए, उस पर सरकार विचार करेगी। 15 अक्टूबर के बाद भी सरकार इधर है और हम जवाब देने वाले हैं। हम भागने वाले नहीं हैं।

आखिर में मुलायम सिंह जी मैं आपसे एक ही अर्ज करता हूं कि देश की और इन भाइयों और बहनों की सर्चलाइट को अब खिलाड़ियों के ऊपर लगाओ और हम बंदोबस्त पूरा करें, हमारा नाम ठीक रहे। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं दो सवाल करना चाहता हूं। यह चिंता क्यों हुई कि इसमें फिजूलखर्ची भी है और भ्रष्टाचार भी है। इसके कारण क्या है? कारण यह है कि चीन में जब खेल हुए तो

उनके पास एक भी स्टेडियम नहीं था। उन्होंने 14 नये स्टेडियमों का निर्माण किया। हमारे यहां 14 स्टेडियम्स नहीं बनाये गये, हमारे यहां बहुत सा स्ट्रक्चर पहले का बना बनाया है, चाहे एशियाड खेल हो या अन्यथा, पहले इंदिरा जी ने गेम्स कराये थे, तब का बना हुआ है। सड़के भी बन चुकी हैं। लेकिन चीन को सब कुछ बनाना पड़ा था। वहां सड़के भी बनानी पड़ी थीं और 14 स्टेडियम्स भी बनाने पड़े थे और खेलों से संबंधित तमाम काम उन्हें करने पड़े। लेकिन आखिर उनका तो 30 हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इसमें सारे विपक्ष और इधर के लोगों को आशंका है कि इसमें फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार हो रहा है। आप यह बता दीजिए कि आपको इतने स्टेडियम्स नहीं बनाने पड़े और स्टेडियम को बनाने के नाम पर इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? हमारे यहां पहले से जो स्टेडियम्स हैं, उन्हें साफ-सुथरा कर देना चाहिए था। पेड़ अब लग रहे हैं। अब पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी। दिल्ली कौन सी खूबसूरत नहीं है। आप यह बता दीजिए कि दिल्ली को सजाने में लगे है। लेकिन जब गांव, देहात और किसान की बात करते हैं तो गांव और किसान तो उजड़े पड़े हैं।

दिल्ली पहले ही से बेहतर है, अच्छी सड़के पहले ही बन चुकी है, तब फिर सजाने की आवश्यकता क्या थी? हम चीन को दिखाना चाह रहे हैं कि हम गरीब नहीं हैं। तब इंग्लैंड को कहना पड़ा है कि भारत भिखमंगा देश है क्योंकि उसने शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये मदद की थी और आपने ए.सीज. खरीदने में पैसे खर्च कर दिये. क्या यह सच्चाई है? अगर आप पानी का पानी और दूध का दूध कर देंगे तो अच्छी बात होगी। मैं माननीय मंत्री जी का स्वभाव जानता हूं। इनकी नीयत जानता हूं लेकिन सवाल यह है कि हम लोगों को इस बात की शंका है कि आप किन लोगों के बीच में जाकर बैठ गये? फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार हो रहा है। आप भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। मैं अपने छात्र जीवन में उ.प्र. से रैस्लिंग का चैम्पियन रह चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं कि चीन में जब औलम्पिक गेम्स हुये तो उसने इतना खर्च नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? स्टेडियम बनाने हैं, और निर्माण कार्य करवाना है लेकिन चीन कम पैसा खर्च करने के बाद भी ओलम्पिक गेम्स करा चुका है, फिर आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? हमने ऐसे ही नहीं कहा कि एक लाख 23 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कीजिये। स्टेडियम बने नहीं हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He has not yet completed.

श्री मुलायम सिंह यादव :सभापति महोदय, हम जानते हैं कि देश के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम लोग भी देश का सम्मान करते हैं। देश का कोई भी प्रान्त हो, धरती सब की है। जब हमने मांग की है कि कॉमनवैल्थ गेम्स में हो रहे भ्रष्टाचार के लिये जे.पी.सी बना दीजिये तो आप जे.पी.सी. से क्यों भाग रहे हैं? जे.पी.सी. में सरकार का बहुमत होगा, बहुमत कर लें लेकिन मामले की जांच तो करा दें क्योंकि बाद में जांच कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जांच से पानी का पानी और दूध का दूध हो जायेगा।

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा सवाल यही है कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है? चीन में हुये खर्चे से ज्यादा खर्च क्यों हो रहा है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may please sit down. I will call you.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can ask only a question. Do not go to elaborate things. Whatever clarification you want, you can ask only that. Only one question is allowed. I do not want any speech.

SHRI DHANANJAY SINGH (JAUNPUR): I am not going to give a speech.

श्री मुलायम सिंह यादव : पहले हमारा उत्तर आने दीजिये। उसके बाद प्रश्न पूछिये। एक-एक करके उत्तर आने दीजिये। मैं पावर कमेटी का चेयरमैन हूं, हमारी मीटिंग है, मुझे जाना है, इसलिए पहले हमारा जवाब दे दीजिये।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : पहले आप इनका उत्तर दीजिए और फिर मेरे सवाल का उत्तर दीजिये।

डॉ. एम.एस.गिल : महोदय, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने स्टेडियम्स के बारे में सवाल पूछा है कि[illegible] पर बहुत खर्चा हो रहा है और ये बहुत बड़े हैं। इन्होंने ऐसा कहा है और अन्य लोगों को भी इस बारे में शंका है। मेरे हिसाब से यह शंका गलत है। ये तो सिर्फ रिपेयर ही करने थे, थोड़े-बहुत टीप-टाप ही करने थे, स्टेडियम तो थे। वर्ष 1982 में छोटे-छोटे स्टेडियम बने थे, आज वर्ष 1982 से 30-32 साल हो गये हैं। हमारा मकान 10 साल में ही चकानाचूर होने लगता है। एक तो यह बात है। दूसरा, मुलायम सिंह जी, जब आप इन्हें देखेंगे, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा और हम कुछ और बातें भी करेंगे, गप-शप मारेंगे, वहां मैं आपको लेकर जाऊंगा। जो आज का नेहरू स्टेडियम है, आप उसे देखकर दंग रह जायेंगे। उसकी ग्रांड आर्किटेक्चर, वह जो फिल्म एंड रूफ है, उसका डिजाइन इंटरनेशनल है, उसके केबल्स मैक्सिको से स्पेशल स्टील से बनकर आये हैं। उसके ऊपर फिल्म आस्ट्रेलिया और न जाने कहां-कहां से आयी है,

आर्किटेक्ट स्विटजरलैंड, यूरोप और इंग्लैंड के थे। आप स्वीमिंग स्टेडियम में जाइये, उसे देखकर आप हैरान हो जायेंगे और कहेंगे कि यार, यह तो कुछ और ही चीज बनी है। यह रिपेयर्ड नहीं है। They are frankly new stadiums. They were knocked down and built. I give you the velodrome. मैं बीजिंग गया, यह स्पोर्टस फेडरेशंस भी बहुत पॉलिटिक्स करती हैं, देश की भी और इंटरनेशनल भी, इन्हें यह था कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाथ में आयी है, इन्हें बोलो कि ये भी बनाओ, वह भी बनाओ, एयरकंडीशन भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये झगड़े चल रहे थे। मैंने कोशिश की कि पैसे बचाऊं, लेकिन इन लोगों ने देश को पकड़ रहा था। मैंने बीजिंग में इंटरनेशनल साइकिलिंग से मीटिंग भी की, आखिर में मैंने कहा कि हमने मीटिंग भी की, कोई चारा नहीं है, शुरू कीजिये। जो हमने बनाया है, covered with special wooden floor, the finest in the world and air-conditioned. वहां पर इंटरनेशनल साइकिलिंग के प्रेसीडेंट ने आकर, लिखकर सर्टिफिकेट दिया, वह मेरे अफसरों के पास है, कि "This is as good, if not better, than Beijing." But they spent 135 million dollars. यहां पर 35 मिलियन डॉलर खर्च हुए। यह तो मैं स्टेडियम का कहता हूं।...(व्यवधान) आप लोग सब्र कीजिये, सुनने का हौंसला रखिये। पंजाब एसेम्बली में ऐसे कोई नहीं करता है। आप सब्र से सुनिये। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो फिर सुनने की शक्ति भी रखिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, देश की मिट्टी एक है।...(व्यवधान) पंजाब भी हमारा है।

डॉ. एम.एस.गिल : मिट्टी तो एक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप किसी स्टेडियम के ऊपर सवाल करके भेजिये। एक दम पूरी इंजिनियरिंग की गिनती करायी जायेगी कि क्यों हुआ, कितना हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ। हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आप पार्लियामेंट और एसेम्बलियों में बहुत समय से रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरा एक सवाल है। क्या आप गांव, देहात में भी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे? मेरा यह सवाल है। क्या आप केवल दिल्ली में ही स्टेडियम बनायेंगे।...(व्यवधान) तमिलनाडु में बना देंगे, क्या गांव, देहात में बनाने का कोई प्रावधान है?

डॉ. एम.एस.गिल : मैं आपको उत्तर देता हूं। जितना आपको गांव का दर्द है, आप जानते हैं कि मुझे भी उतना ही दर्द है।...(व्यवधान) मैंने जोर लगाकर 150 करोड़ रूपये अभी लिये हैं, क्योंकि नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। 1500 करोड़ की पिक्का (पीवाईकेकेए) स्कीम रूरल एरिया की, गांव की चलायी हुई है। इसमें

300 करोड़ रूपये साल का दे रहे हैं। मैं जब तक यहां बैठा हूं, जैसे ये गांव के लिए लड़ते हैं, मैं गांव के लिए लडूंगा, यह सारा हिन्दुस्तान जानता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Shri Mulayam Singhji, you have already raised your point and the hon. Minister has answered.

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

15.30 hrs.

At this stage, Shri Mulayam Singh Yadav and some other hon. Members left the House

श्री धनंजय सिंह : सभापति महोदय, पूरे विपक्ष ने आर्थिक घोटाले की बात कही है। सभी लोगों ने एक मत से एक बात कही है कि इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी से करायी जानी चाहिए। मेरी पार्टी भी इस बात से सहमत है कि इस पर जेपीसी गठित की जानी चाहिए। मैं आर्थिक घोटाले के साथ ही साथ विधायी संकट की बात भी करने जा रहा हूं, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट का पैसा भी कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए ट्रांसफर किया गया है।...(व्यवधान) Just a minute. I have taken permission from the Chair and not you. This is not the way. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You tell what you want to say.

… (*Interruptions*)

श्री धनंजय सिंह : महोदय, स्पेशल कंपोनेंट का पैसा भी इस मामले में ट्रांसफर किया गया है। सरकार ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम्स का निर्माण कराया जा रहा है और डेव्लपमेंट भी किया जा रहा है ताकि बाहर से जो खिलाड़ी और पर्यटक आएं तो देश का सम्मान बढ़ सके। मैं शुभकामना देता हूं कि खेल पूरी तरह से सफल हों। 40-50 हजार करोड़ रूपये दिल्ली में इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स पर खर्च किए गए हैं। वर्ष 1996 Building and Other Construction Labour Welfare Act संसद ने पारित किया था। 40-50 हजार करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि लेबर वेलफेयर के लिए क्या उस पैसे को निकाला गया है? इस बिल में यह बात कही गई थी कि कम से कम एक प्रतिशत लेबर वेलफेयर के लिए रखा जाएगा। इतने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लेबर काम कर रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह एक्ट इम्पलीमेंट हो रहा है या नहीं? मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि आप आरटीआई के ज़रिए पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्री जी सदन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।...(व्यवधान)

डॉ. एम.एस.गिल : महोदय, कल जयपाल रेड्डी जी ने सदन में कहा था और मैंने भी उतने ही जोरदार शब्दों में ताइदी की है कि जिस भी प्रकार की इनक्वायरी की जरूरत है, वह होगी। मैं भी संसदीय सिस्टम को जानता हूं। मैंने भी इसकी हिस्ट्री पढ़ी है। वह एक अलग कनसैप्ट है। वह करना है या कब करना है, यह सवाल अलग है। लेकिन इनक्वायरी किसी भी चीज की होगी और अवश्य होगी।...(व्यवधान) Sir, let me finish because he has asked me two things. वह कह रहे हैं कि दिल्ली के बजट में कुछ पैसा है जो इधर से उधर किया गया है, वह उनको प्रोसीजर मालूम है, किस मिनीस्ट्री के बारे में यहां और किस मंत्रालय के बारे में विधान सभा में पूछना है। इसका खेल मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Shri Nama Nageswara Rao will ask the last question.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: A Member from your party has already raised it. That is all. I cannot allow.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): महोदय, मेरा केवल एक सवाल है कि 13 मई 2003 को इंटरनेशनल काउंसिल से एग्रीमेंट हो गया था, Why were things started in 2008?...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, we have had a very elaborate discussion. So, we cannot have a question-answer session this way now. … (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, कल से चर्चा चल रही है और इन खेलों पर करप्शन के आरोप लगे हैं...(व्यवधान) मंत्री जी ने कॉस्ट एक्सकलैशन की बात कही है।...(व्यवधान)

---

* Not recorded

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The Members are repeating the same thing. Is there any new point in that? … (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, you have vast experience in the Chair of the House. This is not the system. … (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, 13 सौ करोड़ से 2930 करोड़ रूपये हो गए हैं। इसके अलावा हर प्रोजैक्ट के लिए 15 से 18 महीने के कम्पलीशन के बारे में कहा था। गेम्स का एक्सकलैशन 150 प्रतिशत बढ़ गया...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, you have vast experience of presiding over the House proceedings. This is not the way. … (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, मैं प्राइस एस्केलेशन के बारे में पूछ रहा हूं। जैसा अभी बताया गया कि जो 1300 करोड़ रुपए का खर्च था, वह 2930 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया और प्रोजैक्ट में 15 से 18 मंथ्स का कंपलीशन पीरियड बताया था, वह भी इतना कैसे बढ़ गया ? …(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, you have vast experience of presiding over the House here. This is not the way to do it. … (*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव : इस ऑगस्ट हाउस में मिनिस्टर साहब ने …(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, वे सभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर होने वाली चर्चा के समय पूछ सकते हैं। …(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, they are going on repeating the same points. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

* Not recorded

15.36 hrs

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2010

MR. CHAIRMAN : Item No. 12, Shri Mallikarjun Kharge.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

Now, Shri Paban Singh Ghatowar.

… (*Interruptions*)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Sir, I am very grateful to the hon. Labour Minister that he has brought the amendment to the Industrial Disputes Act. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: That matter is over, and the discussion on the next Bill has already started.

… (*Interruptions*)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : The Industrial Disputes Act of 1947 is a very important legislation, which specifies the framework for investigation and settlement of various industrial disputes under the Industrial Disputes Act. They provide for consolidation and adjudication in the industrial disputes, and regulate strike and lockout so that a healthy industrial climate prevails in the country.

This is a very old Act. I think that with the Independence in 1947 this very important Act was passed for the industrial growth of our country, and at the same time to protect the interest of the workers who are toiling in this industry of our country for building the nation.

The Act was last amended in 1985. The Industrial Disputes Bill was introduced in the Rajya Sabha in 2009, and after the introduction of this Bill it was referred to the Standing Committee on Labour. The Standing Committee on Labour has given its recommendations, and the Industrial Disputes Bill was discussed thoroughly in the Upper House. They have passed this Bill and its amendments unanimously. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let there be order in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, I simply want to deal with the amendments that are proposed in this Bill. There are some important amendments. An amendment in the Industrial Disputes Act seeks to amend the term 'appropriate Government' under section 2 (a) of the Act to simplify the existing definition. Earlier, there was a lot of difficulties to identify the appropriate Government, especially, in the case of the Contract Labour Act, their Abolition and Regulation

Act. As you know, a lot many crores of temporary workers are working in the industrial establishments of our country. This Act was a very welfare Act, but because of the mention 'appropriate Government' there were problems. Now, the Government has tried to specify and specifically say that these are the 'appropriate Government'. I must say that the Contract Labour Act deals with the contractor, the principal employer, and then the workmen.

When there is a dispute, the employers say that they are not ready to settle the dispute of the workmen. In the case of the Central Government establishment in our country, the Central Government will be the appropriate Government. I think, now the workers need not run from door to door for the redressal of their grievances.

Another problem is coming in the sector of port. There are public sector ports and there are private sector ports. In the public sector, the Government of India is the appropriate Government. But in the private sector, there are many ports that are coming in our country where thousands of our workers are working in these private ports. I think, that has to be specified so that those workers who are working in the private ports, they must not face any difficulty.

There is another amendment specifying the supervisors. There is a proposal of increase of their wages from Rs.1600 to Rs.10,000. Those who will be drawing Rs.10,000 and below, they will be covered by the Industrial Disputes Act. It is a very welcome step. I congratulate the hon. Minister for bringing this, otherwise this was a very old rate. In no industry in our country today, an industrial worker draws less than Rs.1600. But in many cases, the workers in the petroleum sector and many other sectors and even the workmen are drawing more than Rs.10,000 as salary. What will be their position? Where will they go? When the employer will dismiss them or suspend them, then the Industrial Disputes Act is not going to cover them. I think, the hon. Minister will look into this problem. If you see the history of labour legislation of our country, it is only the Congress Government which has brought all the labour legislations for the benefit of the working class of

our country. You see any legislation for that matter whether it is the provident fund legislation or the industrial disputes legislation or any other legislation. This shows the commitment of the Congress Party towards the working class of our country. I hope, the hon. Minister will definitely look into this problem.

There is another proposal in the amendment. Earlier in the matter of any industrial dispute, a worker had to go for conciliation. After the conciliation process, it was to be referred to the respective appropriate Governments and then the respective Government had to refer to the labour court or the tribunal. It has been the experience of the labour movement in this country that in many of the cases, the Government of the day sit on the matter and there is indiscriminate delay in referring these things to the labour court or industrial court. Now, after expiry of three months -- the amendment would give the right to the worker -- he can directly go to the industrial tribunal and the labour court. It is a very welcome step. At the same time, the experience of the labour movement of this country is that many of the labour courts and the industrial tribunals are without a judge. The experience has been that the workers have been waiting for ten, fifteen or twenty years for redressal or final settlement of their grievances.

An employer can afford to wait, but a worker who is the sole bread earner of the family cannot afford to wait. What will happen to his family and the school-going children if he has to wait that long? I, therefore, would request the hon. Minister to consider the next step and ensure that some time limit is fixed by which the grievance has to be settled.

Another problem is that the employer does not implement the judgment of the court. The poor worker has to run again and approach the court to get the judgment implemented. But the legal system is so expensive nowadays that it will be beyond the reach of a worker. So, implementation of judgement must be ensured. Because the employer has the money and power he moves the High Court and then the Supreme Court to avoid implementation of the judgment. I would

request the hon. Minister to make a provision under which the employer would first implement the judgment and then approach the higher courts.

There is another good proposal in the legislation and that is the grievance redressal procedure. The hon. Minister has brought this with the good intention that there will be Work Committee and grievance redressal machinery in the establishment comprising the representatives of the employees and the employer. Think this is a good system but this is already there. About 90 per cent of the industrial establishments have not formed the Grievance Redressal Committees in their establishments. What is the corrective measure that the Government is going to take?

In this regard also I would request the hon. Minister to look into this problem so that the good intention of the law is implemented and the worker gets the benefit of the good intention of the Government that is to improve the working conditions of the worker. Hon. Labour Minister is an experienced person. I know that in the Labour Department he has to deal with the poorest of the poor of our country who are working in the unorganised as well as the organised sectors. In the Department he is heading, I think many offices are required to be established in our country so that millions of our toiling workers get justice as rightly intended by the UPA-II Government.

I say with full confidence that it has always been the intention of the Congress Government to give necessary protection to the workers and work for the welfare of the working class in the country. At the same time, the Government has to look into the whole system. The first National Labour Commission was chaired by Justice Gajendra Gadkar. The second Labour Commission was headed by one of the Central Labour Ministers. They had given a very good report. There was a tripartite Committee and they had discussed many things. I definitely request the hon. Labour Minister to constitute a small Departmental Committee to go into the recommendations of the first and the second National Labour

Commissions and try to see how far a new legislation can be brought to the House for the betterment of workers.

Without a vibrant working class, you cannot build the nation. You have to first give them the confidence, their bare minimum requirements, you cannot think of progress of the country because they are the builders, the real builders of our country.

With these words, I wholeheartedly support the Amendment brought forward by the hon. Labour Minister. I look forward to the Minister that he would ponder over the points raised by me and try to address those problems.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, हम औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं। यह विधेयक 1947 में बना था। तब से लेकर आज तक औद्योगिक क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। उदारीकरण के बाद से देश में काफी बातें उभरकर आई हैं। इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जो कामगारों की सुरक्षा को कम करके नियोक्ता का हर अधिकार सुरक्षित करना चाहती हैं। किन्तु सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ है और कानून के अंतर्गत कामगारों की सुरक्षा अनवरत जारी है। अगर हम कामगारों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 75 हजार प्रकरण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस कामगार को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, वह केवल कामगार और उसका परिवार ही समझ सकता है। हम कामगारों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह विधेयक लाए हैं। इससे पूर्व यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में काफी विचार किया। स्थायी समितियां इसलिए होती हैं कि उन पर समिति के सदस्य काफी होमवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और काफी परिश्रम के बाद उस संबंध में अपनी सिफारिशें देते हैं। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस विधेयक के संबंध में काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। लेकिन उन सिफारिशों को इस विधेयक में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के अंतर्गत स्थायी समिति के सुझावों की प्रवृति केवल अनुरोध करने की होती है। किन्तु उसके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया गया और स्थायी समिति की रिपोर्ट को औपचारिकता मान लिया गया। सरकार स्थायी समितियों द्वारा दिए गए ठोस सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेबर स्टैंडिंग कमेटी ने जिस तरह की सिफारिशें दी हैं, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें शामिल कर लिया जाता तो यह विधेयक और अच्छा हो सकता था, और ज्यादा प्रभावी हो सकता था।

जहां तक समुचित सरकार की परिभाषा का संबंध है, विभिन्न राज्य नियंत्रित निकायों को इसके कार्य क्षेत्र में लाने के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए। अब एक समयक संशोधन लाया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के नियंत्रण वाले ऐसे प्रत्येक निगम समुचित सरकार का हिस्सा स्वत: ही बन जाएंगे। यह अच्छी बात है। परिभाषा में छोटे सदस्यों को पहले ही जोड़ा जाना चाहिए, जैसे अब जोड़ा जा रहा है। ठेकेदार के कर्मचारियों को सुरक्षा देने के संबंध में आम सहमति बनी थी। इस संबंध में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि जहां तक कौन्ट्रैक्ट लेबर का सवाल है, इसे भी समुचित सरकार के कार्य क्षेत्र में ले आइए। यह बहुत अच्छा सुझाव था। इसे वर्तमान विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही कैजुअल लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि सरकारी संस्थानों में भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो काम होते हैं, चाहे वे विमानपत्तन के

हों, चाहे पैट्रोलियम के हों, चाहे बीएचईएल में हों, हम जहां जाते हैं, देखते हैं कि सारे काम बॉन्डेड लेबर द्वारा करवाए जा रहे हैं। इस बिल में उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। उन्हें इससे वंचित किया गया है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कौन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी इस विधेयक में गंभीरता से विचार कीजिए।

अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें, ऐसे लोग जिन्हें 1947 में 1600 रुपये मिलते थे, उन्हें हमने कामगार माना। लेकिन आज अगर हम उसे इस विधेयक के अंतर्गत 10 हजार रुपये की सीमा तक बढ़ा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज 10 हजार रुपये फोर्थ क्लास इम्प्लाई को भी मिलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने 1600 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का सुझाव दिया था, लेकिन आप सिर्फ 10 हजार रुपये कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को भी 10 हजार रुपये मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सीमा को बढ़ाकर, स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमैंड किया है, 25 हजार रुपये तक ले जाइए। आप कहते हैं कि 10 हजार रुपये से ज्यादा मिलेंगे तो सुपरवाइज़री की पोस्ट हो जाएगी और अगर 10 हजार रुपये से नीचे है तो उसे वर्कमैन माना जाएगा। सैंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी यह सुझाव दिया है कि इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर देने चाहिए।

जहां तक ईएसआई कार्पोरेशन का सवाल है, उसमें भी 15 हजार रुपये किया गया है। प्राइवेट खंड में 15 हजार रुपये करने का प्रयास चल रहा है, इसलिए दस हजार की जो सीमा है, यह आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। इस पर विचार करके 25 हजार रुपये तक बढ़ाइये। अगर कोई कर्मचारी सुपरवाइजर का काम कर रहा है और उसकी आय 25 हजार रुपये से अधिक है, तो उसे आप सुरक्षा के दायरे से हटा सकते हैं, इस सुझाव को आपने स्वीकार नही किया और इस सीमा को केवल दस हजार रुपये ही रखा। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यह बहुत अच्छा सुझाव दिया गया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस सुझाव पर ध्यान दें और इस पर गंभीरता से विचार करें।

सभापति महोदय, मंत्री जी, एक बहुत अच्छा संशोधन लाये हैं, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी कि कोई कर्मचारी अपनी सेवा के निलम्बन की समाप्त होने की स्थिति में या अन्य स्थिति में सीधे न्यायालय नहीं जा सकता था। लेकिन आप इस विधेयक में यह संशोधन कर रहे हैं। पहले यह होता था कि उस बारे में समझौते या सम्पर्क का सहारा लेना पड़ता था। जिस व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, उसे बहुत कठिनाई होती है। इस संबंध में आपने प्रावधान किया है कि सुलह के लिए आवेदन की 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् वह सीधे श्रम न्यायालय जा सकेगा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हम आपको

धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आपने 45 दिन की जो अवधि रखी है, उसे घटाकर 30 दिन रखना चाहिए। 30 दिन की अवधि के पश्चात् वह सीधे स्वयं न्यायालय में जा सकता है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान संशोधन के पूर्व भी इस विधेयक में 1982 में संशोधन किये गये, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान किया गया था। लेकिन पिछले 20 वर्षों के दौरान इस प्रावधान को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। किन्तु अब लग रहा है कि इसे कार्यान्वित किया जायेगा। इस तंत्र के द्वारा ऐसे संस्थानों में जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है, वहां उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। किसी संस्थान में कर्मचारी को शिकायत होने पर उसकी समस्या का इस तंत्र द्वारा समाधान किया जायेगा। चाहे संस्थान में कर्मचारियों की संख्या दस भी हो, तब भी उनकी समस्या सुलझाना आसान है। इसलिए जो 20 की संख्या रखी है, इस 20 की संख्या को कम करके दस किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े उद्योगों में कार्य श्रमिकाएं होती हैं, इसलिए वहां पर शिकायत निवारण समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत निवारण प्रतितोषण तंत्र के 9 (ग) में कहा गया है कि समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यवाही करने की बात की गयी है। जो 30 दिन का समय होता है, इसमें 9 (ग) का भाग 6 में कहा गया है कि शिकायत प्रतितोषण समिति अपनी कार्यवाहियों को व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीन दिन के भीतर काम करेगी। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि समिति के जो सदस्य होते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है। इसलिए 30 दिन का समय कम करके इसे 15 दिन में करना चाहिए क्योंकि कामगार के परिवार के बारे में हमे विचार करना चाहिए। ऐसे ही 9 (ग) का सातवां भाग है, उसमें नियोजक अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर निपटारा करेगा। जब कर्मकार की मजदूरी छीन जायेगी, कर्मकार खाने को मोहताज हो जायेगा, ई-मेल का युग है और नियोजक ई-मेल और फैक्स आदि का सहारा लेकर उस पर एक महीने के स्थान पर 15 दिन के भीतर नियोजक को भी उसका निपटारा करना चाहिए। एक बात और कही गयी कि ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश देने के संबंध में जो प्रावधान है, उस प्रावधान में एक भारी कमी है। अब ट्रिब्यूनल को निर्णय देने की शक्ति तो प्रदान की जायेगी और निर्णय भी डिग्री के रूप मे दिया जायेगा। मै कहना चाहता हूं कि किसी निर्णय या डिग्री देने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी हो, जिसके पास शक्तियों हों, जो वैध हो, क्योंकि श्रम न्यायालय में प्राप्त संख्या में कर्मचारी नहीं होते हैं। इस कारण से हम एक तरह से इस कानून में उनकी अर्हता को कम कर रहे हैं। अब डिग्री तो राष्ट्रीय श्रम न्यायालय देगी। वह राष्ट्रीय अभिकरण है, किन्तु उसका निष्पादन सिविल न्यायालय के द्वारा किया जायेगा। अब एक तंत्र के बिना निर्णय देंगे, इसलिए किसी भी ऐसे तंत्र के लिए जिसके पास शक्तियां न हों, वह व्यर्थ है, इसलिए इस प्रकार के अधूरे प्रावधान कर्मचारियों के लिए बेकार है । ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। अगर आप चाहें, तो मैं बाद में इसे आगे कन्टीन्यू कर सकता हूं।

<u>15.59 hrs.</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA – Contd.
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA[*]

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Foreign Trade (Development and Regulation) Bill, 2010 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 9th August, 2010."

2. Sir, I lay on the Table the Foreign Trade (Development and Regulation) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha on the 9th August, 2010.

---

[*] Laid on the Table.

16.00 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Environmental implications of the oil spill off Mumbai coast

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to make a suo motu statement on the environmental implications of the recent incident of the oil spill off Mumbai coast.

At around 09:15 a.m., August 7, 2010, there was a collision in the Mumbai harbour between a container vessel MSC Chitra, which was proceeding from the Jawarharlal Nehru Port to the sea and another vessel Khalijia 3, which was proceeding towards the Mumbai Port. The collision appears to have been due to the fact that the two Vessels were communicating on different VHF channels.

Khalijia 3 collided with the port side of MSC Chitra damaging one of its hatches leading to ingress of water and consequent listing of MSC Chitra. Due to the impact of collision, three containers on its deck dropped into the sea. It was reported that about 200 litres of hydraulic oil had leaked out.

Immediately, two tugs were requisitioned by the Mumbai Port Trust and were rushed to provide assistance. 24 crew members were evacuated by the crew of the tugs. The master of the vessel and 5 crew members remained on board and were brought on shore at Mumbai. There were no casualties.

The bow of Khalijia 3 was damaged. This vessel proceeded further and is safely docked at the Mumbai Port Trust.

The agents of MSC Chitra were immediately contacted and told to take steps for securing and salvaging the vessel. The vessel agents have appointed M/s Smit Salvage, Singapore for assessment and salvaging of the vessel. The representatives of this firm boarded the vessel, secured the compartments and dropped the port and starboard anchors to prevent it from drifting. They have reported that fuel oil appears to be leaking from one of the wing tanks.

Attempts have been made to tow the containers that have fallen off from the vessel.

The Navy carried out a survey of the main channel in the early morning of 9th August, 2010. The channel was reported to be clear at the time and limited shipping movements were carried out.

MSC Chitra had in all 1219 containers, 707 in the hold and 512 on the deck. The lashings of the containers can not hold long on account of high pressure due to the listing of the vessel. This has resulted in about 150 containers having broken off and falling into the sea. Consequently, shipping movements have been suspended pending fresh survey of the channel.

Regarding oil spill, the vessel had 2662 tonnes of heavy oil in its various tanks and 245 tonnes of diesel oil. There is oil spill around the vessel. The coast guard vessel and three JNPT tugs are spraying dispersant under the directions of the Coast Guard. No oil spill has been observed in the harbour.

At the last survey, the vessel was listing about 35 degrees. The Coast Guard vessel CG 22 and the two tugs of JNPT are standing by for assistance.

The following action plan has been drawn up -

- collect the floating containers and take them to JNPT; this will be by anchoring a barge at a suitable anchorage with floating cranes. Tugs will tow the floating containers to come for the placement on the barge;
- thus the Harbour is likely to be cleared of the floating containers by 10-8 2010, that is today;
- once the list of the vessel stabilises and is certified safe to board, the salvagers would board the vessel and remove the fuel from the various tanks into barges to eliminate threat of pollution;
- the containers on deck would have to be removed with the help of tugs and crane and barge arrangement and taken to JNPT;
- the removal of the remaining containers in the holds and salvage of the vessel would then be attended to.

The entire salvage is expected to take 45 days,

An enquiry by the DG (Shipping), which is in the Ministry of Shipping, into the causes of the accident has been ordered and is underway.

I would like to mention here that the Indian Coast Guard (ICG) is the Central coordinating agency for marine pollution in the country. The Coast Guard have prepared a National Oil Spill Disaster Contingency Plan and are engaged in building up the pollution response capabilities to deal with oil spills in the Exclusive Economic Zone of India. The National Oil Spill Disaster Contingency Plan stipulates the organization and operational details to effectively combat any oil spill contingency.

As per the information provided by the State Government, the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) is monitoring samples at the coast to determine the oil content. The Maharashtra Pollution Control Board has instituted an FIR under sections 7, 8 and 9 of the Environment (Protection) Act, 1986.

Mr. Chairman, Sir, let me assure the House that all agencies of the Government are making all efforts to tackle the situation.

Sir, since the statement was prepared and distributed, there is some latest information that I would like to share with the hon. Members. The oil spill has stopped. The Coast Guard has been successful. No more oil is spilling off the coast now. So, the oil spill has stopped. I have contacted the Coast Guard this morning and they have assured me that by Sunday, the 15th of August, 2010, the harbours will be cleared. Today, 17 ships are berthed to leave JNPT and Mumbai Port Trust and 15 ships are waiting to berth in JNPT and the Mumbai Port Trust. So, about 32 ships are waiting either to leave or to come. By the 15th of August, we have been assured by the Coast Guard which is the central coordinating agency for such contingencies that the harbour would be cleared. There are about 200 such containers which are floating around in the water. I have been assured that by Sunday, this would be cleared so that the Port would re-open for normal traffic.

In addition, an advisory has been issued and all fishermen have been advised not to continue with their normal fishing activities till the 15th of August, 2010. I say this because many Members would be concerned about the livelihood, security and safety of the fishermen. The fishermen have been advised day before yesterday not to venture out into the waters for their normal fishing activities till 15th of August, 2010.

Sir, there are many other issues relating to the damage that the oil spill could cause to the mangroves in and around the area. I have requested the Bombay Natural History Society to carry out a comprehensive assessment of what the damage is likely to be. Meanwhile, the Maharashtra Environment Department has contacted the District Collectors and arrangements are being made to place straw bags in order to ensure that there is no further damage to the sensitive mangrove areas. We are awaiting a report from the Bombay Natural History Society and we will then take suitable remedial action in order to protect and safeguard the mangroves.

I would also like to say that strictly speaking, this subject does not concern the Ministry of Environment and Forests. As I have mentioned, it is the Coast Guard that is the central agency since 1986 for dealing with marine pollution. The Ports are the responsibility of the Ministry of Shipping but since two hon. Members raised this question, I volunteered to make a *suo motu* statement. I have made the statement and as and when I get fresh information, I will share it with the hon. Members.

16.09 hrs.

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2010 – Contd.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): धन्यवाद सभापति जी। इसके बाद मैं आता हूं शिकायत दूर करने के मामले में आप देखें कि इसके भाग नौ में सिविल न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट जारी आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह के अधिकार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम के तहते जो उपभोक्ता न्यायालयों को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसी प्रकार श्रम न्यायालयों को भी आदेश के निष्पादन के लिए शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि लेबर कोर्ट से ही उसका पालन हो सके और डिक्री के निष्पादन के लिए कामगार को अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अब इसमें शिकायत, तथा इसके भाग (10) में यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण, किसी पंचाट, आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानों कि उसके द्वारा पारित किया गया हो। यानी निर्णय एक कोर्ट करेगा और उसका पालन दूसरा कोर्ट करेगा और कर्मकार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अतः मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उस निर्णय का कर्मकार के जीवन पर प्रभाव न पड़े और सीमित समय-अवधि में उसके भाग्य का फैसला हो सके, उसे न्याय मिल सके।

एक सिफारिश स्टेंडिंग कमेटी ने और की थी और उस सिफारिश को भी इस बिल में कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह सिफारिश थी कि ट्रेड यूनियन्स को अनिवार्य मान्यता देना। समिति गंभीर रूप से चिंतित है कि नियोजकों को जैसे ही कर्मकारों द्वारा अपने संघों को पंजीकृत कराने के प्रयास की सूचना मिलती है, नियोजक कर्मकारों को स्थानांतरित और पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। समिति महसूस करती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकृत श्रम संघों को अनिवार्य मान्यता दिये जाने हेतु अधिनियम में विशेष उपबंध किया जाए। यह इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश थी और इतनी महत्वपूर्ण सिफारिश को इस उपबंध में कोई स्थान नहीं दिया गया है। किसी यूनियन का जब

रजिस्ट्रेशन होता है, तो सात कर्मकार मिलकर वहां का जो जिला लेबर ऑफिसर होता है उस जिला लेबर ऑफिसर के यहां जाकर पंजीयन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, नियोजक के जो संबंध जिला लेबर ऑफिसर के यहां होते हैं वह उन्हें सूचना दे देते हैं और जैसे ही नियोजक को सूचना मिलती है वह उन कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, उन्हें वहां से हटाना शुरू कर देता है और उनकी ड्युटियां ऐसे स्थानों पर लगाना प्रारम्भ कर देता है जिससे वे परेशान हों और जिस तरह का वे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस काम को करने से पीछे हट जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री में, कारखानों में, इंडस्ट्रियों में यूनियन को मान्यता देने के लिए सुधार अगर माननीय मंत्री जी लाते हैं तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। इस संबंध में निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और उचित कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

ऐसे ही असंगठित कामगारों का जो सामाजिक सुरक्षा विधेयक है, इसे 2008 में पारित किया गया था। इस बारे में भी स्टेंडिंग कमेटी में कहा गया था कि इसमें फंड की क्या आवश्यकता है। इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। दो-दो, तीन-तीन साल तक और निवेदन करने के बाद भी असंगठित कामगारों के लिए पिछले बजट में मात्र एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछला बजट 11 लाख 6 हजार रुपये का लाया गया था जिसमें असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा बड़ाने की पहल के लिए एक हजार करोड़ रुपया दिया गया।

सभापति महोदय, केवल असंगठित क्षेत्र ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह भवन निर्माण में लगा श्रमिक हो, चाहे खेती के क्षेत्र में लगा हो, चाहे वह बीड़ी के निर्माण कार्य में लगा हो, चाहे हाथ-ठेले को धक्का देने वाला श्रमिक हो, चाहे वह चाय-बागान में काम करने वाला श्रमिक हो, ऐसे श्रमिकों के बारे में समग्र रूप से विचार करके, इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए कदम उटाए जाएंगे तो हम जो श्रमिकों और कामगारों के बारे में इस विधेयक के बारे में चिंता कर रहे हैं, यह विधेयक हमारा ज्यादा प्रभावी बन पड़ेगा और कामगारों को बेहतर ढंग से हम लाभ भी दे सकेंगे।

हमारे यहां परम्परा है कि हम विभिन्न विधेयक लाते हैं और उनमें जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करके, उन विधेयकों को अच्छे रूप में लाकर कर्मचारियों को अधिकार दिये जाएं, उनकी शिकायतों का निवारण किया जाए। सभी बिंदुओं पर सम्यक रूप से, गंभीरता से विचार करके विधेयक को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर अब भी प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर सरकारी संशोधन ला सकते हैं और इस सरकारी संशोधन को लाकर, सारी कमियों को दूर करके, इस विधेयक को औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से एक बेहतर विधेयक बनाया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में गंभीरता से

विचार करेंगे और कामगारों को लाभ देने के लिए, यह जो आप विधेयक लाए हैं, वह प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री वीरेन्द्र जी ने इस विषय पर बहुत अच्छे सुझाव और विचार प्रस्तुत किए हैं। मजदूर, मजदूरों की यूनियन, और खास तौर से कंपनियों के मालिकों के बीच के विवाद में यूनियन मध्यस्थता करती है। अकसर देखा जाता है कि जब कोई कंपनी एक्ट का उल्लंघन करती हैं तो बहुत सी कंपनियों की प्रभावशाली यूनियनें, अपनी जायज मांगें और शर्तें मनवा लेती हैं और कमजोर यूनियनों की समस्याओं की बहुत अनदेखी होती है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस संशोधन विधेयक में यह बात आनी चाहिए कि कर्मकार और मजदूरों की हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यह देखा गया है कि बहुत सी यूनियन के लोगों के हाथ में औजार या हुनर होता है, ये कंपनी की रीढ़ होते हैं और ये कंपनी को आगे ले जाने में, उत्पादन में और मुनाफे में हर तरीके से मददगार होते हैं लेकिन जब उनके हितों की रक्षा नहीं होती है तब वे समस्याओं के निदान के लिए औजार के बजाय हथियार उठाते हैं। हमें इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि विवाद चाहे कोर्ट में हो, श्रम न्यायालय में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या निचली अदालतों में हो, न्याय में बहुत देरी होती है। आपको मालूम है, हमारे साथी ने भी बताया है और मेरे ख्याल निचली अदालत, श्रम अदालत और उच्च न्यायालय में छोटे मोटे विवाद से लेकर तक लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। अभी तक इनका कोई फैसला नहीं होता है। कभी-कभी यह स्थिति आती है कि जब कंपनी बंद होने की स्थिति में होती है, उत्पादन समाप्त हो जाता है, स्वामित्व समाप्त हो जाता है, इस समय कंपनियों के हित में ऐसे फैसले आते हैं और कंपनी की आर्थिक स्थिति की विपरीत जाकर मदद देने की बात होती है तो मामला बहुत लंबा खिंचता है। उन्हें कभी तो मदद मिलती है और कभी नहीं भी मिल पाती है। इस तरह से यह प्रॉसेस लंबा खिंचता चला जाता है, निचली अदालत से उच्च अदालत में जाते-जाते ऐसा भी होता है कि कर्मकारों की जिंदगी समापत हो जाती है। इस विधेयक में इस तरफ भी गौर करने की बात है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से निकालने पर पूर्णतः बकाया लाभ के साथ वापिस लेने की बात होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। उन्हें एक मुश्त धन देकर कहा जाता है कि आपकी कंपनी से सेवाएं समाप्त हैं या नॉमिनल मदद देकर फिर वापिस लेने की बात होती है। मेरे कहने का मतलब है कि इस विधेयक में कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों का हित हो।

सभापति महोदय, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कंपनी और श्रमिकों के बीच बहुत से ऐसे विवाद होते हैं जिनमें सरकार का दखल होता है। सरकार को एक हद तक दखल देना चाहिए और कर्मचारियों के

हितों को देखना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का हित कितना है और कर्मचारियों का नुकसान या कंपनी के हित को ध्यान में रखकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए।

जिससे किसी का भी नुकसान न हो। जहां तक देखा गया है, बहुत सी ऐसी सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज हैं, खासकर हमारे सम्मानित मंत्री, श्रीप्रकाश जायसवाल जी यहां बैठे हुए हैं। उनका क्षेत्र कानपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां बड़ी अच्छी-अच्छी मिलें, कारखानें और कंपनियां थीं। परंतु वहां ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां और मिले वहां बंद हुई हैं, जिनके श्रमिक आज बेकार पड़े हुए हैं। उन्हें कहीं भी समायोजित नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार की पूंजी लगी हुई है। उन कंपनियों को पुनर्जीवित करके कम से कम जो श्रमिक आज भुखमरी के कगार पर हैं, उन्हें वापस बुलाकर उन कंपनियों को भी चालू कराया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि उन मजदूरों और श्रमिकों को कहीं भी समायोजित न किया जाए तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जहां आपकी पूंजी लगी हुई है, चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, तमाम ऐसी कंपनियां हैं, उनमें उन श्रमिकों को समायोजित करना चाहिए।

मुझे याद है कि हमारे यहां आटो ट्रैक्टर की फैक्टरी प्रतापगढ़ में थी, जब वह बंद हुआ, एग्रो बंद हुआ, बहुत से निगम बंद होते हैं तो उन कर्मचारियों को, जिनमें योग्यता है, अनुभव है, उन्हें अन्य विभागों में समायोजित करके उनकी सेवाओं को लिया जाता है। उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है, जिससे सरकार को भी फायदा होता है। इससे जो कंपनियां घाटे में चल रही होती हैं, वे पुनर्जीवित होती हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी द्वारा जो औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक, 2010 लाये हैं, उसमें वह विशेषकर कंपनियों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion which is very much concerned with the backbone of this great country, the workforce. I am glad that the UPA Government is taking all possible steps to safeguard the interests of the lot of the workforce and the debate which is going on in this august House is towards this desire.

By making this Amendment to the Industrial Disputes Act, 1947 through this Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010, the UPA Government is trying to bring more workforce under the purview of this Act, so that everyone gets justice. I also welcome the step initiated by the Government through this Amendment forcing industrial establishments with more than twenty workmen to set up a mechanism to address individual grievances. It is true that if such mechanism is existed, then everyone will prefer to settle his dispute within this ambit only, rather than going through the Labour Court or the Tribunal. So, it is a welcome step.

However, I have a suggestion to make here. Looking into the growing use of computers, etc, the strength of manpower has come down in almost all establishments. Moreover, there is a tendency among the entrepreneurs to get many companies incorporated under one roof and keep the number of employees at lower side in a particular company name to escape from many laws and rules relating to workmen or manpower. Therefore, it would be prudent to keep the requirement of workmen at ten instead of twenty as suggested in the Bill.

Another thing which I would like to mention here is about the enhancement of wage ceiling of a workman from Rs. 1,600 per month to Rs. 10,000 under Clause 2(s) of the Act. The amount fixed at Rs. 10,000 is very low keeping in view the prevailing wage structure existing in almost all establishments. Therefore, it should be fixed or enhanced at a minimum of Rs. 25,000. The Standing Committee was also of the same view and has recommended accordingly to increase the ceiling to Rs. 25,000.

The Government had appointed the Second National Commission on Labour to suggest a reform of labour laws and legislation to provide a minimum level of protection to workers in the unorganised sector and the present Bill addresses many of its recommendations.

However, we are required to do much more to ensure that our workforce lead a peaceful life. For example, the conciliation proceedings between the management and labour which are mediated by government officers are to be completed within two weeks. Whereas in 25 per cent cases, the proceedings had been pending for more than two years and in the case of adjudication, a good percentage of cases taken up by the labour courts and tribunals in many places, were still pending although these cases were taken up many years ago. So, there is a need to introduce a mechanism to sort out these problems including implementation of awards.

The Second National Commission on Labour had recommended for the creation of a single comprehensive law covering labour relations and the standardization of terms and definition across different laws and also to set up labour relations commissions at national, central and state level to function as appellate tribunals for labour courts. So, I urge upon the hon. Minister to look into it.

Sir, clause 5 of the Bill allows for personnel of the state labour departments or officers of the Indian Legal Service with specified qualification and experience to be appointed as presiding officers in labour courts or tribunals. The hon. Supreme Court in its landmark judgment in S.P. Sampath Kumar *Vs.* Union of India had recommended that advocates with the requisite number of years of practice at the bar, in the relevant legal field, eligible for appointment as presiding officer of Labour Courts and Industrial Tribunals and the Law Commission has also opined the same view, but this recommendation of the hon. Supreme Court or the recommendation of the Law Commission has not been incorporated in the present Bill. Therefore, I would like to make a request to the Government to look

into this recommendation made by the Law Commission and the hon. Supreme Court.

Sir, when we debate in an issue concerning labour, we cannot neglect this issue as it is very much related with his employment. Today, in almost all the provident fund offices spread across the country, the cases of withdrawal of provident fund have piled up and taking a lot of time for settlement which resulted into stress amongst the workforce. Similarly, the provident fund offices are also not showing any sympathy towards legal heirs of the account holders for grant of pension and the disbursement of pension is taking a lot of time putting the families of account holders into great economic difficulties leading to starvation. Therefore, I would request the Government to direct the Provident Fund Organization to settle the dues without causing any inordinate delay as well as to grant pension immediately upon receipt of application in this regard.

Sir, I feel it is very relevant to mention here about the ESI Hospitals working in the country. When we talk about workmen, we cannot conclude without mentioning about their health needs as health is wealth and the labour force is the wealth of this nation. I have come to know in many hospitals working under ESI there are no specialized doctors and also lack of life saving drugs. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to pay special attention to this segment as well.

I once again appreciate the initiative taken by the Government for the welfare and betterment of the workforce in the country and I support the Bill.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से सरकार का ध्यान उन संशोधनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कामगार विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं, उनके कल्याण के लिये, उन्हें संरक्षण देने के लिये बेहतर प्रावधान करने की जरूरत है। हमने देखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने निगम रहे हैं, वे जब बंद हुये तो उनमें काम करने वाले कामगार बेरोज़गार हो गये। वे अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देने के लिये मोहताज हो गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे कामगारों को कही न कहीं समायोजित करने के लिये इस विधेयक के माध्यम से प्रावधान किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जिस इकाई में 20 कामगार होंगे, वे शिकायत की बात करेंगे। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश मं भदोही और मऊ में कालीन उद्योग है या जहां छोटे-छोटे कारखाने चलते हैं, जहां साड़ी बनती है या लुंगी बनाने का काम होता है, वहां घर घर में ऐसी इकाईयां स्थापित हैं जहां 5-6 या 8-10 कामगार काम करते हैं। मेरा मानना है कि 20 कामगारों की बजाय इसे कम करके विधेयक में 5-6 कामगारों का प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि उन्हें शिकायत करने का अवसर मिल सके।

बीड़ी मजदूर बहुत ही छोटे स्तर पर घरों में काम करते हैं। मैं एक चीज और देखता हूं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से औद्योगिक इकाईयों में एकदम से लोगों को निकालकर सड़क पर खड़ा कर देते हैं और कह देते हैं कि आप कल से काम करने मत आइये। यह तो कामगार की बात हुई, मैं देखता हूं कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की भी स्थिति यह हो गयी है कि जो लड़के एमबीए किये हुए हैं, उन्हें भी रिसेशन के नाम पर निकालकर बाहर कर दिया जाता है। जब उन्हें जाने के लिए कह दिया जाता है तो ये छोटे मजदूर कहां से अपने हितों का संरक्षण कर पायेंगे। सारे मजदूरों की आशा की किरण सरकार है और वे सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार हमारे हितों के लिए क्या कर रही है। आम आदमी और कमजोर आदमी सिर्फ सरकार की तरफ देखता है। मेरा मानना है कि उनके संरक्षण के लिए इस बिल में गंभीरता से एक दंडनीय प्रावधान करना चाहिए। बाध्यकारी प्रावधान करने की जरूरत है।

महोदय, इस बिल में मेरा एक सुझाव है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर तमाम छोटी इकाईयों में काम कर रहे हैं, उनके मेहनतनामे को भी सरकार निर्धारित करे। 100 या 150 रूपये इस तरीके से जो उन्हें कम पैसे देकर काम कराते हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की बात है, उसे कम से कम जो इस तरीके के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 200 रूपये से कम मजदूरी न निर्धारित की जाये। हमने वैलफेयर की बात कही है कि जो लोग इस तरीके के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके वैलफेयर के लिए प्रावधान किया जाना

चाहिए। जो लोग भत्ते पर काम करते हैं, तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जो बीड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे कैंसर रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जो लोग इन रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, चाहे कोयला खदानों में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के वैलफेयर के लिए सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए।

SHRI P.R. NATARAJAN (COMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given by you to me to speak on this Bill.

At the outset, I would like to thank the hon. Labour Minister as well as the Ministry to have accepted the recommendations given by the Standing Committee on Labour. After seven years, after the Tripartite Labour Conference, these recommendations slowly come in the form of amendments to this august House. We once again thank our Labour Minister, the Ministry for the efforts taken by the Ministry officials in this regard.

Secondly, my suggestion is to remove the wage ceiling. From Rs.1600, it has been suggested to increase it by Rs. 10,000. We must remember that this is happening almost after 25 years. So, what I suggest is that we have to give the bargaining capacity to the labour and the trade union. So, let us try to remove the wage ceiling.

Thirdly, I come to the grievance redressal machinery. In the amendment, they have decided to fix the number of workers. They have decided to set it up where more than 20 workers are there whereas for the purpose of Provident Fund, the number of workers fixed by them is 10. So, my suggestion is for the efficient functioning of the grievance redressal machinery also, you should try to reduce the number to 10 and above.

Fourthly, in this amendment, the Award given by the Tribunal is mentioned. Actually, the Award given by the Tribunal or the Award given by the court is very difficult to be implemented. I repeat that it is very difficult for the labour to get it implemented. They have to go to the Collector and all that. They have to wait for more than 10-20 years.

Now the Ministry has decided to give some power for implementation. My suggestion is that the Government should try to fix some time frame for implementation.

My next point is, it seems there is no labour law in the Special Economic Zone whether it is in NOIDA or in Chennai. It seems that the Labour Ministry is not at all allowed to enter into the Special Economic Zones. Now the District Collector or the District Magistrate is acting as the labour authority in those areas. My suggestion is that all the labour laws should be implemented in the Special Economic Zones.

These are my suggestions. With these few words, I conclude.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

* Not recorded

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Mr. Chairman, Sir, the amendment brought after 63 years by the hon. Minister to the Industrial Disputes Act, 1947 is very practical and it is very much essential for the workmen. This amendment provides a settlement mechanism for disputes between the workers and the management which was not there in the previous Bill. The most important thing is, in the earlier Bill, the worker was defined as a person who draws a salary of Rs. 1,600 per month. Now, practically a worker or a supervisor who is drawing a salary of Rs. 10,000 per month, he comes under the definition of workmen. Now I would like to know whether it is the total salary or the basic salary. This is the question in my mind because in Bombay Industrial Relations Act which is applicable for some industries, it is mentioned specifically as a person drawing a basic salary of Rs. 1,000 per month whether he is a supervisor with administrative and managerial powers or otherwise. Last year, an amendment was made to that Act whereby the salary was raised to Rs. 6,500 per month. But here the salary is mentioned as Rs. 10,000. So I would like to know from the Government as to whether this amount of Rs. 10,000 is the total salary or the basic salary.

Earlier, a worker or an employee dismissed was not allowed to go to a court of law directly. He had to approach the Government machinery, that is, conciliation proceedings or any other Government machinery. But this amendment provides that he can directly go to a court of law. It was very necessary.

Then this Bill provides a redressal committee appointed by the management where the workers can resolve their disputes. This Bill also provides the eligibility criteria for all Presiding Officers of the Court and Tribunals established under the Act. All awards made by such Courts or Tribunals are to be executed by the relevant civil court under the Civil Procedure Code. This is also a new arrangement and I wholeheartedly welcome it.

So also is the amplification of the definition of Appropriate Government. Working in the labour field, definitely this problem was very much there and somewhere I got the order in my favour in this regard. Fortunately, this has been brought in to this amendment. That is why these amendments will help a lot to the workers working under the Industrial Disputes Act. I sincerely thank the hon. Minister for this once again.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Chairman Sir, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, I certainly welcome this amendment moved by the hon. Minister of Labour and Employment. Certainly, this is an effort to minimize the difficulties of the workers.

After 63 years of our Independence, this law is being amended and certainly it has provided avenues for settlement of disputes and to help the workers who are in difficulty. The dismissed workers can also apply for redressal of their grievances by this particular amendment which has been brought into this amending Bill. They have also incorporated amendment of section 2.

Similarly, as has been mentioned in the Bill itself, a new Chapter has been added. As I have stated earlier, about the grievance redressal machinery, in the new Chapter they have provided grievance redressal machinery. This machinery will certainly go a long way to help the workers, especially, the retrenched or dismissed workers. They have also provided for a grievance redressal committee. This will be represented by both the employers and the employees and they can settle the disputes mutually. As has been mentioned by my predecessors, this will no doubt help the workers and the employers will be compelled to hear the grievances of the employees.

But there are some misgivings also. Especially, I would like to quote, Shri G. Sanjeeva Reddy, the President of INTUC, which is the trade union wing of Congress Party. He says:

> "Industrial Dispute Tribunals already follow civil court procedures and the delays are extraordinary. The country should think of establishing fast track courts, so that awards and fines can be enforced immediately."

This is his statement which I have just cited.

So, I think, still there is enough scope to make this particular Amending Bill pro-worker. There should not be delay in deciding upon the differences or whatever problem the workers have.

Another aspect which I would like to mention is that this particular piece of legislation should have been brought much earlier. However, it is better that it is being brought. The hon. Minister who is piloting the Bill is also very learned. He has enough experience in his political career not only here as a Minister but, I know him, he was there in the Karnataka Government. Practically, he was not only the senior-most politician but also a Cabinet Minister in Karnataka. Unfortunately, he could not make to number one position. He must be lamenting for that. But, I hope, when he has taken over the reins of this Ministry, he has certainly brought many improvements, specially relating to the fate of the labourers, workers as well as how to help these people who are not only facing many difficulties, but also there is nobody to hear their grievances.

However, I would not like to say anything more. I once again support this Bill and I hope the hon. Minister should continue his effort so that whatever loopholes are there, they should be plugged, and also to help the workers.

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for this opportunity given to me to speak on the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010. This has got several welcome features and I welcome them on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK). On my own behalf and on behalf of my party, I would like to record certain views in this august House.

The enhancement of the basic salary from Rs. 1,600 to Rs. 10,000 could have been enhanced further. We are of the firm opinion that enhancement needs to be done. This Bill provides for the creation of a dispute redressal committee within every factory unit to go into the issues brought before it both by the management of the industrial establishment and the workers and their representatives. It has been provided for that this committee can take 30 days to dispose of a case brought before it. Thereafter, the parties concerned can go to labour court for redressal, if need be. So, the period to be taken by redressal committee of a factory unit must be reduced to 20 days so that problems get resolved without delay.

Section 2(a) provides for seeking redressal by an individual industrial worker. This is a welcome move. This part of amendment is really a welcome feature. Labour courts and labour tribunals used to come out with pronouncements which cannot be implemented by them directly. Earlier on, their verdicts were ignored leading to vexingly pending cases. Now, through this amendment, these labour courts and tribunals get empowered to implement their orders.

It is not enough to bring about this kind of amendments for labour welfare. In 1947, this Act came into force. Ever after that, so many amendments have been made suggesting that full justice is not meted out to the labour class. This only proves a point that mere legislations cannot give adequate protection to the labour. Industrial units must run; only then workers will get continued job opportunity. We must be careful about this. The Governmental actions must be conducive to

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

help run the industrial units continuously and successfully so that the interests of workers also get protected. For instance, power cuts and wrong export policies like free export of cotton are all resulting in closure of many small industrial units in various parts of the country, especially in Tamil Nadu and more particularly in Tiruppur, the knitting industrial town in my constituency. Cotton exports have led to yarn price increase thereby leading to industrial sickness and many small units are facing closure. So I would like to emphasize the point here that we must not export raw material like cotton. Instead, raw materials must be processed giving rise to a chain of further industrial activities like cotton being made yarn and cloth and garments leading to increased job opportunities in every unit of its value addition. Only then we can get industrial growth, higher production and increased foreign exchange earning leading to creation of more jobs.

In my Tiruppur constituency which has the knitting industrial town, several knitting units are operating providing jobs to hundreds and thousands of workers contributing to export of knitted goods and garments worth thousands of crores of rupees. But the workers from there have to go to Coimbatore city in the neighbourhood for medical treatment. So, I would like to impress upon the Union Labour Ministry to go in for setting up a ESI Hospital in Tiruppur to benefit the workers of several knitting, weaving and dyeing units.

In the past few weeks, the TASMAC employees in Tamil Nadu have been agitating to get better service conditions and enhanced salary which is not being attended to by the Government there. Our leader and the General Secretary of the party Dr. Puratchi Thalaivi Amma has also lent her voice of support to these hapless workers. Just because these employees were recruited and placed in service during the tenure of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam headed by Dr. Puratchi Thalaivi Amma, these employees are left to fend for themselves. The Government of the day there is ignoring their demands on this count. Impressing upon the Centre to intervene on behalf of these workers, let me

welcome this Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010 and conclude my speech.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I stand here to support this Bill.

While I am going to support this Bill, I would like to express some of my reservations and I would also like to seek some clarifications.

Sir, the Act currently does not apply to persons who are employed in Supervisor capacity and who earn more Rs.1,600 per month. Now, this Bill allows the Supervisors who earn up to Rs.10,000 per month to be covered. Now-a-days, earning a sum of Rs.10,000 per month is nothing. After 25 years, you are going to amend this Bill and now you are mentioning it as Rs.10,000/-. So, this type of imposing a ceiling will not lead to justice. Not only that, 'Supervisors' should be defined. Who are the Supervisors? On the one hand you are giving the post of Supervisor and on the other hand you are taking out the rights of the workers. So, the post of Supervisor should be defined.

Secondly, the Bill requires the industrial establishments with more than 20 workmen to set up a grievance redressal mechanism to address individual grievances. There are many industrial establishments which are having less than 20 workmen. So, the number of workmen should be reduced from 20 to 10.

The Bill expands the eligibility criteria for the appointment of Presiding Officer of Labour Courts and Tribunals removing the requirements of judicial experiences.

It is all right. I do agree with them

The point is that the Second Labour Commission has already recommended that the labour laws be simplified. The hon. Minister should address in this regard as to how he is going to simplify the labour laws. This has not been implemented so far.

Now, the question comes about the contractual labours. This Bill is not enough to deal with them. It requires another legislation to address the problems relating to contractual labours etc. Now, contract system has become an order of the day. Everywhere, there are contractors and the contractual labours. Earlier, we

had been thinking that the industry means the owner or management and the workers. But now a days, as it is being developed, it seems that there is no contract with the labours; they are contractual labours; they are tasked with the contractors. So, it is management and the contractors. So, a huge number of contractual labours are there in our country. Day by day, this number is increasing like anything.

So, how would their problems be addressed? How would they be brought under this purview? All this is to be answered. If it is not in this Amendment Bill, then another legislation may be brought in. So, the Minister should think in this regard.

Another point is about the social security. What is the guarantee of social security for the workers in this Act? It is to be addressed.

Another very important point is with regard to the layoffs and retrenchments. It should not depend at the whims of the owners or the management. So, with regard to layoff and retrenchments, certain norms should be framed so that the workers are benefited.

While I am supporting this Bill, I hope, the hon. Minister would clarify all these points, which I have made. Otherwise, it would be insufficient and inadequate to address the genuine problems of the workers.

With these few words, I conclude.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो प्रतीक्षित औद्योगिक विवाद विधेयक 1947 का कानून बना हुआ है, उसमें वर्षों बाद संशोधन लाए हैं। आप इसमें कुछ अच्छे संशोधन लाए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने आपको जो सुझाव दिए थे, उन्हें आपने अनदेखा किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने 1600 की बजाए 25 हजार की जो सिफारिश की थी, उसके बारे में आप पुनर्विचार करेंगे। 10 हजार रुपये पर्याप्त नहीं होते। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा कामगार संगठन के बारे में सुझाव दिए गए थे जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत शामिल औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पंजीकृत श्रमिक संगठन को अनिवार्य मान्यता दी जानी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अनिवार्य मान्यता देते, आप जो संशोधन लाए हैं, उसमें समिति बनाकर कर्मकार और नियोक्ता के बीच मिलकर सुझाव और समझौता करके निपटारा करने का जो सुझाव दिया है, उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अगर श्रमिक संगठनों को मान्यता नहीं दी तो कुछ उद्योगों में नियोक्ता अपनी मर्जी की यूनियन को मान्यता देते हैं, उसी की सुनकर अपना काम चलाते हैं, कामगारों के हित में नहीं, अपने हित में काम करवा लेते हैं।

17.00 hrs.

कुछ जगह ऐसा होता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी संगठनों को आप मान्यता देने के लिए पहल करेंगे और इसमें संशोधन लायेंगे।

17.0¼ hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair)*

आप जो भी संशोधन लाये हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि धारा 11 (5) में औद्योगिक विवाद में दोनों पक्षों को सुनने के लिए कॉन्सोलेशन आफिसर होता था। उस पर भी आपने विचार नहीं किया है कि उनमें जो आफिसर्स हैं, वे दोनों पक्षों की बातें सुनकर, सिर्फ राज्य राज्य या केन्द्र सरकार को रिपोर्ट बनाकर भेजता है। इसमें विलम्ब तो होता ही है, लेकिन उसके बाद सारे विवाद को हल करने के लिए कोर्ट में जाने के लिए कहा जाता है। राज्य सरकार ऐडजुडिकेशन में कोर्ट में जाने के लिए कह देती है, जिससे वह केस वर्षों तक लंबित रहता है। ऐसे कनसोलेशन आफिसर को अधिक अधिकार देने चाहिए ताकि वह कुछ निर्णय ले सके और निर्णय दे सके। अगर ऐसा होता है, तो इस बिल से श्रमिकों को कुछ लाभ होगा।

अभी हमारे सहयोगी श्री पाण्डा जी ने ठेका कामगारों के बारे में उल्लेख किया है। मैंने कल भी इस हाउस में इस विषय पर बोला है कि बहुत जगह ठेकेदारी या कांट्रेक्ट लेबर के बारे में एक ठहराव आ गया है। स्थायी रूप में कामगारों, कर्मकारों को कम रखा जाता है और ठेका कामगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। निजी क्षेत्र ही नहीं सरकारी उपक्रमों में भी इसमें बहुत ज्यादा ठहराव आया हुआ है। ठेका कामगारों का ऐसा शोषण होता है कि स्टेट लैवल पर जो भी मिनिमम वेजेज है, एक्ट के अन्तर्गत उनसे सौ-डेढ़ सौ रुपये में श्रम करवा लिया जाता है। वास्तविक कामगार क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 20 या 25 हजार रुपये वेतन श्रमिकों को मिलता है, लेकिन ठेका कामगार इससे वंचित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रम मंत्रालय को सूचित किया है कि 1970 का जो कांट्रेक्ट लेबर एक्ट है, उसमें अमेंडमैंट करने के लिए भी निर्देश दिये गये हैं। अगर उसे इसमें लिया जाता है, तो शायद देश में हर उद्योगों में काम करने वाले ठेका मजदूरों को लाभ देने के लिए इस बिल में प्रयास करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं।

वैसे ही धारा 2 (आरआर) में वेजेज की व्याख्या में प्रावधान किया गया है कि बोनस वेजेज में इनक्लूड नहीं किया जाता है। अगर बोनस वेजेज में इनक्लूड किया जाता है, बोनस के अनेक नाम दिये गये हैं, कहीं प्रोडक्शन बोनस है, कहीं एक्सट्रा प्रोडक्शन बोनस है, सुपर बोनस है, इसको वेजेज में नहीं लेने से अगर कोई श्रमिक कोर्ट में जा रहा है और उसका रिजल्ट वर्षों बाद आता है, तो उसे जो पुराना वेजेज मिलना है, उसमें बोनस इनक्लूड नहीं होता। बोनस इन्कलूड नहीं होने से सिर्फ वेतन के रूप में जो मिलना है, वह आधा ही मिलता है। इसलिए धारा 2 (आरआर) में संशोधन होना चाहिए कि बोनस भी वेतन में इनक्लूड करने का अवश्य प्रयास हो।

मैं एक बात का और उल्लेख करूंगा कि ठेकेदारी पद्धति से देश में श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है, उसमें निजी क्षेत्र ही नहीं है। सौभाग्य से आज हाउस में कोयला मंत्री जी बैठे हुए हैं। कोल इंडिया और सेल में बड़े पैमाने पर सरकारी उपक्रमों में ठेके मजदूरों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग के नाम से जो काम किया जा रहा है, उसमें श्रमिकों और गरीब मजदूरों का शोषण होता है। यदि आप बिल में कौन्ट्रक्ट लेबर 1970 का अमैंडमैंट लाते तो शायद हम इसका और भी खुलकर स्वागत करते। मैं इस विधेयक पर इतना ही बोलना चाहूंगा। औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हम लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उस पर आप अवश्य विचार करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल पर इस सदन में विचार चल रहा है, पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस संशोधन विधेयक पर कमोवेश सभी दलों के सम्मानित साथियों ने बोलते हुए इसका समर्थन किया है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं। कम से कम कांग्रेस और यूपीए सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि जो काम पिछले 25 वर्षों से हमारे संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए नहीं हुआ था, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से उनको वे लाभ, सुरक्षा और सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। कई साथियों ने यह उल्लेख किया है कि जब यह बिल राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ, तो इसे स्थायी समिति को रेफर कर दिया गया। स्वाभाविक है कि जब कोई बिल स्थायी समिति के समक्ष जाएगा, तो वहां सम्यक विचारोपरांत जब संशोधन आते हैं, तो वह किसी एक की भावनाओं का समावेश नहीं होता है, वह संपूर्ण सदन की भावनाओं का समावेश होता है और वह इस संशोधन विधेयक में परिलक्षित भी हो रहा है। इंस्ट्रियल डिस्प्यूट संशोधन बिल, 2010 में पांच-छः मुख्य संशोधन किए गए हैं। ये सभी संशोधन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हैं। इसमें किसी कंपनी या कांट्रैक्टर को सुरक्षा नहीं दी गयी है। पहली बार उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, पहली बार उनके फैसलों के लिए ट्रिब्यूनल्स के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया है, उनकी सैलरी की परिधि को बढाया गया है। अधिनियम की धारा दो (क) के अधीन सबसे पहले समुचित सरकार की परिभाषा की गयी है। अभी तक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का तात्पर्य यह होता था :

> "For the words major port, the Central Government and the words major port, any company in which not less than 51 per cent."

अभी तक केन्द्रीय सरकार ही समुचित सरकार होती थी, लेकिन अब किसी भी जगह चाहे वह पोर्ट हो या कोई अन्य कंपनी, जहां केन्द्रीय सरकार के 51 प्रतिशत शेयर्स हैं, वे भी इस परिधि में आ जाएंगे, इससे स्वाभाविक है कि वहां काम कर रहे, असंगठित मजदूर या कांट्रैक्टर के माध्यम से काम करने वाले लेबर हैं, उनके भी डिस्प्यूट उस परिधि में आ जाएंगे, उनको भी न्याय मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि अभी तक कामगारों को जो सुविधाएं मिलती थीं, वे या तो लेबर एक्ट में आती थीं, या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आती थीं, लेकिन कांट्रैक्टर्स के द्वारा हमारे तमाम सरकार के प्रतिष्ठानों में लेबर काम करती है, उन कांट्रैक्ट मजदूरों को कोई सुरक्षा या बेनिफिट्स नहीं मिलते थे और उस लेबर और कांट्रैक्टर के बीच उठने वाले डिस्प्यूट का कोई समाधान नहीं निकलता था, जिसके कारण उन असंगठित मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाता था। भारत सरकार की दृष्टि उस जगह पर गयी कि ऐसे मजदूर जिनका कोई संगठित क्षेत्र

नहीं था, जिन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, जिनके हकों की हिफाजत के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से उनको एक तरह कानूनी प्रावधान दिया गया कि उनके हक-हकूक की हिफाजत की जाएगी।

यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा दो (घ) के अधीन कर्मकार की मजदूरी की 1600 रूपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10000 रूपए कर दिया जाए। सभी ने इसका स्वागत किया है। मान लिया स्थायी समिति ने इसे 25000 रुपए करने की सिफारिश की थी, लेकिन कम से कम पिछले 25 वर्षों में यह 1600 रुपए की ही परिधि के लोग कामगार की श्रेणी में आते थे।

आज उस कामगार की श्रेणी में 1600 रुपए से 10,000 रुपए इस संशोधन के माध्यम से किया है, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज आपने 25 वर्षों के बाद 1600 रुपए से 10,000 रुपए वेजेज को किया है, तो कल अगर फिर इनके वेजेज बढ़ते हैं, चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के या असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के, तो आने वाले दिनों में फिर कोई बढ़ोत्तरी करना चाहेंगे, उसके लिए बार-बार आपको संसद में संशोधन बिल लेकर आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो सेकंड नेशनल कमीशन आन लेबर की जो 2002 में संस्तुतियां थीं, उनके हिसाब से अगर किया जाए या संसद की स्टेंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें भी दृष्टिगत रखा जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसा मेकेनिज्म बनाया जा सकता है। उसके लिए चाहें तो आप अधिकार इस सदन से ले लें कि फिर समय-समय पर अगर वेतन वृद्धि हो, तो कम से कम उसके लिए आपको इस सदन में नहीं आना पड़े, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन से ही करके आप मजदूरों को सुरक्षा दे सकें। फिर उसमें कोई संशोधन बिल लाने की जरूरत नहीं होगी।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अधिनियम की धारा दो 'क' थी, उसे संशोधित किया है। उसमें जो हमारा कामगार है, उसे पहले श्रम न्यायालय में या अधिकरण में जाने के लिए सीधी पहुंच नहीं थी, क्योंकि अथोरिटी भेजती नहीं थी। अब वह सीधे पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वह अपने न्याय के लिए परेशान रहता था। उसे जब तक रिकमंडेशन नहीं होती थी, वह अधिकरण या किसी न्यायालय के सामने नहीं जा सकता था। इसलिए यह संशोधन भी पूर्णतः श्रमिकों के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए है। आज अधिनियम की धारा 7 और 7 'क' के द्वारा जो श्रम न्यायालयों या श्रम अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अर्हताओं का विस्तार था। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इस एक्ट में यह था कि जो भी ये पीठासीन अधिकारी होंगे, वे या तो वर्किंग जजेज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। उसमें प्राय देखा जाता है कि ऐसे तमाम अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी नहीं होते थे। इसलिए फैसले नहीं हो पाते थे और किसी

कामगार को न्याय समयबद्ध नहीं मिल पाता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक संशोधन लाया गया। अगर रिटायर्ड जजेज नहीं मिल रहे हैं या वर्किंग जजेज भी नहीं हैं तो हम ऐसे कामगारों को कैसे उनके हितों और लाभ की सुरक्षा के लिए उन्हें न्याय दे सकें इसलिए इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमारी सरकार ने एक संशोधन किया है। वह यह है कि जो अन्य इंडियन लीगल सर्विसेज के लोग होंगे, उन्हें भी इसमें रखा जा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल लेबर सर्विसेज के लोग होंगे, उन्हें भी रखा जा सकता है। इससे भविष्य में कम से कम इस बात को सुनिश्चित किया जा सकेगा कि श्रम न्यायालयों में अगर कोई डिस्प्यूट जाता है तो उसकी सुनवाई हो सके, फैसला हो सके और कामगार को लाभ पहुंच सके। इसलिए यह एक स्वागतयोग्य कदम है, जिसका सदन के सभी सदस्यों को स्वागत करना चाहिए।

आज जो श्रम न्यायालय हैं या अधिकरण हैं, उनके द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णयों द्वारा कराए गए निर्धारणों को सशक्त करना। अभी तक यह था कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हों या लेबर कोट्र्स हों या नेशनल ट्रिब्यूनल हो, इनके जो भी निर्णय होते थे, उन्हें लागू कराने की क्षमता का कोई अधिकार नहीं था। इस संशोधन से उन न्यायालयों द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या लेबर कोट्र्स या नेशनल ट्रिब्यूनल को सशक्त किया जाएगा। वह इम्पावर्ड यह किया जाएगा कि जैसे सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले या जो डिग्री होती है, जिस तरह से उसे लागू करना एक कानूनी बाध्यता है, वैसे ही इन्हें भी पहली बार इम्पावर्ड किया गया है कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को भी उसी तरह लागू किया जाएगा।

आज सदन में इस बात की भी चर्चा की गई कि पहले उसी प्रतिष्ठान में ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 100 से अधिक लोग काम करते थे, उन पर यह लागू होता था।

लेकिन आज संशोधन करके जहां 20 कामगार भी हैं वहां यह लागू होगा। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह कामगार की संख्या को बढ़ाने की दिशा में संशोधन हुआ हो या कामगारों के हितों के लिए लिये गये निर्णय को लागू कराने की दिशा में हो, या प्राइवेट कंट्रेक्टर के माध्यम से जो लेबर कंट्रेक्टर काम कर रहे थे उनके लिए, कहीं डिस्प्यूट एराइज होने पर फैसला देने का सवाल हो, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है।

हमारी जो स्टेंडिंग कमेटी थी या सैकिंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, उसने रिक्मेंड किया है कि 10 हजार रुपये वेतन तक के लोग जो सुपरवाइजर होंगे, उनको भी वर्कमैन में रखा जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please wind up.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Yes, I will try.

MR. CHAIRMAN: There are other Members to speak; the Minister has to reply to the debate; and we have to pass the Bill.

SHRI JAGDAMBIKA PAL : Sir, I will try to conclude within two minutes. देखिये पूरा मौहल्ला मेरे साथ है।

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Pal, please wind up.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं यह चाहता हूं कि कम से कम सुपरवाइजर को उस श्रेणी से निकाला जाना चाहिए और यह जो हमारी ग्रीवेंशल रिड्रेशल कमेटी है, ग्रीवेंशन रिड्रेशल मशीनरी के लिए जो 45 दिन की प्रोसिडिंग थी, उसे जो 30 दिन के लिए किया गया है और आज जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने बात उठाई है कि ले-ऑफ, छंटनी या बंदी होती है तो उसके लिए कम से कम दोनों पक्षों में सहमति हो और उन्हें एक एडवांस नोटिस दिया जाए और उनके कंपनसेशन पैकेज भी उसमें शामिल हों, वे कंपनसेशन पैकेज और अन्य लाभ उन छंटनीशुदा कर्मचारियों को मिलें, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसा देखा जाता है कि जिन कामगारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, रिट्रेंच कर दिया जाता है, उन्हें बैनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। जो सस्पेंशन के जमाने में एलाउंस उन्हें मिलने चाहिए, उनके लिए भी मॉड्रन स्टेंडिंग आर्डर्स हों और उन्हें जरूर किया जाना चाहिए। आज अगर हम लोक अदालत की तरह से काम करते हैं तो उसी तरह से लेबर अदालत की भी स्थापना कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी बातें उठी हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल लेबर्स के हितों की बात की गयी है, मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के करोड़ों संगठित-असंगठित मजदूर-कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया यह क्रांतिकारी कदम है और इसे सर्वसम्मति से इस सदन को पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The next speaker is Shri Prasanta Kumar Majumdar.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): This Industrial Disputes (Amendment) Bill 2010 is the fruit of a tripartite agreement initiated by the Indian Labour Conference, that means this Bill is the brainchild of this Labour Conference. But it is very unfortunate that we took such a long time to introduce this Bill in this august House and are trying to pass it today. Whenever any Bill is presented in the Parliament with the intention to serve the interests of the poor labourers, both and Government of India and the entrepreneur lobby oppose it. This is the reason why this Bill could not be brought to this House earlier. Hon. Minister of Labour has expressed the urge to pass this today has brought certain amendments and therefore, on behalf of UTUC, I congratulate him and support the Bill. In the amendment to sec 2 of the Industrial Disputes Act, it has been mentioned that the wage of Rs.1600 would now become Rs.10,000 i.e. wage ceiling has been fixed. But I think that there is no need of such wage ceiling because if that happens, then the bargaining capacity of the labourers will reduce dras tically. So this particular clause should be omitted.

Moreover, there is the provision of a supervisor which means that the factory owners or the management will continue to have an upper hand over the employees. Therefore supervising authority is not required. In the Contract Labour Act 1977 it has been mentioned that there is triangular relationship among the employers, contractors and contract workers. So if there is any dispute among them, they can mitigate the dispute thought mutual dialogue and discussion. Thus there is no role of any supervisor and as I said earlier, wage ceiling is also unnecessary.

Thirdly, sir, in this Bill, it has been said that when the workers are dismissed, retrenched or laid off, the Civil Courts take a long time to deliver justice if these cases are referred to the courts. That is why, the Government has taken a very good initiative. Instead of moving courts, the retrenched labourers

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

can now approach the tribunals or the labour courts which are being particularly empowered to deal with such cases and give verticts speedily. This provision of the Bill will be extremely helpful to the workers as their interests will be taken care of. So I am in favour of the Bill.

Another point is that, the Bill provides for a Grievance Redressal Machinery. A team of 20 members will be in charge of it. However I propose that instead of 20, we should have only 10 persons as its members. In that Redressal committee representatives of both the management and the workers will be present. In course of time they will be able to solve all their disputes amicably as both the parties will have equal say and equal representation in the committee. The poor, helpless labourers will have enough power to bargain with the omnipotent management. This will prove to be an effective tool in the hands of the deprived class of people.

In the second labour commission, it has said that this Bill needs to be simplified. But it has not been elaborated here.

Earlier, we used to find labourers in the factories but now the scenario has changed. It means that the labourers have mostly become unorganized. A class of contractors have emerged who pick poor workers and put them to work in different factories and receive a commission from the management in return. So the Government should refrain from patronizing these contractors and safeguard the interests of the poverty-stricken oppressed labourers.

This Bill aims at uplifting the socio economic condition of the unorganized workers of the country and is trying to help them in all possible manners. It is also said that this Bill is expanding the scope of qualification of Labour Courts, of tribunals under Section 7 (A). So the provisions enshrined in the Bill are praiseworthy and therefore once again congratulate Hon. Minister for introducing it here today. You have allowed me to speak on this topic for which I am thankful to you sir and conclude my speech here.

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक के संबंध में दो शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, आज पूरे विश्व में श्रमशक्ति के रुप में चीन के बाद यदि कोई देश है तो हमारा भारत देश है। ऐसे समय में उन मजदूरों के कल्याण, हित और उनके भविष्य की चिंता करना बहुत जरूरी है। आज की परिस्थिति में हम समझते हैं कि सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चूंकि आज तक इस देश में कृषि क्षेत्र के बाद यदि कोई क्षेत्र आता है तो वह औद्योगिक क्षेत्र आता है, जहां श्रमशक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वैसे मजदूरों के हितों का ख्याल करते हुए आज जो यह बिल लाया गया है, वास्तव में इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह औद्योगिक क्षेत्र है, वहां खदाने हैं, जहां मजदूर काम करते हैं। मैंने उन्हें बहुत नजदीक से देखा है। मजदूरों की माली हालत, उनकी दिक्कत और तकलीफों को मैंने बहुत नजदीक से देखी है। चाहे वे संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, हमें इस बात की ज्यादा से ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि हमारे मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा कैसे मिल सकता है।

सभापति महोदय, जो मजदूर खदान क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। उन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान हो, वे अपने यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आनुषंगिक इकाई हो, उनका काम केवल मुनाफा कमाना है। मजदूरों को सुविधाएं देने पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है।

महोदय, कॉस्ट कंट्रोल के नाम पर यदि खर्चों में कटौती करनी हो तो मजदूरों की सुविधाओं में कटौती कर दी जाती है। मैंने देखा है जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं, ऐसी इकाईयों और ऐसे संस्थानों में भी मजदूरों से कांट्रैक्चुअल लेबर के नाम पर, ठेका मजदूरों के नाम पर 25-25, 30-30 साल न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाकर उनकी पूरी जिंदगी को खराब कर देते हैं। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि अभी संस्थान लॉस में जा रहा है और मजदूरों में कटौती कर दी जाती है। मैं चाहता हूं कि जो लोग संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के हितों की चिंता सरकार को निश्चित रुप से करनी चाहिए। इसके अलावा जिन उद्योगों को इस

औद्योगिक अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, वैसे उद्योगों को चिह्नित करके उन्हें अधिसूचित करने की भी जरूरत है।

सभापति जी, मैं बहुत से पत्रकार भाइयों से भी मिला हूं। उनकी दिक्कतों को भी मैंने सुना है। मीडिया, प्रैस ने भी एक बहुत बड़े उद्योग का रूप लिया हुआ है। यह भी एक उद्योग है। लेकिन मीडिया, प्रैस में काम करने वाले लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज यदि किसी के यहां कोई बीमार हो जाए, किसी के यहां कोई दिक्कत हो जाए तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। वे दूसरों के आगे हाथ फैलाकर दर-दर भटकते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो विधेयक सदन में लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसी क्लाज जोड़नी चाहिए, जिससे संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई की जा सके।

महोदय, आपने मुझे अपनी बात सदन के समक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह विधेयक निश्चित तौर पर उन कामगारों के लिये महत्वपूर्ण होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हुआ कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

सन् 1947 से लेकर आज इस विधेयक में संशोधन करने का काम हुआ है। श्रम संबंधी समिति द्वारा सुझाव दिया गया था कि एक श्रमिक का वेतन 25 हजार रुपये होना चाहिये लेकिन उसे 10 हजार रुपये तक सीमित कर दिया गया। यह 10 हजार रुपये नाकाफी है। इसमें श्रमिक के परिवार को दवा, शिक्षा और नाना प्रकार की गृहस्थी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह वेतन 25 हजार रुपये होना चाहिये। यदि कम करना ही है तो पांच हजार रुपये कम करके इसे 20 हजार रुपये कर दीजिये।

सभापति महोदय, देश में जितने सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या सरकारी विभाग हैं, सब जगह पर ठेके पर कामगार रखे जाते हैं। आज लगातार स्थायी कामगारों की संख्या कम होती जा रही है। उद्योगपति कामगारों के रखने के लिये दूसरे तरीके निकाल लेते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति ठेके पर काम कराते हैं। उन्हें कैसे बांधा जाये, उसके लिये जहां मजदूर कम होंगे, वहां आगे काम पर लगा देगा। मेरा सुझाव है कि यदि कोई मजदूर पांच दिन तक काम करता है तो उसे कामगार घोषित किया जाये। जहां तक सरकार ने विधेयक में 20 कामगारों की संख्या रखी है लेकिन बहुत से ऐसे कामगार हैं जो बुनकर या बीड़ी बनाने का काम करते हैं। वहां केवल 4-5 या 7-8 मजदूर ही काम करते हैं। इसी प्रकार से देश में कपड़ा व्यवसाय है जहां पांच से ज्यादा मजदूर काम नहीं करते हैं। वह समाज जन्म से मृत्यु तक लोगों की सेवा करता है. तन को ढंकने का काम करता है, कपड़ा बुनने का काम करता है। इसलिये इसकी संख्या अधिक से अधिक पांच होनी चाहिये। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके साथ कुछ नहीं जाता लेकिन कपड़े के रूप में कफन जाता है। मेरा सुझाव है कि विधेयक में जो संख्या 20 बतायी गई है, उसे घटाकर पांच कर देना चाहिये। दुर्घटना बीमा की बात आती है।.जब मजदूर ठेके पर काम करता है तो फैक्ट्रियों में दुर्घटनायें हो जाती हैं, उनके लिये दवा-दारू नहीं होती है। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूं। मेरे जिले में जो उद्योग थे, वहां कई ऐसी दुर्घटनायें हुई, जहां 100-50 आदमी मर गये और 200 आदमी के हाथ-पैर कट गये लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन उसके लिये भी निश्चित रूप से बांधना चाहिये, उन्हें भी मदद देने के लिये इस विधेयक में व्यवस्था करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह थोड़ा हृदय को और विशाल करें। उन गरीबों और श्रमिकों की ओर जाइये। आज मुट्ठीभर उद्योगपति अरबपतियों की सूची में आ गये हैं।

काम करने वाले मजदूर के पेट में आज रोटी नहीं है, उसके पास खाना नहीं है। आपने यह तो देखा कि देश के उद्योगपति इस सूची में नंबर एक पर आ गये हैं, लेकिन काम करने वाले कामगारों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों रही, क्योंकि उनका पेट काटा गया है, उन्हें ठीक मजदूरी नहीं दी गयी है। ऐसे लोगों के लिए इसमें कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था के बारे में कहा है कि तीस दिन,…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You have done very well. You spoke well. Please take your seat.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी एक कामगार का बेटा हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा दर्द है, मुझे अपना दर्द बताने दीजिये।

MR. CHAIRMAN: Okay, please sit down. The Minister has to reply and pass the Bill, which will help the labourers.

श्री घनश्याम अनुरागी : महोदय, मुझे दो मिनट का और समय दे दीजिये। आज पूरे देश में स्थितियां बहुत गंभीर हैं। रोज पेपर में आता है, कभी-कभी रिकॉर्ड आते हैं कि देश में नंबर एक के उद्योगपति ये हैं। उनके नाम पेपर में छपते हैं, लेकिन कभी आज तक उनसे यह नहीं पूछा गया कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों है?…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Meghwal will speak – please conclude within two minutes.

---

* Not recorded

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I will conclude within two minutes. There is no problem. आपने मुझे औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सीधा बिल पर आ रहा हूं- Chapter 2 (b) - Setting up of Grievance Redressal Machinery; it is a very good step. मैं इस 9 सी में यह जोड़ना चाहता हूं कि जो आपने रिडरेसल मशीनरी बनायी है, वह छह सदस्यीय समिति है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसमें आपने छह मेंबर जो बनाये हैं, उसमें आपने महिला ली है, हम इसका स्वागत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हों, उसमें अधिकतर कामगार एस.सी, एस.टी. के होते हैं। अगर आप छह मेंबर्स में से एक मेंबर एस.सी. या एस.टी. का भी ले लें तो मेरे ख्याल से यह मैकेनिज्म बहुत प्रभावी हो जायेगा। यह मेरा एक सुझाव है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि ईएसआई में आपने अध्ययन करवाया होगा, स्टॉफ की बहुत शॉर्टेज है। एक और बहुत बड़ी कमी ईएसआई के सिस्टम में है कि जो रूरल एरिया में इंडस्ट्रियां या फैक्ट्रियां लगती हैं या कोई हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करता है, उसे आप ईएसआई के थ्रू कवर नहीं करते हो। आपने किलोमीटर की एक लिमिट लगा रखी है। आपको इस लिमिट को हटाना चाहिए ताकि ईएसआई का लाभ कामगार ले सकें। मैं आपको इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं कि आपकी वैलफेयर स्कीम के तहत जो असंगठित कामगारों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है, चाहे वह ग्रोथ पोल के माध्यम से हो या अन्य किसी योजना के माध्यम से हो, उसमें आपने उस असंगठित मजदूर का एक हजार रूपये का कंट्रीब्यूशन रख रखा है। दूसरा कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देती है। मैं कहता हूं कि असंगठित मजदूर के पास पार्टिसिपेशन करने के लिए पैसा नहीं है। यह कि आप हजार रूपये देंगे तो हम हजार रूपये मिलायेंगे, आप इस सीमा को हटाइये, ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी का अच्छा लाभ कामगारों को मिल सके।

महोदय, दूसरा मैं सेफ्टी का इश्यू लेना चाह रहा हूं। जैसे कोई बायलर फट गया और उस मजदूर की मृत्यु हो गयी। मजदूर पर आरोप लगता है कि आपने ठीक से नहीं चलाया, उस मजदूर पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि आपने ढंग से नहीं चलाया। सेफ्टी इश्यू भी इस बिल में आपको कवर करना चाहिए और इसमें जो आपने 30 दिन का समय दिया है, उसके तहत उसे हल करना चाहिए। अब मैं आखिरी इश्यू पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्लास्टिक की थैलियां बंद करने का हर सरकार निर्णय लेना चाहती है। It is a very good suggestion and it is also a very good step. प्लास्टिक थैलियां पॉल्यूशन बढ़ाती हैं, लेकिन जो मजदूर इस व्यवसाय में काम करते हैं, वे कहां जायेंगे? इस तरह के

इश्यू एकदम से आ जाते हैं, उन्हें भी हल करने के लिए इस मशीनरी में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I rise to support the Industrial Disputes (Amendment) Bill. In the same vein, I must appreciate the Minister concerned who has taken this novel initiative in order to bring about a conducive environment in our industrial scenario.

Sir, the UPA Government has already enacted another historic legislation, under the rubric Unorganised Workers (Social Security) Bill where less than 10 workmen of an establishment have been taken care of. In India, 93 per cent of workers belong to unorganized sector and this particular Bill is concerned with the benefits of the unskilled and semi-skilled workers in the organized sector.

The Economic Survey Report reflects that in India industrial disputes in terms of strikes, loss of man-days have been declining over the years. So, it is a healthy trend that has been prevailing in the industrial scenario over the years. In 2004, 236 strikes took place and man-days lost were 4.83 million. There were 241 lock outs and man-days lost 19.04 million. But in the year 2009 the number of strike has declined to 91 only and man-days lost were 2.05 million. The number of lock outs was brought down to 31 and man-days lost were only 0.84 million. So, it clearly reflects the conducive scenario that has been generated in our industrial sector.

This Bill is simply providing a framework to speedy redressal of the individual grievances and the industrial disputes which are quite common in our industrial sector. The salient features of the Bill as I perceive, six amendments have been brought about:

- Amendment of the term ‘appropriate Government’.

There was some sort of ambiguity in the term ‘appropriate Government’ and that has been obviated through this legislative document.

- Enhancement of wage ceiling of a workman from Rs.1,600 to Rs.10,000.
- Direct access for the workman to the Labour Court.
- Expanding the scope of qualification of Presiding Officers of Labour Courts and Tribunals under Section 7 and 7(a) of the Act.

- Establishment of Grievance Redressal Machinery in every industrial establishment employing 20 or more workmen for the resolution of disputes arising out of industrial grievances.
- Empowering the Labour Court or Tribunal to execute the awards, orders or settlements arrived in the Labour Court or Tribunal.

Sir, this Bill has already been dissected and vivisected by various Committees, even by our Standing Committee and they have made very valuable observations. I would just confine myself to the Grievance Redressal Machinery. I would like to draw the attention of the hon. Minister that insofar as the redressal machinery is concerned, the Standing Committee had recommended that the number of persons from 10 to 20 are being left out from the ambit of this legislation.

So, the Minister should ponder over it because now we are living in an environment of technological upgradation. The technological upgradation means more and more technological innovations which may render more labour to be surpluses. Secondly, in the environment of competitiveness more and more labour are being considered as surpluses which are followed by retrenchment. That is why, 10 to 20 persons that are being left out from the ambit of the Industrial Disputes Act that needs to be addressed.

I must appreciate the hon. Minister that he has already accepted the suggestion in respect of dispute between employers and contractors. A number of Members have already raised this issue of contractual labour. It has already been resolved by the Minister.

I would request the Minister that more and more conducive measures should be injected in our industrial environment. With these words, I am overwhelmingly supporting this legislation.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Respected, Mr. Chairman, Sir, already 17 Members have spoken on this Bill. They are Shri Paban Singh Ghatowar, Shri Virendra Kumar, Shri Shailendra Kumar, Shri R. Thamaraiselvan, Shri Dhananjay Singh and Shri P.R. Natarajan, Shri Anand Adsul and Shri Arjun Charan Sethi and others. बहुत से माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह कर चले गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे थे। इस बिल पर हुई चर्चा में इतने सदस्यों ने भाग लिया है और मुझे बहुत सारी सलाह दी हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सभी अमेंडमेंट्स को एप्रीशिएट करते हुए और तरक्की करने और मजदूरों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की बातें कहीं और सलाह दी है। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि इस बिल के संबंध में स्टेंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से ज्यादा से ज्यादा सुझावों को लागू करने की बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, लेकिन मेरी यह मजबूरी थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल, 2010 को, जो राज्य सभा में पेश किया गया था और वहां से इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। उसके बाद में जो संशोधन हुए, उसे फिर से हमने देखा और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन्हें बुलाकर हमने बात की। मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी फैसले मेरे इलाके में होते हैं या मेरे डिपार्टमेंट में होते हैं, वे ज्यादातर कंसेंट पर होते हैं। ट्राइपार्टी मीटिंग में होते हैं। जैसे पंचायत बैठती है और पंचायत में जो फैसले लिए जाते हैं, वही ज्यादा से ज्यादा इम्पलीमेंट होते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा कंसेंसस लाने की कोशिश की है। हमारे अधिकारियों और हम सभी ने मिलकर जिन फैसलों में कंसेंसस है, उन्हीं को हम यहां लाए हैं। उन सभी अमेंडमेंट्स को राज्य सभा में एक्सैप्ट किया गया है।

और वहां भी इसको बहुत समर्थन मिला है। यहां पर भी आज सभी सदस्यों का समर्थन देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। इसमें कॉमन सुझाव जो कुछ भी हैं, चाहे सुपरवाइजर की 1600 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक जो वेजेज़ की सीमा बढ़ाई है, उसको और बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना चाहिए, यह बहुत से सदस्यों की डिमांड है, लेकिन हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में इसका थोड़ा विरोध आने की वजह से हमने इसे अभी 10 हजार रुपये तक रखा है। फिर आइन्दा हम कोशिश करेंगे और सब को साथ लेकर इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम दूसरे लोगों को भी साथ नहीं लेते, तब तक यह एस.एस.वी. या इसको अनुष्टान में लाने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम यह पूरी कोशिश करेंगे और आइन्दा जब कभी भी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम खास तवज्जह देंगे। खासकर इसके बारे में आपकी जो राय है, वह मेरी भी राय है, सरकार की भी राय है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलने की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आई और 10 हजार रुपये पर ही एक कंसेंसस बन सकी, इसलिए हमने 10

हजार रुपये आज उसकी सीमा रखी है। 10 हजार रुपये के नीचे जितने भी सुपरवाइजर का काम करते हों, उन पर कार्मिक के रूप में इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू होता है। 10 हजार रुपये के ऊपर जो तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता। इसमें दूसरे लोगों के लिए कोई सीमा नहीं है, चाहे वे 50 हजार रुपये लें या 75 हजार रुपये लें, उनको कितना भी वेजिज़ लेने दो। उसमें कोई सीमा नहीं है। सिर्फ सुपरवाइजर के लिए ही यह सीमा हमने रखी है।

दूसरी चीज़-एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन के नेता लोगों ने भी और बहुत से मान्यवर सदस्यों ने भी इसके बारे में एप्रीसिएट किया है, जो एक एम्बीग्यूटी थी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के क्या माने हैं, किस ढंग से स्टेट में इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा और सैण्ट्रल गवर्नमेंट में इसका किस तरह से होगा। इसका जो एक कन्फ्यूज़न था, उसको हमने क्लैरीफाई किया है। जहां 51 परसेंट से अधिक शेयर कैपीटल केन्द्र सरकार के पास है, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केन्द्र सरकार होगी। इसके अतिरिक्त संसद के किसी एक्ट के अन्तर्गत स्थापित किसी कारपोरेशन, प्रिसीपल अंडरटेकिंग द्वारा स्थापित सब्सीडियरी कम्पनियां तथा केन्द्र सरकार के अन्तर्गत ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए भी केन्द्रीय सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। राज्य सरकार के कंट्रोल में आने वाली कम्पनीज़, कारपोरेशंस, ऑटोनोमस बॉडीज़ के मामले में राज्य सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। यह ठीक होने की वजह से जो स्टेंडिंग कमेटी का जो एक सुझाव था, उसको हमने मान लिया है और हमें उम्मीद है कि कॉण्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या इससे थोड़ी हल होगी।

कॉट्रैक्ट वर्कर्स की समस्या को हल करने के लिए मैंने एक टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई है, क्योंकि बहुत से सिर्फ प्राइवेट लोग ही नहीं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी, गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बहुत से लोग कॉट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, उनको जितना वेज मिलना चाहिए, वह उनको वेज नहीं मिल रहा है, यह मैं महसूस कर रहा हूं तो इसलिए हमने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है। वह टास्क फोर्स कमेटी जो भी रिकमेण्डेशन देगी, उनको लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। उसको सारे स्टेक होल्डर्स की अगर सपोर्ट मिली, एम्पलॉयर, एम्पलाइज़ और गवर्नमेंट की तरफ से तो हम जितनी कोशिश करनी चाहिए, वह हम करेंगे तो उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं।

उसी तरीके से सफाई कर्मचारियों के बारे में हम सोच रहे हैं। उनके लिए भी हमने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई है।

इसी प्रकार से जितने भी अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स जितने हैं, उनके बारे में भी आहिस्ता-आहिस्ता हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको सारे लोगों के ताकत की जरूरत है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इसको नहीं कर सकती, क्योंकि लेबर सब्जेक्ट कन्करेंट लिस्ट में है। इस लिस्ट में होने की वजह से बहुत सारे एक्ट्स ने स्टेट्स को पावर्स दी हैं। स्टेट को पावर्स हैं, लेकिन बहुत से स्टेट उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर वह इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो भी हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान या इन्फोर्सिंग अथारिटी नहीं है, क्योंकि यह स्टेट और सेंटर दोनों के परव्यू में है। फिर भी हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कान्फ्रेंस बुलाते हैं। हमारे सेक्रेटरीज हर स्टेट में जाकर रिव्यू करते हैं। यहां केंद्र सरकार में भी लेबर मिनिस्टर्स और लेबर सेक्रेटरीज को बुलाकर, जो हमारे कानून हैं, एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स के मुताबिक उनके राज्यों में उसे अनुष्ठान में लाने की कोशिश करें, इसका हम हमेशा पर्सुएशन करते हैं और पर्सुएशन करने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं 2,ए के बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत से केसेस जो पहले ट्रिब्यूनल में जाते थे, तो ट्रिब्यूनल में जाने के पहले जो कंसिलिएशन चलता था, उसमें बहुत से लोग इसको डिले करते थे, एक महीने, दो महीने, चार महीने, कई बार ये सालों तक चलते थे। इसलिए हमने सोचा कि इसमें एक प्रावधान हो और स्टैंडिंग कमेटी का भी इस संबंध में सजेशन था। उस सजेशन को भी हमने माना। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, उसको हम रेफर करते थे, उसके लिए एक टाइम लिमिट हमने डाला कि 45 दिन के अंदर इस मामले को सुलझाना चाहिए। अगर वह सुलझा नहीं सके, तो लेबर या ट्रेड यूनियन सीधे-सीधे कोर्ट में जा सकती है। इससे आज बहुत बड़ी रिलीफ लेबर लोगों को मिली है। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग रिट्रेंचमेंट होकर, डिस्चार्ज होकर, डिसमिसल होकर, टर्मिनेट होकर घर में बैठे रहते थे और बेकार फिरते रहते थे। कंसिलिएशन में भी हमेशा इसके लिए जल्द से जल्द कोई सुझाव नहीं आता था। इसलिए हमने इसके लिए टाइम लिमिट डाली है। इस टाइम लिमिट की वजह से मैं समझता हूं कि कंसिलिएशन आफीसर क्विक डिसीजन लेगा। अगर वह क्विक डिसीजन नहीं लेगा, तो उसका परिणाम यह होगा कि सीधे-सीधे लेबर कोर्ट में जाकर अपनी ग्रीविएन्सेज रीड्रेस कर सकेंगे। इस हिसाब से 2(a) में हम अमेंडमेंट लाए हैं और इस अमेंडमेंट को सभी सदस्यों ने जोरदार तरीके से सपोर्ट किया है।

चैप्टर 2(b) का (a) सब्स्टीट्यूशन ग्रीविएंसेज रीड्रेसल मशीनरी को भी बहुत से सदस्यों ने एप्रीशिएट किया है, लेकिन चंद सदस्यों का कहना यह है कि जो वर्क्स कमेटी है, वही ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर रीड्रेसल कमेटी क्यों लाए? रीड्रेसल कमेटी केवल इंडीविजुअल ग्रीविएंसेज को डील करती है। अगर किसी इंडीविजुअल का प्रमोशन हो या उसकी कोई लीव की समस्या हो, ऐसी चीजों के लिए

ग्रीविएंसेज रीड्रेसल मशीनरी हमने सेट अप की है। उससे मैनेजमेंट और लेबर में तालमेल हो सकता है, दोनो मिलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुझाव देकर अपने केसेज को सुलझा सकते हैं और यह मामला तीस दिन के अंदर करना होगा। पहले इसके लिए 45 दिन की लिमिट इसके लिए थी। स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया था कि इसको घटाकर तीस दिन करना चाहिए।

18.00 hrs.

हमने 30 दिन के लिए स्वीकार किया है और 30 दिन के अंदर रिड्रैसल कमेटी को अपना फैसला देना चाहिए। अगर इसमें कुछ कमजोरी हो तो वे मैनेजमैंट के सामने जा सकते हैं या उनके सामने अपील कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं सुनती तो उन्हें सीधे कोर्ट जाने का अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल एटमॉसफियर ठीक रखने, मैनेजमैंट के साथ लेबर रिलेशन ठीक रखने, एक्सप्लॉयटेशन कम करने और जितने भी ग्रिवैंसेज़ हैं, उन्हें वैंटीलेट करने के लिए बनाकर रखी हैं। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 2(बी) का सब्सटीट्यूशन किया है। इसी के साथ वर्क्स कमेटी भी रहेगी। वह कामन ईशूज को डील करेगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Is it the sense of the House to extend it till the Bill is passed?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The House is extended till the Bill is passed.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : हम सैक्शन 7 और 7 (ए) में इसलिए अमैंडमैंट लाए हैं कि बहुत से नेतागणों ने कहा कि पहले जो ट्रिब्यूनल के लिए नौमिनेट करते थे या ऐप्वाइंट करते थे, वे हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट जज होते थे। बहुत से लोग आते ही नहीं थे, कोई भी इच्छुक नहीं रहते थे और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से बहुत जगहों पर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट खाली पड़े हुए थे। इससे जिन मजदूरों को समय पर न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता था। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हम प्रस्तुत बिल में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर रैंक के सैंट्रल लेबर सर्विस के ऑफिसर्स, स्टेट लेबर डिपार्टमैंट के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स और इंडियन लीगल सर्विस के ग्रेड थ्री के ऑफिसर्स को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रखेंगे। इससे बहुत ऑफिसर्स मिलेंगे, लीगल डिपार्टमैंट के लोग मिलेंगे और स्टेट में ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स भी मिलेंगे। हमें सिर्फ हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए राह देखने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी कमी हो, उस जगह इन्हें भर्ती कर सकते हैं। उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल

प्रिसाइड करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बना सकते हैं। इससे भी मजदूरों को बहुत फायदा होगा। इसलिए हमने यह बहुत महत्वपूर्ण अमैंडमैंट रखा है।

हम सैक्शन 11 में जो अमैंडमैंट लाए हैं, वर्तमान प्रोवीजन्स में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट को अपने ऐवार्ड को लागू करने की पावर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो भी ऐवार्ड करती है, उसे इम्प्लीमैंट करने में दिक्कत होती है। हमारे पास इनफोर्सिंग मशीनरी की कमी होने की वजह से इसे लागू करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इस बिल में हमने अमैंडमैंट रखा है कि लेबर कोर्ट द्वारा दिए गए ऐवार्ड आर्डर्स को सिविल कोर्ट की डिक्री के रूप में लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त इन ऐवार्ड आर्डर्स को लागू करने के लिए सिविल कोर्ट में भेजने की व्यवस्था भी की है। सिविल कोर्ट में डिक्री इम्प्लीमैंट करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इससे कल अगर एक डिक्री पास हो गई तो यदि उनका पैसा या तनख्वाह बाकी हो और वह एज ए लैंड रिवैन्यू एरियर्स के रूप में थ्रू कोर्ट जाती है तो वे रिकवरी कर सकते हैं। इसमें यह बहुत बड़ा एचीवमैंट है, इसलिए हम यह अमैंडमैंट इस बिल में लाये हैं। उसके साथ-साथ सैक्शन 38 में कहा गया है कि लेबर कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग आफिसर की तन्ख्वाह के बारे में कोई रूल्स, रेगुलेशन नहीं थे। प्रिसाइडिंग आफिसर को किस तरह से नियुक्त किया जाये, उनकी पेंशन क्या हो, भत्ता क्या हो, उनकी निवृत्ति कैसे हो, इस बारे में हम जो रूल्स फ्रेम करेंगे, उसका अमैंडमैंट हम इस सैक्शन 38 के तहत लाये हैं। मैं समझता हूं कि लेबर क्लास को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रिड्रैसल कमेटी में एससी/एसटी वूमैन को रखना चाहिए। लेकिन हमने इसलिए यह नहीं रखा, क्योंकि लेबर एक क्लास है और यहां पर क्लास बेसिस पर डिवीजन नहीं करना चाहिए, यह सोचकर हमने उसे इंटेक्ट रखा है। यह अब जरूरी नहीं है। इसमें वूमैन इसलिए जरूरी है, क्योंकि वहां पर पुरूष प्रधान फैक्टरीज, प्लेसेज होने की वजह से महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जाता। अब किसी भी जाति की महिला को कम्पलसरली एप्वाइंट होना चाहिए, ऐसा हमने इसमें प्रावधान किया है। इससे बहुत बड़ा लाभ वूमैन वर्कर्स को भी होगा। ऐसी महत्वपूर्ण अमैंडमैंट हमने सदन के सामने रखी है। अभी तो सभी सदस्यों ने इस अमैंडमैंट बिल का सपोर्ट किया है। मैं फिर से अपील करता हूं कि वे इन अमैंडमैंट्स को सपोर्ट करके यूनेनीमसली पास करायें जिससे कामगार, वर्कर्स को एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे बारे में भी लोग सोचते हैं और काम करते हैं। मेरी विनती है कि यह बिल पास किया जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Shri Virendra Kumar do you want to say anything?

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया,। उसमें किसी का दो मत नहीं हैं। सभी लोगों ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल लेबर है, वर्कमैन है, उसे दस हजार रुपये की सीमा में बांधकर रखा गया है। मुम्बई का जो स्वीपर होता है, उसे 20 हजार रुपये वेतन मिलता है और हवाई जहाज को चलाने वाले पायलट को 40-50 हजार रुपये मिलते हैं। लेकिन हवाई जहाज चलाने वाले पायलट होता है, उसके नीचे भी कोई सुपरवाइजर की पोस्ट नहीं होती और जो स्वीपर होता है, वह भी सुपरवाइजर नहीं हो जाता। इसलिए इन सारी विसंगतियों को देखते हुए दस हजार रुपये पर विचार किया जाना चाहिए। अभी कांन्ट्रेक्ट लेबर के संबंध में बात कही गयी कि उसके लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी है। लेकिन आज सारा देश

कांट्रेक्ट लेबर के बल पर ही चल रहा है। कहीं भी जाइये, सब जगह कांट्रेक्ट लेबर ही देखने को मिलता है। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have already told about it. … (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): जब हम स्कूल जाते हैं, तो वहां पर मास्टर भी कांट्रेक्ट पर लिये जाते हैं। अस्पताल में भी डाक्टर कांट्रेक्ट पर लिये जाते हैं। इसका कोई स्थायी हल निकाला जायेगा, तो वह ज्यादा बेहतर होगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister do you want to say anything?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have already told that we are also very much concerned about the contract labourers. As far as increasing the sum from Rs. 1,600 to Rs. 10,000/- is concerned, at present the consensus has come only for that much. I have already told, if time comes, definitely I will take all the stakeholders into confidence. Then, if everybody agrees, I have no objection to it. I am for it.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 11th August, 2010 at 11 a.m.

18.11 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 11, 2010/Sravana 20, 1932 (Saka).